



राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश
आम्सडेल बिल्डिंग, शिमला-171002

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा निर्वाचन

पीठासीन अधिकारी के लिये नगर निगम चुनाव का संचालन
करने के लिए पुस्तिका

अध्याय 1

परिचय

1.1 इस हैंडबुक का उद्देश्य एक पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने में सक्षम बनाने के लिए आपको जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना है। हालांकि इस पुस्तिका को सभी पहलुओं के लिए संपूर्ण संग्रह के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे चुनाव से संबंधित कानून और चुनाव के संचालन के लिए प्रक्रिया के विभिन्न प्रावधानों के बारे में आपको व्यापक विचार देने के लिए तैयार किया गया है।

1.2 आपको हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 43 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 9 के प्रावधान के तहत नियुक्त किया गया है। मतदान केंद्र पर, यह आपका प्राथमिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि आप एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न करें। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधान अनुबंध-I के रूप में संलग्न हैं और हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 इस पुस्तिका के अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न हैं।

1.3 एक पीठासीन अधिकारी के रूप में, आप मतदान केंद्र पर सबसे अधिक जिम्मेदार अधिकारी हैं। मतदान के संचालन में मतदान केंद्र पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। आप अपने प्रभार के तहत मतदान केंद्र में कार्यवाही करने के लिए कानून के तहत पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं मतदान केंद्र पर होने वाली सभी गतिविधियों के लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

1.4 नगर निगम के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, इसलिए आपको न केवल नियमों और प्रक्रियाओं से, बल्कि मतदान के संचालन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संचालन में उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम के बारे में भी पूरी तरह से परिचित होना चाहिए।

2. मतदान मशीनों का संक्षिप्त परिचय

2.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 6 वोल्ट की बैटरी पर काम करती है और इसे कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह टैम्परप्रूफ, त्रुटि मुक्त और संचालित करने में आसान है। मशीन में एक बार दर्ज की गई मतदान जानकारी बैटरी को हटा दिए जाने पर भी उसकी Memory में बनी रहती है।

2.2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दो इकाइयाँ होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ये दोनों इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, जब वोटिंग मशीन को केबल के माध्यम से चालू किया जाता है तथा केबल का एक सिरा स्थायी रूप से बैलेट यूनिट से जुड़ा होता है।



कंट्रोल यूनिट



बैलेट यूनिट

2.3 एक बैलेट यूनिट में सोलह चुनावी उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। बैलेट यूनिट पर, चुनाव के विवरण, क्रम संख्या, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम और फोटो और उन्हें आवंटित प्रतीकों वाले मतपत्र को प्रदर्शित करने का प्रावधान है। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के आगे एक नीला बटन होता है। इस नीले बटन को दबाकर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट दर्ज कर सकता है। उक्त बटन के साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी के लिए एक लैंप भी है। वोट रिकॉर्ड होने पर यह लैंप लाल हो जाएगा और साथ ही एक बीप की आवाज भी सुनाई देगी।

2.4 एक कंट्रोल यूनिट अधिकतम 64 उम्मीदवारों के वोट रिकॉर्ड कर सकती है। इसके लिए चार बैलेट यूनिट को एक साथ जोड़कर एक कंट्रोल यूनिट से जोड़ना होता है। कंट्रोल यूनिट के सबसे ऊपर के हिस्से पर मशीन में दर्ज विभिन्न सूचनाओं और आंकड़ों को प्रदर्शित करने का प्रावधान है, जैसे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या, डाले गए वोटों की कुल संख्या, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोट आदि। इस हिस्से को कंट्रोल यूनिट का 'डिस्प्ले सेक्शन' कहा जाता है। डिस्प्ले सेक्शन के नीचे मशीन को चलाने वाली बैटरी को ठीक करने के लिए एक कम्पार्टमेंट है। इस कम्पार्टमेंट के दायीं ओर एक और कम्पार्टमेंट है जिसमें विशेष चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या के लिए मशीन सेट करने के लिए एक बटन होता है। इस बटन को 'कैंड सेट' बटन कहा जाता है और इन दो डिब्बों वाले नियंत्रण इकाई के पूरे खंड को 'कैंड सेट सेक्शन' कहा जाता है।

2.5 कैंड सेट सेक्शन के नीचे कंट्रोल यूनिट का 'रिजल्ट सेक्शन' होता है। इस खंड में बाईं ओर 'बंद' बटन है, जो मतदान को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, (ii) बीच में दो बटन - 'परिणाम' और 'प्रिंट' है। यह अनुभाग आपके द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह आर0 ओ0 द्वारा मतगणना के समय संचालित किया जाएगा।

2.6 इस के अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट में दो और बटन हैं - एक पर 'बैलेट' और दूसरे पर 'टोटल' लिखा हुआ है। 'बैलेट' बटन दबाकर, बैलेट यूनिट वोट रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाती है और 'टोटल' बटन को दबाकर उस चरण तक (लेकिन उम्मीदवार-वार ब्रेक अप के बिना) दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या का पता लगाया जा सकता है। इस खंड को कंट्रोल यूनिट के 'बैलेट सेक्शन' के रूप में जाना जाता है।

3. कर्तव्यों की व्यापक रूपरेखा

इस पुस्तिका के विभिन्न अध्यायों में आपके मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहलू नीचे दिए गए हैं:

(i) आपको वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान के संचालन के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति से पूरी तरह परिचित होना चाहिए।

(ii) आपको वोटिंग मशीन के संचालन और उसमें दिए गए विभिन्न बटनों और स्विचों के कार्यों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए।

(iii) आपको आयोग के सभी प्रासंगिक निर्देशों को अपने पास रखना चाहिए।

(iv) आपको अपने मतदान केंद्र के स्थान और मतदान केंद्र से आने-जाने की अपनी यात्रा के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप बिना समय गंवाए अपने मतदान केंद्र पर समय से पहुंच सकें।

(v) आपको प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित रहना चाहिए, ताकि मतदान केन्द्र पर निर्वाचन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से आप भली भांति परिचित हो सकें। निर्वाचन प्रक्रिया समय समय पर संशोधित होती रहती है अतः आप प्रशिक्षण सत्र से अनुपस्थित न रहें ताकि आप निर्वाचन की नवीनतम प्रक्रियाओं के बारे में जान सकें।

(vi) चुनाव सामग्री एकत्र करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हैण्ड बुक सूची के अनुसार सभी सामान आपको सौंप दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण आइटम हैं (i) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट), (ii) टेंडर किए गए बैलेट पेपर, (iii) वोटर्स का रजिस्टर (फॉर्म 26A), (iv) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति (v) फॉर्म 43A (vi) पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्रारूप और (vii) मतदाता सूची की अतिरिक्त प्रतियां, ब्लू पेपर सील, विशेष टैग, वैधानिक प्रपत्र, सीलिंग मोम और अमिट स्याही।

(viii) मतदान केंद्र पर पहुंचने पर, आपको मतदान की गोपनीयता को सुरक्षित रखने, मतदाताओं की कतार के नियमन, मतदान की कार्यवाही की सुरक्षा के लिए उचित तरीके से मतदान केंद्र की स्थापना के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का स्पष्ट विचार होना चाहिए। केंद्र पर पहुंचने पर आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके मतदान केंद्र में पुलिस व्यवस्था है या नहीं।

(viii) मतदान शुरू होने से पहले, मतदान केंद्रों पर मौजूद मतदान एजेंटों को वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करना होगा, ताकि उन्हें संतुष्ट किया जा सके कि उनमें पहले से कोई वोट दर्ज नहीं किया गया है और यह कि मशीन सही काम करने की स्थिति में है। इस उद्देश्य के लिए, मतदान एजेंटों को, प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ वोट रिकॉर्ड करने और उसके बाद परिणाम का मिलान करने के लिए एक मॉक पोल अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी मतदान केंद्र पर बिना मॉक पोल के कोई मतदान नहीं होगा।

(ix) मॉक पोल कराने के बाद, वोटों को वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट से विलोपित किया जाना चाहिए ताकि मशीन की मेमोरी में मॉक पोल से संबंधित कोई डेटा न रहे। मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट को ब्लू पेपर सील और विशेष टैग लगाकर सीलबंद और सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस सीलिंग की प्रक्रिया को अध्याय X और XI में विस्तार से समझाया गया है।

(X) मतदान राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय पर शुरू होना चाहिए। मतदान शुरू होने से पहले, मतदान केंद्र पर मौजूद उम्मीदवारों या उनके एजेंटों और मतदान अधिकारियों को वोट की गोपनीयता बनाए रखने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 22 के प्रावधान (अनुलग्नक-I देखें) को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।

(xi) मतदान के प्रारंभ में, आपको मतदान मशीन के प्रदर्शन, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर की निर्धारित प्रपत्र पर उपस्थिति उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंटों के समक्ष एक घोषणा करनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करवाने होंगे।

(XII) यदि किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दी जाती है, तो ऐसे मतदाता जिन्हें ECI द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किए गए हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उन कार्डों को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन मतदाताओं के मामले में जिनकी पहचान EPIC के माध्यम से स्थापित नहीं की जा सकती है, पीठासीन अधिकारी उसके बाद निम्नानुसार चुनौती की एक संक्षिप्त जांच करेंगे:-

ए) चुनौती देने वाले को चुनौती के पक्ष में सबूत पेश करने की आवश्यकता होगी तथा जिस व्यक्ति की पहचान को चुनौती दी गयी है उसे भी अपनी पहचान साबित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए ;

(बी) अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक किसी भी प्रश्न को चुनौती देने वाले व्यक्ति से पूछे और उनसे सशपथ जवाब देने की अपेक्षा करें; तथा

(सी) यदि, जांच के बाद, पीठासीन अधिकारी को लगता है कि चुनौती स्थापित नहीं हुई है, तो वह चुनौती देने वाले व्यक्ति को वोट देने की अनुमति देगा; और यदि वह समझता है कि चुनौती स्थापित हो गई है, तो वह उस व्यक्ति को मतदान से वंचित कर देगा जिसे चुनौती दी गई है।

(डी) यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि चुनौती अनावश्यक रूप से है या सद्भाव में नहीं की गई है, तो वह निर्देश देगा कि इस पुस्तिका के निर्देश 9 (1) के तहत जमा की गई जमा राशि सरकार को जब्त कर ली जाएगी, अन्यथा जांच के समापन पर चुनौती देने वाले को राशि वापस कर दी जाएगी।

यद्यपि निर्वाचक नामावली पर निर्वाचकों की फोटो छपी होती है, लेकिन यदि मतदाता सूची में मतदाता का फोटो उपलब्ध नहीं है तो ऐसे निर्वाचकों की पहचान पहले मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टि के संदर्भ में फोटो पहचान पत्र, या राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किसी अन्य वैकल्पिक दस्तावेज से उचित रूप से सत्यापित की जानी चाहिए।

(XIII) मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) / पहचान दस्तावेजों के अंतिम चार अंक मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26ए) के 'रिमाक्स' कॉलम में दर्ज किए जाने चाहिए। एक निर्वाचक की पहचान हो जाने के बाद, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि, यदि मतदाता महिला है तो वह प्रविष्टि पर टिक (✓) करेगा और पुरुष निर्वाचक के मामले में प्रविष्टि को रेखांकित (_____) (UNDERLINE) करेगा। मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में दिए गए निर्वाचक का क्रमांक (नाम नहीं) मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26ए) में दर्ज किया जाना चाहिए।

(XIV) मतदाता सूची में प्रविष्टि के संदर्भ में एक मतदाता की पहचान के बाद, बाएं तर्जनी को दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा अमिट स्याही से चिह्नित किया जाना चाहिए।

(XV) दूसरा मतदान अधिकारी मतदाता को अपना वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति देने से पहले मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26A) पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। यदि कोई मतदाता, मतदाता रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने से इनकार करता है, तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतदाता रजिस्टर के 'टिप्पणी' कॉलम में 'मतदान से इनकार' की प्रविष्टि की जाएगी ऐसी प्रविष्टि को आप प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। हालाँकि, यदि कोई मतदाता अपनी मतदाता सूची के बाद फॉर्म 26A में मतदाताओं के रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया गया है और उस पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा दिया है, तो अपना वोट रिकॉर्ड नहीं करने का फैसला करता है, इस आशय की एक टिप्पणी - 'मतदान से इनकार' आपके द्वारा प्रपत्र 26क में उक्त प्रविष्टि के विरुद्ध की जाएगी। ऐसे मामले में मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26ए) के कॉलम 1 में निर्वाचक या किसी उत्तरवर्ती निर्वाचक के क्रमांक में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा। यदि कोई मतदाता

कंट्रोल यूनिट पर "बैलेट" बटन press होने के बाद वोट देने से इनकार करता है, तो पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी, जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है, वह अगले मतदाता को अपना वोट रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा तथा ऐसा करते समय कंट्रोल यूनिट पर "बैलेट" बटन नहीं दबाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कंट्रोल यूनिट का प्रभारी अधिकारी कंट्रोल यूनिट में 'पावर' स्विच को 'ऑफ' करे, और फिर 'चालू' करे और फिर 'बैलेट' बटन दबाएं और अगले मतदाता को अपना वोट रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजे।

(XVI) राज्य चुनाव आयोग ने उपरोक्त में से कोई नहीं (NOTA) का विकल्प भी प्रदान किया है, इसलिए, यदि कोई मतदाता मतदाता रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने के बाद (फॉर्म) -26ए) वोट नहीं देने का फैसला करता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि अगर वह किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए इच्छुक नहीं है तो वह नोटा के विकल्प का उपयोग कर सकता है।

(xvii) एक अन्य स्थिति में, जब कंट्रोल यूनिट पर "बैलेट" बटन को बैलेट यूनिट पर वोटिंग जारी करने के लिए दबाया जाता है और अंतिम मतदाता वोट देने से इनकार करता है, तो पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी, जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, कंट्रोल यूनिट के पिछले डिब्बे में 'पावर' स्विच को 'ऑफ' स्थिति में रखेगी और बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट कर देगी। कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को डिस्कनेक्ट करने के बाद 'पावर' स्विच को फिर से 'ऑन' कर देना चाहिए। अब 'व्यस्त' लैंप बुझ जाएगा और मतदान बंद करने के लिए 'बंद' बटन काम करना शुरू कर देगा।

(xviii) मतदाता रजिस्टर पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त होने के बाद उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से निशान लगाया जाएगा, दूसरा मतदान अधिकारी उसे तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाने का निर्देश देगा। मतदाता पंजी में जिस क्रमांक से उससे संबंधित प्रविष्टि की गई है, वह मतदाता पर्ची पर लिखा जाएगा।

(xix) निर्वाचकों को मतदाता पर्ची के आधार पर वोटिंग मशीन में अपने मतों को उसी क्रम में दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी जिस क्रम में उन्हें मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

(xx) यदि आप किसी मतदाता को मतदान की न्यूनतम आयु अर्थात् 18 वर्ष से कम मानते हैं, लेकिन उसकी पहचान और मतदाता सूची में उसका नाम शामिल करने के तथ्य से संतुष्ट हैं, तो आपको उससे अनुलग्नक VIII में घोषणा के रूप में उसकी उम्र के बारे में, एक घोषणा प्राप्त करनी चाहिए।

(xxi) जब भी महत्वपूर्ण घटना घटित हो तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि उन्हें डायरी में रिकॉर्ड करे।

(xxii) कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई संदेह या संदेह करने का कारण हो कि स्क्रीनिंग वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी गई बैलेट यूनिट ठीक से काम नहीं कर रही है या वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश करने वाला कोई मतदाता बैलेट यूनिट में छेड़छाड़ कर रहा है या अन्यथा हस्तक्षेप कर रहा है या

नीले बटन पर कोई वस्तु डालकर या सेलो-टेप या माचिस की तीली या च्युइंग गम लगा रहा है या अनुचित रूप से लंबे समय तक मतदान कक्ष के अंदर रह रहा है तो आपको ऐसे मामलों में मतदान कक्ष में प्रवेश करने तथा आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। जिससे सुनिश्चित हो की बैलट यूनिट के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप न हो और मतदान सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े। तथापि, सावधान रहें कि जब भी आप मतदान कक्ष में प्रवेश करें तो अकेले कक्ष में प्रवेश न करें। आपको मतदान केंद्र पर मौजूद एक या दो या अधिक मतदान एजेंटों को अपने साथ जाने की अनुमति देनी चाहिए।

(xxiii) यदि मतदान केंद्र पर कोई घटना होती है और आपके द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती है, लेकिन किसी अन्य स्रोत से रिपोर्ट की जाती है, तो आयोग इस पर गंभीरता से विचार कर सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(xxiv) मतदान के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए आपको मतदान केंद्र में कार्यवाही को विनियमित करना होगा। इस उद्देश्य के लिए आपको बहुत अधिक चतुराई की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आपको दृढ़ और निष्पक्ष होना चाहिए।

(xxv) आपको समय-समय पर 'टोटल' बटन दबाकर एक विशेष घंटे तक डाले गए वोटों की कुल संख्या को सत्यापित करना होगा।

(xxvi) आपको राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय पर मतदान बंद करना होगा, भले ही किसी भी कारण से मतदान शुरू होने में देरी हुई हो। हालांकि, मतदान के समापन समय पर मतदान केंद्र पर मौजूद सभी मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी, भले ही इसका मतलब कुछ और समय के लिए मतदान जारी रखना हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान समाप्त होने के बाद कोई भी मतदाता कतार में शामिल न हो। इस प्रयोजन के लिए आप कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से पर्चियों का ऐसा वितरण शुरू करें की कतार में खड़े सभी मतदाताओं को आपके द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित संख्या वाली पर्चियों वितरित हो सके।

(xxvii) मतदान की समाप्ति पर, आपको फॉर्म 43ए के भाग I में 'रिकॉर्ड किए गए वोटों का खाता' तैयार करना होगा और उस फॉर्म में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कॉलम में मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे। दर्ज किए गए मतों के ऐसे खाते की प्रमाणित प्रतियां मतदान केंद्र पर मौजूद प्रत्येक उम्मीदवार के मतदान एजेंट को देना आवश्यक है। आपको आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार के एजेंटों को ऐसी प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में एक घोषणा भी करनी होगी।

(xxviii) मतदान समाप्त होने के बाद, मतदान मशीन और सभी चुनाव पत्रों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से सील और सुरक्षित किया जाना चाहिए। मतदान केन्द्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी, यदि वे चाहें, तो अपनी मुहरों के अतिरिक्त वोटिंग मशीन और

निर्वाचन पत्रों पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति दी जाएगी। आपको वोटिंग मशीन और चुनाव पत्रों को सील करने और सुरक्षित करने के बारे में प्रासंगिक निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए ताकि कोई गलती न हो।

(xix) वोटिंग मशीन और सभी चुनाव पत्र विधिवत मुहरबंद और सुरक्षित प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को उचित रसीद के साथ सौंपना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

4. मेमो चेक करें

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने चुनाव के संबंध में विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया है, राज्य चुनाव आयोग ने आपके लिए एक चेक मेमो तैयार किया है, जो अनुबंध III में दिया गया है। उक्त चेक मेमो आपके द्वारा ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए।

दूसरा अध्याय

मतदान दल का गठन और प्रशिक्षण

1 . मतदान दल:

नगर निगम के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से कराए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के नियम 43 के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान केंद्र से अनुपस्थित है, तो पीठासीन अधिकारी किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी Official को नियुक्त कर सकता है, जो मतदान केंद्र पर मौजूद है और तदनुसार रिटर्निंग अधिकारी को भी सूचित करें।

2 . मतदान प्रशिक्षण

2.1 रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी आपके और मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था करेंगे। आप ऐसे सभी प्रशिक्षण सत्रों में भाग लें। ये सत्र आपको वोटिंग मशीन के संचालन से परिचित कराने और मतदान केंद्र पर मतदान और कानून सम्बंधित प्रावधानों को समझने में मदद करेंगे। सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण में आपको राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पीठासीन अधिकारियों की हैंडबुक की एक प्रति प्रदान की गयी है जिसमें मतदान केंद्रों पर पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

2.2 आपको इन पूर्वाभ्यासों में अधिकृत मतदान अधिकारी को अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि आपकी अपरिहार्य अनुपस्थिति में वह पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन कर सके। यह नितांत आवश्यक है कि आप और ऐसे अधिकृत मतदान अधिकारी व्यक्तिगत रूप से वोटिंग मशीन पर विभिन्न कार्यकलापों का संचालन करें और केवल प्रदर्शन देखकर संतुष्ट न हों। आप दोनों को ब्लू पेपर सील, विशेष टैग, और एड्रेस टैग आदि की फिक्सिंग से भी परिचित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप और मतदान अधिकारी प्रशिक्षण के समय मशीन के साथ अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ न करें।

2.3 आपको प्रपत्र 43क में रिकॉर्ड किए गए वोटों का नमूना खाता और पेपर सील खाता भी तैयार करना चाहिए।

2.4 प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास को हल्के में न लें भले ही आपने पहले के किसी चुनाव में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में काम किया हो, जहां वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, आपको सभी प्रशिक्षण कक्षाओं / पूर्वाभ्यासों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण कक्षाओं / पूर्वाभ्यास के दौरान

आपको कुछ नए तथ्य / निर्देश / पता चल सकते हैं। चुनाव कानून और प्रक्रिया में समय-समय पर संशोधन होता रहता है और यह आवश्यक है कि आप कानून, नियमों, निर्देशों आदि के नवीनतम प्रावधानों से खुद को अपडेट रखें। इसके अलावा, कोई बदलाव न होने पर भी अपनी स्मरण शक्ति को ताज़ा करना लाभदायक रहता है ।

3. पोल ड्यूटी मतपत्र :

3.1 नगर निगम के भीतर मतदान ड्यूटी पर रहने वाले मतदाता अध्याय XXI के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करने के हकदार होंगे।

3.2 प्रशिक्षण में नगर निगम के सभी वार्डों के लिए प्रत्येक मतदाता सूची की एक प्रति, रिहर्सल और प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए केंद्र (केंद्रों) पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप अपना विवरण रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करने के लिए नोट कर सकें।

अध्याय III

वोटिंग मशीन और मतदान सामग्री का संग्रह

1. मतदान सामग्री

मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान के दिन आपको सम्पूर्ण चुनाव सामग्री की आपूर्ति की जाएगी, जिसकी एक सूची अनुबंध IV में दी गई है। अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपने सभी आइटम प्राप्त कर लिए हैं।

2. वोटिंग मशीन की जांच:

निम्नलिखित की जाँच विशेष रूप से करें:

(1) यह कि आपको दी गई वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट वही हैं जो आपके मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए हैं। इसकी जांच उक्त यूनिटों से जुड़े एड्रेस टैग्स के संदर्भ में की जाएगी क्योंकि उन प्रत्येक एड्रेस टैग पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र की संख्या और नाम दर्शाया जाएगा।

(2) यह कि कंट्रोल यूनिट के 'कैंड सेट सेक्शन' को विधिवत सील कर दिया गया है और एड्रेस टैग को मजबूती से जोड़ा गया है।

(3) यह कि कंट्रोल यूनिट के 'कैंड सेट सेक्शन' में स्थापित बैटरी पूरी तरह से चालू है। इसे रियर कंपार्टमेंट में दिए गए पावर स्विच को 'ऑन' पोजीशन में डालकर चेक किया जा सकता है। उक्त जाँच के बाद, पावर स्विच को 'ऑफ' कर दें।

(4) यह कि आपको अपेक्षित संख्या में बैलेट यूनिट की आपूर्ति की गई है स्क्रीन के नीचे मतपत्र विधिवत रूप से लगाया गया है। आपको आपूर्ति की जाने वाली Balloting यूनिट की संख्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2 से 15 के बीच है, तो केवल एक बैलेट यूनिट की आपूर्ति की जाएगी और बैलेट यूनिट के शीर्ष दाईं ओर विंडो के माध्यम से देखा जाने वाला स्लाइड स्विच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्थिति '1' पर सेट किया जाएगा। यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 16 और 31 के बीच है, तो आपको दो Balloting यूनिट की आपूर्ति की जाएगी। पहली बैलेट यूनिट में, जिसमें उपर्युक्त स्लाइड स्विच को '1' की स्थिति में सेट किया जाएगा, बैलेट पेपर में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में क्रमांक 1 से 16 तक के उम्मीदवारों के नाम होंगे। दूसरी बैलेट यूनिट बैलेट पेपर की दूसरी शीट को प्रदर्शित करेगी जिसमें 17 से आगे (और 31 तक) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे और उस यूनिट में स्लाइड स्विच को '2' की स्थिति में सेट किया जाएगा। इसी तरह, तीन Balloting यूनिट की आपूर्ति की जाएगी यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 32 और 47 के

बीच है और चार ऐसी Balloting यूनिट होंगी यदि उम्मीदवारों की संख्या 47 से अधिक और 63 तक है। Balloting यूनिट इकाई में मतपत्र में नाम होंगे उम्मीदवारों की क्रम संख्या 33 से आगे (48 तक) और इसके स्लाइड स्विच को '3' की स्थिति में सेट किया जाएगा। चौथी बैलेट यूनिट उसमें लगे बैलेट पेपर पर क्रमांक 49 से आगे (63 तक) उम्मीदवारों के नाम प्रदर्शित करेगी और इसका स्लाइड स्विच '4' की स्थिति दिखाएगा। सुनिश्चित करें कि बैलेट यूनिट पर "स्लाइड स्विच" पारदर्शी सेलो टेप की मदद से सुरक्षित किया गया है।

(5) यदि आप स्लाइड स्विच को ठीक करने में कोई विसंगति पाते हैं, तो इसे तुरंत सेक्टर अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी के ध्यान में लाएं। लेकिन किसी भी स्थिति में आपको या आपके मतदान अधिकारियों को स्लाइड स्विच के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।

(6) यह कि प्रत्येक बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर और स्लाइड स्विच सही ढंग से तय / सेट किए गए हैं जैसा कि पूर्व में बताया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतपत्रों को ठीक से लगाया गया है और प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और प्रतीक उसके संबंधित लेंप और बटन के अनुरूप है और मतपत्र पर उम्मीदवारों के पैनल को विभाजित करने वाली मोटी रेखाएं हैं तथा बैलेट यूनिट पर संबंधित खांचे के अनुरूप हैं।

(7) यह कि उम्मीदवारों के नीले बटन जो unmasked हैं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या से एक अधिक हैं। इस अतिरिक्त बटन को नोटा के लिए उपयोग किया जाएगा और शेष बटन, यदि कोई हो तो उन्हें मास्क कर दिया जाए।

(8) यह कि प्रत्येक बैलेट यूनिट की दाईं तरफ को विधिवत रूप से सील कर दिया गया है तथा , रिटर्निंग अधिकारी की मुहरों के साथ सुरक्षित किया गया है, और एड्रेस टैग मजबूती से जुड़ा हुआ है।

3. मतदान सामग्री की जांच

यह भी जांचें- .

(1) किट में 5 सीसी अमिट स्याही की दो शीशियां दी गई हैं और आपको आपूर्ति की गई प्रत्येक एक शीशी में स्याही की पर्याप्त मात्रा है क्योंकि स्याही को बाएं हाथ की तर्जनी पर एक लकीर के रूप में लगाना है;

(2) यह कि सम्बंधित मतदाता सूची की सभी तीन प्रतियां हर तरह से पूर्ण और समान हैं और विशेष रूप से, कि-

(ए) आपको दी गई मतदाता सूची उस क्षेत्र से संबंधित है जिसके लिए मतदान केंद्र स्थापित किया गया है और यह प्रत्येक अनुपूरक सूची पूर्ण है;

(बी) नामों के सभी विलोपन और शुधियाँ अनुपूरक सूची में शामिल की गयी हैं;

(ग) नामावली की प्रत्येक कार्यशील प्रति के सभी पृष्ठों को क्रमांक 1 से क्रमानुसार क्रमांकित किया गया है।

(घ) मतदाताओं के मुद्रित क्रमांकों को स्याही से या अन्यथा ठीक नहीं किया गया है और उनके स्थान पर कोई नया नंबर नहीं रखा गया है;

(च) मतदाता सूची की चिह्नित प्रति (मतदान करने की अनुमति वाले मतदाताओं के नामों को 'चिह्नित' करने के लिए उपयोग की जाने वाली मतदाता सूची की प्रति) में मतदान ड्यूटी / ईडीसी मतपत्र जारी करने के लिए उपयोग की जाने वाली टिप्पणियों के अलावा कोई अन्य टिप्पणी नहीं है ।

(3) निविदा मतपत्र उसी वार्ड के लिए हैं जिसमें आपको दिया गया मतदान केंद्र स्थित है और वे किसी भी तरह से दोषपूर्ण नहीं हैं। आपको जांचना चाहिए कि मतपत्रों के सीरियल नंबर आपको दिए गए विवरण से मेल खाते हैं।

(4) यदि आपको कोई वोटिंग मशीन या कोई मतदान सामग्री किसी भी तरह से दोषपूर्ण लगती है, तो आपको आवश्यक कार्रवाई के लिए मशीन / मतदान सामग्री के वितरण के प्रभारी अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के ध्यान में ऐसी खराबी तुरंत लानी चाहिए।

(5) यह भी जांच लें कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों के नमूना हस्ताक्षर की फोटोकॉपी भी आपको दी गई है। इससे आपको मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र में उम्मीदवार/उसके चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर की सत्यता की पुष्टि करने में मदद मिलेगी।

अध्याय - IV

मतदान केंद्रों की स्थापना

1. मतदान केंद्र पर आगमन

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आपको बताए गए कार्यक्रम के अनुसार आपको आवंटित मतदान केंद्र में समय से जाना चाहिए। मतदान शुरू होने के समय से कम से कम 2 घंटे पहले आपको अपनी पार्टी के साथ मतदान केंद्र पर होना चाहिए। यदि आपका मतदान केंद्र दूर स्थान पर है और आप मतदान केंद्र पर सुबह जल्दी पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं तो आप मतदान के दिन से एक दिन पहले मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं और मतदान केंद्र पर ही सो सकते हैं।

2. मतदान केंद्रों की स्थापना:

(ए) मतदाताओं को गुप्त रूप से मतदान करना होता है और इस उद्देश्य के लिए बैलट यूनिट को मतदान कक्ष में मेज पर रखना होता है। बैलट यूनिट को इस तरह से लगाया जाना है कि मतदाताओं को अपने मतदाताओं को दर्ज करने में कोई कठिनाई न हो और वोट डालते समय कोई भी उन्हें देख न सके।

(बी) ईवीएम को जोड़ने वाली केबल को इस तरह से रूट किया जाना चाहिए कि वह मतदाताओं की आवाजाही में बाधा न डाले और उन्हें उस पर न चलना पड़े और न ही उस पर चढ़ना पड़े, लेकिन केबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इसे कपड़ा या टेबल के नीचे छुपाया नहीं जाना चाहिए। । यह ध्यान रखे कि कोई मतदाता मतदान कक्ष के अंदर केबल को छेड़ने या क्षतिग्रस्त करने का प्रयास न करे।

(सी) किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं या प्रतीकों या चुनावों पर असर डालने वाले नारों की कोई तस्वीर प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए और यदि वे पहले से ही हैं, तो आपको उन्हें हटाने और मतदान समाप्त होने तक उन्हें दूर रखने के लिए कदम उठाना चाहिए।

(घ) मतदान के दिन मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3. नोटिस पर प्रदर्शन

3.1 प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित करें-

(ए) मतदान क्षेत्र और मतदान केंद्र पर पंजीकृत निर्वाचकों के विवरण को निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस; तथा

(बी) फॉर्म 25 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति और जहां भी संभव हो, प्रत्येक उम्मीदवार के प्रतीक की प्रतिलिपि।

3.2 नोटिस में नामों का क्रम वही होना चाहिए जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में है और यह देवनागरी लिपि में हिंदी में होना चाहिए।

अध्याय - V

मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था

1. चुनाव के सुचारु संचालन के लिए आयोग पुलिस/होमगार्ड तैनात करता है और वे सभी चुनाव के समय आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण में आते हैं।

2. मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मी निम्नलिखित पर विशेष रूप से नजर रखेगा:-

(i) मतदान के दौरान किसी भी समय मतदान केंद्र के अंदर कोई अनाधिकृत व्यक्ति मौजूद नहीं है।

(ii) मतदान दल या मतदान एजेंट मतदान केंद्र के अंदर कोई मतदाता मौजूद नहीं होने पर कोई वोट या वोट डालने का प्रयास न करे ।

(iii) कोई भी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी मतदाता के साथ मतदान कक्ष में नहीं जाए ।

(iv) कोई भी मतदान एजेंट या मतदान अधिकारी किसी मतदाता को धमकाता नहीं है या उन्हें धमकाने के लिए कोई इशारा नहीं करता है।

(v) मतदान केंद्र के अंदर कोई हथियार नहीं ले जाया जा सकता है।

(vi) मतदान केंद्र पर कोई जालसाजी न हो।

मतदान पूरा होने के बाद, ईवीएम और पीठासीन अधिकारियों को सुरक्षा कर्मियों का एक दल संग्रह केंद्र तक ले जाएगा। इस संबंध में विवरण उपायुक्त/सह-रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

सुरक्षाकर्मी उस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होंगे जहां ईवीएम को मतगणना होने तक रखा जाता है ।

अध्याय-VI

मतदान अधिकारियों को कर्तव्यों का समनुदेशन

1. मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया और मतदान अधिकारियों के कर्तव्य

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मतदान केंद्र पर किसी मतदाता के मतदान केंद्र में आने से लेकर वोट डालने तक मतदान के कुशल और सुचारु संचालन की प्रक्रिया से आप पूरी तरह परिचित होने चाहिए। हालांकि, मतदान अधिकारियों के बीच कर्तव्यों का व्यापक विवरण नीचे दर्शाया गया है।

2. मतदान अधिकारियों के कर्तव्य।


मतदान दल में तीन मतदान अधिकारी होंगे और आप उनके बीच निम्नानुसार कर्तव्यों का वितरण करेंगे:-

2.1 प्रथम मतदान अधिकारी

प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति का प्रभारी होगा। वह मतदाता सूची में संबंधित प्रविष्टि के साथ मतदाताओं के नाम और अन्य विवरणों की जांच करेगा और फिर निर्वाचकों के क्रमांक, नाम और अन्य विवरणों को बुलाएगा। मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में मतदाता का नाम अंकित करें ताकि यह इंगित किया जा सके कि उसे मतदान करने की अनुमति दी गई है। वह मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा, क्योंकि मतदाता सूची पर प्रत्येक मतदाता की तस्वीर छपी होती है, इसलिए मतदाता की पहचान के संबंध में कोई समस्या नहीं होगी।

3.1 दूसरा मतदान अधिकारी

दूसरा मतदान अधिकारी निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा और उसके बाद उसे एक पर्ची जारी करेगा। मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक पर्ची में दर्ज किया जाएगा। विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन अध्याय-XVII में किया गया है। वह मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में दर्ज मतदाता की क्रम संख्या को "मतदाताओं के रजि स्टर" में फॉर्म 26ए में दर्ज करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। किसी भी मतदाता को पर्ची जारी नहीं की जाएगी जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाया हो।



तीसरा मतदान अधिकारी

4.1 तीसरा मतदान अधिकारी वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। वह मतदाता को केवल दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदाता पर्ची के आधार पर और उस पर्ची में दर्शाए गए क्रमांक के अनुसार ही मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देगा। वह वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी गई बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट पर 'बैलेट' बटन दबाकर सक्रिय करेगा जैसा कि अध्याय XVIII में विस्तार से बताया गया है। मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले, वह यह भी जांचेगा और सुनिश्चित करेगा कि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अभी भी एक स्पष्ट अमिट स्याही का निशान है। (यदि अमिट स्याही का निशान मिटाया हुआ पाया जाता है, तो फिर से तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जा सकती है)।

पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के प्रभारी होते हैं। संक्षेप में, उनको निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना है:-

- (i) बैलेट यूनिट को मतदान कक्ष में रखे । किसी भी स्थिति में बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट को फर्श पर नहीं रखा जाना चाहिए। इसे एक मेज पर रखा जाना चाहिए;
- (ii) बैलेट यूनिट को उनकी संबंधित कंट्रोल यूनिट से जोड़े;
- (iii) कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करे ;
- (iv) मतदान को वास्तविक रूप से प्रारंभ करने से पूर्व उपस्थित उम्मीदवारों/एजेंटों को निर्धारित समय से पहले यह प्रदर्शित करे कि वोटिंग मशीन में कोई वोट दर्ज नहीं है;
- (v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईवीएम सही काम करने की स्थिति में है, मॉक पोल आयोजित किया जाए;
- (vi) मॉक पोल परिणाम क्लियर करें;
- (vii) मॉक पोल का प्रमाण पत्र तैयार करना; (मॉक पोल का सर्टिफिकेट अनुबंध XIII पर है)
- (viii) आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यदि किसी मतदान केंद्र पर कोई मॉक पोल नहीं किया गया है, तो उस मतदान केंद्र पर कोई मतदान नहीं होगा।
- (ix) सुनिश्चित करें कि नियंत्रण इकाई में लगी नीले कागज की सील पर मतदान केंद्र पर मौजूद उम्मीदवार या उनके मतदान एजेंट, , अपने हस्ताक्षर करें;
- (x) मतदान केंद्र पर विशेषतया मतदान कक्ष की उचित व्यवस्था की गई है;
- (xi) सुनिश्चित करें कि मतदान दल के सभी सदस्य मतदान शुरू होने से पहले अपनी अपनी जगह पर है और सभी सामग्री और रिकॉर्ड नियत समय पर मतदान शुरू करने के लिए तैयार हैं;

- (xii) मतदान दल के किसी सदस्य या किसी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र के भीतर इधर-उधर जाने से रोके और उन्हें उनके आवंटित स्थानों पर बिठाया जाना चाहिए;
- (xiii) मतदान शुरू होने के लिए नियत समय पर वास्तविक मतदान शुरू करे ;
- (xiv) मतदान के दौरान, मतदाताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें और सतर्क रहें ताकि कोई भी मतदाता बिना मतदान के न जाए;
- (xv) सुनिश्चित करें कि मतदान के पहले घंटे के दौरान जब मतदान आम तौर पर तेज होता है, मतदान दल का कोई भी सदस्य उसे आवंटित कर्तव्यों में कोई ढिलाई न दिखाए;
- (xvi) कंट्रोल यूनिट पर समय-समय पर डाले गए कुल मतों की जाँच करें और यह भी सुनिश्चित करें कि मतदाताओं ने मतदाता पर्ची पर दिए गए क्रमांक के अनुसार ही मतदान किया है;
- (xvii) नियमित अंतराल पर बैलट यूनिट की जाँच करें और यह सुनिश्चित करे किसी ने भी इसमें किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की है, । मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर पहले से कतार में लगे मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी

8. मतदान का समापन

8.1 पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान के अंत में निर्धारित मतदान प्रक्रिया के अनुसार मतदान विधिवत बंद हो। अंतिम मतदाता द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार मतदान करने के बाद, उसे कंट्रोल यूनिट पर 'CLOSE' बटन दबाना होगा। निर्धारित प्रपत्रों को सावधानीपूर्वक और विधिवत भरे जाने के बाद, उन्हें बैलेट यूनिटों को बैलट यूनिट से अलग कर देना चाहिए और उन्हें उनके संबंधित अटैची में सील कर देना चाहिए। सभी कागजात अलग से तैयार और सील किए जाने चाहिए।

8.2 पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सील की गई यूनिट और चुनाव रिकॉर्ड को रिसेप्शन सेंटर पर रिटर्निंग अधिकारी को सौंप जाए ।

अध्याय - VII

मतदान केंद्र में प्रवेश और बैठने की व्यवस्था

1. मतदान केंद्रों में प्रवेश करने के पात्र व्यक्ति

1.1 आपके मतदान केंद्र पर पंजीकृत निर्वाचकों के अलावा, केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जा सकता है:-

(ए) मतदान अधिकारी;

(बी) उम्मीदवार और उनके एजेंट।

(सी) रिटर्निंग अधिकारी या ऐसे व्यक्ति जो उसके द्वारा अधिकृत किए जा सकते हैं

(डी) चुनाव के संबंध में इयूटी पर नियुक्त लोक सेवक;

(ई) आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक;

(च) किसी मतदाता की गोदी में बच्चा और नेत्रहीन या दुर्बल मतदाता जो बिना सहायता के चल-फिर नहीं सकता के साथ एक साथी ;

(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें आप नियम 57 के उप-नियम (2), नियम 62 के उप नियम (1) के तहत नियुक्त कर सकते हैं; तथा

(ज) राज्य चुनाव आयुक्त या ऐसे अन्य व्यक्ति जो उसके द्वारा अधिकृत हों।

1.2 आपको ध्यान देना चाहिए कि मतदान दल के साथ नियुक्त पुलिस बल चाहे वर्दी में हों या सादे कपड़ों में, सामान्य नियम के रूप में उन्हें , मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, आप उन्हें कभी-कभी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए या किसी समान उद्देश्य के लिए, जब भी आवश्यकता हो, बुला सकते हैं।

1.3 इसी तरह, किसी मतदाता या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट के साथ आने वाले सुरक्षा कर्मियों को भी मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

1.4 ऊपर वर्णित अनुसार व्यक्तियों के प्रवेश को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए; अन्यथा, मतदान का सुचारू और व्यवस्थित संचालन कठिन हो सकता है। आपको एक बार में केवल तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए।

1.5 यदि आपको मतदान केंद्र में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में संदेह है, तो आप उसकी तलाशी ले सकते हैं, भले ही संबंधित व्यक्ति के पास मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए वैध प्राधिकृत पत्र हो।

1.6 अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आप केवल राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। आपको अपने विभागीय अधिकारियों या मंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं से आदेश नहीं लेना है या कोई पक्षपात नहीं करना है। यहां तक कि इन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश के अनुरोध के मामले में भी, आपको उन्हें तभी अनुमति देनी चाहिए, जब उनके पास राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी एक वैध प्राधिकार पत्र हो।

1.7 एक ग्राम अधिकारी या अन्य अधिकारी या एक महिला सहायक, जिसे आपने मतदाताओं की पहचान में मदद करने के लिए या मतदान में अन्यथा आपकी सहायता करने के लिए नियुक्त किया है, को सामान्य रूप से मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर बैठाया जाना चाहिए। उसे मतदान केंद्र में तभी प्रवेश दिया जाना चाहिए जब उसे किसी विशेष मतदाता की पहचान के लिए या मतदान के संबंध में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपकी सहायता करने की आवश्यकता हो। मतदान केंद्र के अंदर किसी को भी किसी विशेष तरीके से मतदान करने के लिए शब्दों या इशारों से मतदाताओं को प्रभावित करने या प्रभावित करने या ऐसा प्रयास करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सुरक्षाकर्मियों द्वारा मतदान केन्द्र में कार्यवाही पर नजर रखना

मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी निम्नलिखित बातों पर विशेष नजर रखेंगे:-

(i) मतदान के दौरान किसी भी समय मतदान केंद्र के अंदर कोई अनाधिकृत व्यक्ति मौजूद नहीं है।

(II) जब मतदान केंद्र के अंदर कोई मतदाता मौजूद न हो तो मतदान दल या मतदान एजेंट कोई वोट या वोट डालने का प्रयास न करे।

(iii) कोई भी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी किसी मतदाता के साथ मतदान कक्ष में न जाए।

(IV) कोई भी मतदान एजेंट या मतदान अधिकारी किसी मतदाता को न धमकाए नहीं है या उन्हें धमकाने के लिए कोई इशारा करे।

(v) मतदान केंद्र के अंदर कोई हथियार नहीं ले जाया जाए।

(VII) कोई पक्षपात या जालसाजी न हो।

3. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना

3.1 प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को आपके समक्ष नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके द्वारा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने उसे नियुक्त किया है। यह जांचें कि नियुक्ति आपके मतदान केंद्र के लिए है। यह पुष्टि होने के बाद कि आपके मतदान केंद्र के लिए मतदान एजेंट नियुक्त किया गया है, मतदान एजेंट को दस्तावेज़ को पूरा करना चाहिए और आपकी उपस्थिति में घोषणा पर हस्ताक्षर करना चाहिए और फिर उसे मतदान केंद्र में प्रवेश करने देना चाहिए। ऐसे सभी नियुक्ति पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान के अंत में उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को एक लिफाफे में भेज दें।

3.2 आपके सामने प्रस्तुत किए गए किसी भी मतदान एजेंट के नियुक्ति पत्र की सत्यता के बारे में, किसी प्रकार का संदेह होने पर, आपको उम्मीदवार/उसके चुनाव एजेंट के नमूना हस्ताक्षर की तुलना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए उनके नमूना हस्ताक्षरों से करनी चाहिए।

4. मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था

4.1 मतदान केन्द्र की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्रों के अंदर इस प्रकार बैठे कि वे मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही मतदाता का चेहरा देख सकें ताकि यदि आवश्यक हो तो उसकी पहचान को चुनौती दे सकें। उन्हें मतदान केंद्र के अंदर पूरी प्रक्रिया को देखने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें मतदान कक्ष में मतदाता की आवाजाही और मतदान केंद्र से बाहर निकलने के बाद मतदाता वोट दर्ज करना शामिल है। लेकिन उन्हें ऐसी जगह पर नहीं बिठाना चाहिए जहां से उन्हें मतदाता को वास्तव में अपना वोट दर्ज करते हुए देखने का मौका मिल सके।

4.2 ऐसे मतदान केंद्र, जिसमें बहुत कम और अपर्याप्त स्थान है या जहां संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, जिसमें मतदान केन्द्र पर बड़ी संख्या में मतदान एजेंटों की उपस्थिति हो सकती है, ऐसे मामलों में जहां मतदान एजेंटों को समायोजित नहीं किया जा सकता है, वहां उपयुक्त सलाह के लिए आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक से परामर्श किया जाए तथा उनकी सहमति प्राप्त की जाए।

5. मतदान केंद्र के अंदर धूम्रपान वर्जित

मतदान केंद्र के अंदर धूम्रपान की अनुमति नहीं है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके मतदान केंद्र के अंदर कोई धूम्रपान न करे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता धूम्रपान करना चाहता है तो उसे मतदान केन्द्र से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है, जिससे मतदान प्रक्रिया में अव्यवस्था न हो।

अध्याय - आठ

मतदान की शुरुआत से पहले वोटिंग मशीन की स्थापना

1. मतदान से पहले की तैयारी

1.1 वोटिंग मशीन को आपके मतदान केंद्र पर भेजने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर कंट्रोल यूनिट को अपने कार्यालय में तैयार किया जाता है। मतदान केंद्र पर वास्तविक उपयोग में लाने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर कुछ तैयारियां जरूरी हैं। ये तैयारी पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/उनके एजेंटों की उपस्थिति में मतदान शुरू होने से पहले की जानी है।

1.2 आप इन प्रारंभिक तैयारियों को मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम एक घंटे पहले शुरू कर दें, ताकि मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय तक तैयारियां खत्म हो जाएं। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो तो मतदान अभिकर्ता के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए तैयारियों को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई मतदान अभिकर्ता देर से आता है तो फिर से तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए।

2. बैलेट यूनिट पोल की तैयारी

2.1 बैलेट यूनिट पहले से ही रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर सभी तरह से विधिवत तैयार है और मतदान के दिन मतदान केंद्र पर इस यूनिट की कोई और तैयारी की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि इसके इंटरकनेक्टिंग केबल को कंट्रोल यूनिट में प्लग किया जाना है।

2.2 जहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 15 से अधिक है, वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या के आधार पर एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाना है। किसी मतदान केंद्र पर उपयोग की जाने वाली ऐसी सभी मतपत्र इकाइयों को आपस में जोड़ा जाना है और केवल पहली मतपत्र इकाई को नियंत्रण इकाई से जोड़ा जाएगा।

2.3 एक बैलेट यूनिट को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, बैलेट यूनिट के पीछे एक डिब्बे में एक सॉकेट दिया गया है। दूसरी बैलेट यूनिट के इंटरकनेक्टिंग केबल के कनेक्टर को पहली बैलेट यूनिट के उपर्युक्त सॉकेट में प्लग किया जाएगा। इसी तरह, तीसरी बैलेट यूनिट इंटरकनेक्टिंग केबल के कनेक्टर को दूसरी यूनिट में और चौथी यूनिट को तीसरी यूनिट में प्लग किया जाएगा।

2.4 कंट्रोल यूनिट के पिछले हिस्से के ऊपरी भाग में कंपार्टमेंट में 'पावर' स्विच भी होता है और यह स्विच जब 'ऑन' स्थिति में होता है तो वोटिंग मशीन की बैटरी चालू हो जाती है और कंट्रोल यूनिट को भी उर्जा की आपूर्ति करती है।

नोट: (1) जब एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें उपरोक्त अनुसार उचित अनुक्रमिक क्रम में आपस में जोड़ा जाना चाहिए। बैलेट यूनिट को किसी भी तरह से गलत तरीके से जोड़ने से मशीन काम नहीं कर रही है और कंट्रोल यूनिट पर कोई भी बटन दबाने पर 'LE' अक्षर (Link ERROR-: वोटिंग मशीन के अपग्रेडेड मॉडल में) कंट्रोल यूनिट का पैनल डिस्प्ले पर लिंकिंग ERROR को दर्शाता है। । लिंकिंग त्रुटि को उचित अनुक्रमिक क्रम में बैलेट यूनिटों को आपस में जोड़कर ठीक किया जाना चाहिए।

(2) इंटरकनेक्टिंग केबल का कनेक्टर, जिसका एक सिरा बैलेट यूनिट से जुड़ा होता है, एक मल्टी-पिन कनेक्टर होता है। कनेक्टर दूसरे बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट के सॉकेट में केवल एक ही तरीके से जाता है, जिसे पिनो के ओरिएंटेशन को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। कनेक्टर के पिन काफी नाजुक होते हैं और कनेक्टर को सॉकेट में इस तरह से जबरदस्ती नहीं डाला जाना चाहिए कि पिन को नुकसान हो सकता है। मशीन तभी काम करेगी जब कनेक्शन ठीक से हो जाएगा।

(3) इंटरकनेक्टिंग केबल के कनेक्टर को कंट्रोल यूनिट या अन्य बैलेट यूनिट से केवल कनेक्टर हुड के दोनों किनारों पर स्प्रिंग टाइप क्लिप को दबाकर और कनेक्टर को बाहर खींचकर डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। ये स्प्रिंग टाइप क्लिप, जब एक साथ अंदर की ओर दबाए जाते हैं, सॉकेट से कनेक्टर की पकड़ को छोड़ देंगे और फिर स्प्रिंग टाइप क्लिप को दबाए रखते हुए कनेक्टर को बाहर निकाला जाना चाहिए।

(4) बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ने या उन्हें ठीक से डिस्कनेक्ट करने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है ताकि मशीन को कोई नुकसान न हो। इस पहलू को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए और आप स्वयं बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को कनेक्ट करें।

3. कंट्रोल यूनिट की तैयारी

3.1 मतदान केन्द्र पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन पहुंचाने से पहले उसमें रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर बैटरी लगाने और कंट्रोल यूनिट में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित करने के लिए कुछ तैयारियां की जाती हैं। मतदान केन्द्र पर कंट्रोल यूनिट के प्रयोग में लाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी कुछ तैयारी की जानी आवश्यक है।

3.2 पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट पर की जाने वाली तैयारी इस प्रकार है:-

- (i) पहले कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से जोड़ना चाहिए। जहां एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाना है वहां ऊपर बताए अनुसार अन्य बैलेट यूनिट को जोड़ना चाहिए।
- (ii) पावर स्विच को 'चालू' स्थिति में बदलना;
- (iii) ऊपर (i) और (ii) में कार्य करने के बाद पीछे के बॉक्स को बंद करना;
- (iv) मॉक पोल आयोजित करना (जैसा कि अध्याय IX में बताया गया है);
- (v) मॉक पोल के बाद मशीन को क्लियर करना और सभी गणनाओं को शून्य पर सेट करना (जैसा कि अध्याय IX में बताया गया है);
- (vi) पावर स्विच को 'ऑफ' स्थिति में बदलना;
- (vii) परिणाम खंड के आंतरिक बॉक्स को सुरक्षित करने के लिए नीले पेपर सील (सील) को ठीक करना (जैसा कि अध्याय X में बताया गया है);
- (viii) विशेष टैग लगाकर परिणाम बॉक्स के भीतरी दरवाजे को बंद करना और सील करना (जैसा कि अध्याय XI में बताया गया है) और
- (ix) एड्रेस टैग के साथ रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद करना और सील करना (जैसा कि अध्याय XI में बताया गया है)

4. बैटरी 'चालू' करना

वोटिंग मशीन एक बैटरी पर चलती है, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर कंट्रोल यूनिट के 'कैंड सेट सेक्शन' में लगाया जाता है। बैटरी को सक्रिय करने के लिए, जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट (ओं) दोनों को उर्जा की आपूर्ति करेगी, जब ये आपस में जुड़ी हुई हैं, तो कंट्रोल यूनिट के पिछले बॉक्स में एक पावर स्विच दिया गया है। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को आपस में जोड़ने के बाद, आपको पावर स्विच को 'चालू' स्थिति में रखना चाहिए। इसके बाद, कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज निकलेगी और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर 'ऑन' लैंप हरे रंग की चमकने लगेगा।

5. पीछे के कम्पार्टमेन्ट को बंद करना

फिर आपको पीछे के बॉक्स को बंद कर देना चाहिए। इसे मजबूती से बंद रखने के लिए, इस प्रयोजन के लिए दिए गए दो छेदों के माध्यम से पतले तार का एक टुकड़ा या एक मोटा धागा चलाया जा सकता है और तार के सिरों को कुछ मोड़ या एक गाँठ दी जा सकती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि पिछले बॉक्स को सील नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मतदान की समाप्ति के बाद बिजली को 'ऑफ' करने और बैलेट यूनिट को डिस्कनेक्ट करने के लिए इसे फिर से खोलने की आवश्यकता होगी।

अध्याय - IX

मॉक पोल का आयोजन

1. वोटिंग मशीन की 'क्लियरिंग' करना

1.1 मतदान शुरू करने से पहले, आपको न केवल स्वयं को बल्कि मतदान केंद्र पर मौजूद सभी मतदान एजेंटों को भी संतुष्ट करना होगा कि वोटिंग मशीन सही काम कर रही है और मशीन में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं किया गया है।

1.2 सभी उपस्थित लोगों की संतुष्टि के लिए, आपको यह दिखाना चाहिए कि 'क्लियर' बटन दबाकर सभी काउंट्स को जीरो पर सेट कर दिया गया है। कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड में 'क्लियर' बटन दिया गया है। 'क्लियर' बटन तक पहुंचने के लिए, आपको सबसे पहले बाईं ओर दिए गये बटन को थोड़ा अंदर की ओर दबाकर बाहरी कवर को खोलना चाहिए। इसके बाद, परिणाम बटन के ऊपर दो holes के माध्यम से अंगूठा और एक उंगली डालकर और फिर अंदर के बटन को एक साथ थोड़ा अंदर की ओर दबाकर और दरवाजे को ऊपर खींचकर इनर सेक्शन खोला जा सकता है। किसी भी मामले में, इस इनर सेक्शन को ऊपर वर्णित तरीके से बटन को दबाए बिना जबरदस्ती नहीं खोला जाए, अन्यथा सबसे महत्वपूर्ण कम्पार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

1.3 जब 'क्लियर' बटन दबाया जाता है, तो कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से होगी:-

(यदि मशीन 9 उम्मीदवारों के लिए सेट है।)	0-9
01	0
02	00
03	0
04	0
05	0
06	0
07	0
08	0
09	0
	अंत

(हर संकेत के बाद बीप की आवाज आती है)

नोट: यदि 'क्लियर' बटन दबाने पर, डिस्प्ले पैनल ऊपर बताए अनुसार जानकारी प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि मशीन को clear करने के लिए आवश्यक पहले के कुछ कार्य नहीं किए गए हैं। मशीन को clear करने के लिए, सुनिश्चित करें कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को ठीक से जोड़ा गया है। 'बंद' बटन दबाएं और उसके बाद परिणाम I बटन दबाएं। अब 'क्लियर' बटन दबाएं, डिस्प्ले पैनल ऊपर बताए अनुसार जानकारी प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे।

1.4 डिस्प्ले पैनल पर उपरोक्त जानकारी मतदान केंद्र पर मौजूद मतदान एजेंटों को संतुष्ट करेगी कि मशीन में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं किया गया है।

2.मॉक पोल:

2.1 यह दिखाने के बाद कि मशीन में पहले से ही कोई वोट दर्ज नहीं है, आपको प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालकर एक मॉक पोल करना चाहिए, यदि किसी उम्मीदवार का कोई मतदान एजेंट उपस्थित नहीं है, तो आपको ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में कुछ मत डालने चाहिए। फिर मशीन में दिखाए गए परिणाम का मिलान किया जाना चाहिए।

2.2 इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य करें:-

(ए) कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन पर 'बैलेट' बटन दबाएं। 'बैलेट' बटन दबाने पर डिस्प्ले सेक्शन में 'व्यस्त' लैंप लाल रंग में चमकेगा। साथ ही बैलेट यूनिट का 'रेडी' लैम्प भी हरा चमकने लगेगा।

(बी) किसी भी मतदान एजेंट को अपनी पसंद के अनुसार, बैलेट यूनिट पर उम्मीदवार के किसी भी नीले बटन को दबाने के लिए कहें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नीले (unmasked) बटन को कम से कम एक बार दबाया जाए, ताकि प्रत्येक unmasked बटन का परीक्षण किया जा सके कि सभी unmasked बटन सही से काम कर रहे हैं।

(सी) किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के पश्चात् बैलेट यूनिट पर 'रेडी' लैम्प बंद हो जाएगा और बटन के पास उम्मीदवार का लैम्प लाल चमकने लगेगा। साथ ही कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ सेकंड के बाद यह लाल बत्ती और बीप की आवाज बंद हो जाएगी। यह इस बात का संकेत होगा कि जिस उम्मीदवार का नीला बटन दबाया गया है, उसका वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो गया है और मशीन अब अगला वोट दर्ज करने के लिए तैयार है।

(डी) शेष उम्मीदवारों में से प्रत्येक के लिए एक या अधिक वोट दर्ज करने के लिए पिछले पैरा (ए), (बी) और (सी) में बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए पक्ष में दर्ज किए गए मतों का सावधानीपूर्वक लेखा-जोखा रखें।

(ई) जब वोट इस प्रकार दर्ज किए जा रहे हों, तो किसी भी समय यह सत्यापित करने के लिए कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन पर 'टोटल' बटन दबाएं कि मशीन में दर्ज कुल वोट उस समय तक डाले गए वोटों की संख्या से मेल खाते हैं।

नोट: किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट दर्ज होने के बाद ही 'टोटल' बटन दबाया जाना चाहिए तथा डिस्प्ले सेक्शन में 'busy' लैंप बंद हो ।

(एफ) मॉक पोल के अंत में, परिणाम अनुभाग में क्लोज बटन दबाएं। 'क्लोज' बटन को दबाए जाने पर, डिस्प्ले सेक्शन में डिस्प्ले पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से दिखाएगा:

-

MC	1
उम्मीदवार	9
डाले गये मतों की संख्या	54
	अंत

(यदि डाले गए मतों की संख्या 54 है)

नोट: समय की उपलब्धता के अधीन, मॉक पोल में अधिक मतों की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज मतों की संख्या समान हो।

(छ) अब परिणाम अनुभाग में परिणाम I चिह्नित बटन दबाएं। उस बटन को दबाए जाने पर, डिस्प्ले पैनल क्रमिक रूप से निम्नलिखित जानकारी दिखाना शुरू कर देंगे: -

कुल उम्मीदवार	9
1	6
2	6
3	6
4	6
5	6
6	6
7	6
8	6

9	6
	end

(यह केवल एक उदाहरण है)

(ज) इसके बाद मॉक वोटिंग के दौरान रिकॉर्ड किए गए वोटों का कंट्रोल यूनिट से हटाने के लिए 'क्लियर' बटन दबाएं। 'क्लियर' बटन दबाने पर, डिस्प्ले पैनल में सभी काउंट्स ऊपर पैरा 1.3 में बताए अनुसार जीरो दिखाएंगे।

(i) यदि मतदान के पहले घंटे के भीतर आप या प्रेक्षक द्वारा यह देखा जाता है कि मॉक पोल के परिणाम को सील करने से पहले कंट्रोल यूनिट से clear नहीं किया गया है और यूनिट को सील करने के बाद वास्तविक मतदान शुरू हो गया है, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए, और ऐसी घटना की सूचना आगे के निर्देश के लिए रिटर्निंग अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

अध्याय - X

कंट्रोल यूनिट में ब्लू पेपर सील लगाना


1. ब्लू पेपर से कंट्रोल यूनिट को सील करना ।

1.1 एक बार कंट्रोल यूनिट को सील करने और मतदान शुरू होने के बाद कोई भी वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ न कर सके।

1.2 कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन के इनर बॉक्स में पेपर सील लगाने के लिए एक फ्रेम प्रदान किया गया है। कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन के भीतरी सेक्शन की तरफ दिए गए फ्रेम में ब्लू पेपर की सील लगाने से पहले, आपको पेपर सील की कागज की सील की सफेद सतह पर क्रम संख्या के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए। । इस सील पर उपस्थित उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंटों के भी हस्ताक्षरित करवाए जाए। पीठासीन अधिकारी को यह सत्यापित करना चाहिए कि पेपर सील पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर उनके नियुक्ति पत्रों पर उनके हस्ताक्षर से मेल खाते हैं।

1.3 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलूर द्वारा निर्मित वोटिंग मशीनों में दो पेपर सील लगाने की व्यवस्था है और तदनुसार दो पेपर सील का उपयोग वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट में किया जाना है।

1.4 सील को इतना स्थिर किया जाना चाहिए कि उसकी नीली सतह बाहर से hole के माध्यम से दिखाई दे। जब वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट पर ब्लू पेपर की सील लगाई जाती है, तो वह नीचे दी गई तस्वीर की तरह दिखाई देगी:-



बीईएल मशीन

(यद्यपि तस्वीर में हरी पेपर सील दिखाई गयी है परन्तु ब्लू पेपर सील उपलब्ध करवाई जाएगी)

1.5 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्षतिग्रस्त पेपर सील का उपयोग न किया जाए यदि फिक्सिंग की प्रक्रिया में कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। पेपर सील को ठीक करने के बाद भीतरी सेक्शन के दरवाजे को दबा कर बंद कर दे।

इसे इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि पेपर सील के दोनों किनारे भीतरी सेक्शन से बाहर की ओर हों ।

2. ब्लू पेपर सील का लेखा जोखा रखना ।



2.1. आपको मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए प्रदान की गयी पेपर सील का सही लेखा जोखा प्रपत्र 43 ए के भाग I के क्रमांक 9 पर रखना होगा जिसमे वास्तव में उपयोग की गयी पेपर सील, क्षतिग्रस्त पेपर सील तथा शेष पेपर सील का पूर्ण ब्यौरा होना चाहिए ।

2.2. आपको उपस्थित उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंटों को वास्तव में उपयोग की जाने वाली पेपर सील की क्रम संख्या को नोट करने की अनुमति देनी चाहिए।

अध्याय - XI

नियंत्रण इकाई को बंद करना और सील करना

1. विशेष टैग: यह निम्नानुसार दिखता है: -



इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में उपयोग किए जाने वाले विशेष टैग का आकार 7.5 सेमी x 5.5 है। इसकी मोटाई पोस्टकार्ड की मोटाई के बराबर है। इसके दाहिने तरफ कोने पर एक छेद होता है, ताकि सीलिंग धागे को पार करना आसान हो सके। इसके अलावा, छेद के नीचे दाहिनी ओर विशेष टैग पर एक खांचा काट दिया गया है जो परिणाम सेक्शन के साथ फिट होने के लिए पर्याप्त है। स्पेशल टैग के बीच में एक ओपनिंग भी होती है, ताकि जब रिजल्ट सेक्शन के "CLOSE" बटन कंपार्टमेंट में टैग फिक्स हो जाए, तो "CLOSE" बटन दिखाई दे ताकि 'क्लोज' बटन तक पहुँचा जा सके।

कंट्रोल यूनिट संख्या:

1.2 विशेष टैग का उपयोग करने से पहले, आप विशेष टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रमांक लिखेंगे।

स्पेशल टैग पर हस्ताक्षर:

1.3 स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रमांक लिखने के बाद आप अपने हस्ताक्षर स्पेशल टैग के पिछली साइड पर करेंगे तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों, जो मतदान केंद्र में मौजूद हैं उन्हें भी मतदान शुरू होने से पहले, यदि वे चाहें तो अपने हस्ताक्षर करने के लिए कहें। आपको विशेष टैग पर पूर्व-मुद्रित क्रमांक को भी पढ़ना चाहिए और चुनाव लड़ने वाले

उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों से, जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं जिन्होंने विशेष टैग के पीछे अपने हस्ताक्षर किए हैं, उस क्रमांक को नोट करने के लिए कहें। .

1.4 विशेष टैग का उपयोग आपके और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों द्वारा ब्लू पेपर सील पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के बाद 'क्लियर' और 'रिजल्ट' बटन पर भीतरी सेक्शन को सील करने के लिए किया जाता है ताकि कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को सील किया जा सके। "क्लियर" बटन और "रिजल्ट" बटन के ऊपर के इनर बॉक्स के दरवाजे को इस तरह से दबाया और बंद किया जाना चाहिए कि पेपर सील के दो खुले सिरे आंतरिक छोर के किनारों से बाहर की ओर बढ़ते रहें तत्पश्चात इस भीतरी सेक्शन को विशेष टैग से सील कर देना चाहिए। इसके लिए आप रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए आपूर्ति किए गए उच्च गुणवत्ता वाले सुतली धागे को आंतरिक दरवाजे में दिए गए दो छेदों और विशेष टैग में दिए गए छेद के माध्यम से पास करें।

1.5 आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में खराब या फटे विशेष टैग का उपयोग न किया जाए। यदि विशेष टैग खराब या फटा हुआ है, तो आपको दूसरे टैग का उपयोग करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए "ब्लू पेपर सील्स" की तरह, रिटर्निंग ऑफिसर ने आपको 3 या 4 'विशेष टैग' प्रदान किए हैं।

1.6 यह सब करने के बाद, धागे को एक गाँठ में बाँध लें और धागे को विशेष टैग पर सीलिंग वैक्स से सील कर दें। तत्पश्चात सील को तोड़े बिना, आपको विशेष टैग को "क्लोज़बॉक्स" में इस तरह से समायोजित करना चाहिए कि क्लोज बटन के बीच में इस उद्देश्य के लिए काटे गये छेद से क्लोज बटन बाहर दिखे।



भीतरी दरवाजे को धागे से बंद करना

बीईएल मशीन

2. परिणाम अनुभाग के बाहरी सेक्शन को बंद करना और सील करना:

2.1 कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के आंतरिक बॉक्स को बंद और सील करने के बाद, परिणाम खंड के बाहरी सेक्शन के उस खंड को बंद करने के लिए सही रूप से दबाए। उस बाहरी सेक्शन को दबाने से पहले, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कागज की सील के दो खुले सिरे अभी भी बाहरी छोर के दोनों ओर से बाहर की ओर निकले हैं।

2.2 परिणाम खंड के बाहरी सेक्शन को बंद करने के बाद, उस कवर को बाहरी सेक्शन के बाईं ओर से दो छेदों के माध्यम से एक धागा पास करे। धागे को एक गाँठ में बांधकर सील कर दे। जिस तरह से रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर 'कैंड सेट सेक्शन' को (एड्रेस टैग) से धागे और मोम से सील किया गया है ठीक उसी तरह धागे और मोम से पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ एड्रेस टैग के साथ सील करे जैसा कि नीचे दिखाया गया है: -



(यद्यपि तस्वीर में हरी पेपर सील दिखाई गयी है परन्तु ब्लू पेपर सील उपलब्ध करवाई जाएगी)

2.3 रिटर्निंग अधिकारी पर्याप्त संख्या में खाली मुद्रित एड्रेस टैग प्रदान करेगा। एड्रेस टैग में विवरण आप द्वारा सावधानीपूर्वक भरे जाने चाहिए। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट का क्रमांक कंट्रोल यूनिट के निचले भाग पर अंकित होता है।

2.5 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंटों, जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, को भी एड्रेस टैग पर अपनी मुहर लगाने के पश्चात् उन्हें भी अपने हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाना चाहिए।

2.6 इनर कंपार्टमेंट और बाहरी कवर को इस तरह बंद करने और सील करने से परिणाम अनुभाग को सील और सुरक्षित कर दिया जाता है और जो वोट कंट्रोल यूनिट द्वारा दर्ज किए जाएंगे, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

कंट्रोल यूनिट को सील करने की पूरी विधि

आसानी से समझने के लिए, आपके द्वारा मतदान केंद्र पर सील लगाने तक उठाए जाने वाले कदमों का पूरा अनुक्रमिक क्रम नीचे दिया गया है:-

(i) वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले, आप एक **मॉक पोल करेंगे**।

(ii) मॉक पोल करने और परिणाम दिखाने के बाद, आप "क्लियर" बटन को संचालित करके मॉक पोल से संबंधित डेटा कंट्रोल यूनिट से हटा देंगे।

(iii) डेटा को clear करने के बाद आप कंट्रोल यूनिट को बंद कर देंगे और फिर रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी सेक्शन को कवर करने के लिए ब्लू पेपर सील (बीईएल मशीनों के मामले में दो सील) डालेंगे। ब्लू पेपर सील लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सील का नीला भाग बंद होने के बाद भीतरी दरवाजे की खिड़कियों से बाहर से दिखाई दे।

(iv) ब्लू पेपर सील लगाने के बाद परिणाम बटन के ऊपर के भीतरी सेक्शन को बंद कर दिया जाएगा।

(v) फिर परिणाम सेक्शन के भीतरी दरवाजे को विशेष टैग के साथ बंद कर दिया जाएगा।

(vi) विशेष टैग लगाने के बाद, आप परिणाम अनुभाग के बाहरी दरवाजे को यह सुनिश्चित करते हुए बंद कर देंगे कि नीले पेपर सील के ढीले सिरे अभी भी बंद बाहरी दरवाजे के दोनों ओर से बाहर निकले हुए हैं [देखें फोटो-बीईएल मशीन]।

(vii) फिर आप बाहरी दरवाजे को धागे और एड्रेस टैग से सील कर देंगे।

3. सील को ठीक करने के बाद कंट्रोल यूनिट पर पावर स्विच ऑन करे

कंट्रोल यूनिट को सील करने के बाद, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मतदान के दौरान सील क्षतिग्रस्त या सील से छेड़छाड़ न हो और मतदान के दौरान या मतदान के बाद इस सील को मतदान केंद्र में नहीं हटाया जाएगा।

3.1 मतदान के अंत में निर्धारित समय पर, आप "क्लोज़" बटन को कवर करने वाली रबर कैप को हटा दें और पोल को बंद करने और रबर कैप को बदलने के लिए "क्लोज़" बटन दबाएं। मतदान के अंत में अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, आप कंट्रोल यूनिट को उसके कैरिंग केस में सावधानी से पैक करेंगे और कैरीइंग केस को एड्रेस टैग से सील कर देंगे। इस सीलबंद कैरी केस को स्ट्रांग रूम (क्लेक्शन सेंटर) में जमा करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ स्ट्रांग रूम (क्लेक्शन सेंटर) में पहुंचाया जाएगा।

3.2 . मतगणना के दिन, कंट्रोल यूनिट को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/मतगणना एजेंटों द्वारा जांच करने की अनुमति दी जाएगी, जो मतगणना टेबल पर मौजूद हैं। उसके बाद ही सील को इस बात का ध्यान रखते हुए हटाया जाएगा कि नीले कागज की सील क्षतिग्रस्त न हो। बाहर उभरी हुई नीली कागज की सीलों की जांच करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के बाहरी दरवाजे पर लगी थ्रेड सील को खोला जाएगा।

4. वास्तविक मतदान के लिए तैयार वोटिंग मशीन

9.1 वोटिंग मशीन अब वास्तविक मतदान के लिए उपयोग के लिए हर तरह से तैयार है।

9.2 मतदान शुरू करने से पहले, आपको सभी बैलट यूनिट को संबंधित मतदान कक्ष के अंदर रखना चाहिए। ईवीएम को मतदान कक्ष में रखते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

11. पैनल पर दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले अनुलग्नक- XV के रूप में संलग्न हैं।

अध्याय - XII

मतदान की शुरुआत

1. मतदान का प्रारंभ

मतदान नियत समय पर शुरू होना चाहिए तथा तब तक आपकी प्रारंभिक तैयारी समाप्त हो जानी चाहिए। यदि किसी अप्रत्याशित कारण से आप नियत समय पर मतदान शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं, तो आपको अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी में देरी के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए।

2. मतदान की गोपनीयता की चेतावनी

मतदान शुरू करने से पहले, आपको मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंटों सहित सभी को अधिनियम की धारा 22 (अनुलग्नक I) के प्रावधानों को वोट की गोपनीयता बनाए रखने के उनके कर्तव्य के बारे में और उसके उल्लंघन पर दंड के बारे में भी बताना होगा। ।

3. अमिट स्याही के लिए सावधानियां

अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी को पर्याप्त सावधानी बरतने के लिए कहें । अमिट स्याही वाली शीशी को इस तरह से रखा जाए है कि वह झुके नहीं और मतदान के दौरान स्याही न गिरे। इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कप /गिलास में कुछ रेत या मिट्टी लें, और शीशी को उसकी लंबाई के तीन-चौथाई हिस्से रेत या मिट्टी में डालें ताकि यह स्थिर रहे । यह भी सुनिश्चित करें कि कॉर्क से जुड़ी प्लास्टिक की छड़ को शीशी में खड़ा रखा गया है । छड़ को हमेशा नीचे की ओर इंगित करते हुए इसके अंकन के अंत के साथ रखा जाना चाहिए। नहीं तो कुछ स्याही रॉड के नीचे टपक जाएगी और इसका इस्तेमाल करने वाले की उंगलियों को खराब कर देगी।

4. मतदाता सूची की चिह्नित प्रति

मतदान शुरू होने से पहले, आपको चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों और अन्य व्यक्तियों, जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, को भी प्रदर्शित करना चाहिए कि मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली की प्रति जिसे 'चिह्नित' करने के लिए उपयोग किया जाता है) में उन मतदाताओं के नाम जिन्हें पोल ड्यूटी बैलेट पेपर/ईडीसी वोट देने की अनुमति है के अलावा कोई अन्य टिप्पणी नहीं है।

5. मतदाता रजिस्टर 26 क में मतदाताओं का पंजीकरण

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों और अन्य सभी मतदाता जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं उन्हें मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26ए), दिखाए कि इस मतदाता रजिस्टर में प्रत्येक मतदाता के संबंध में प्रविष्टियां की जाएंगी, जिन्हें वोट देने की अनुमति है और उनके हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान प्राप्त) में पहले से ही किसी मतदाता के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है।

6. मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित किया जाएगा

6.1 पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें होनी चाहिए। कतार लगाने वाले व्यक्ति एक बार में या आपके निर्देशानुसार तीन या चार मतदाताओं को मतदान केंद्र में आने देंगे। आने की प्रतीक्षा कर रहे अन्य मतदाताओं को बाहर कतार में खड़ा किया जाना चाहिए। अस्वस्थ/ वृद्ध मतदाताओं और हाथ में बच्चों वाली महिला मतदाताओं को कतार में लगे अन्य मतदाताओं की तुलना में वरीयता दी जा सकती है। पुरुष और महिला मतदाताओं को वैकल्पिक बैचों में मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाना चाहिए। पुरुष मतदाताओं के लिए या महिला मतदाताओं के लिए एक से अधिक कतार के गठन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6.2 आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए प्राथमिकता दी जाए और उन्हें आवश्यक सहायता मतदान केंद्र पर प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अलग कतार बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.3 आपके मतदान केंद्र में यदि रैम्प उपलब्ध नहीं कराया गया है तो अस्थायी लकड़ी के रैंप की व्यवस्था करें।

6.4 आपको श्रवण दोष एवम दृष्टि बाधित वाले मतदाताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

अध्याय-XIII

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षाकर्मों

1. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा सुरक्षा उपायों के रूप में घोषणाएं:

मतदान शुरू होने से पहले आपको अनुलग्नक VI भाग I में निर्धारित घोषणा को पढ़ना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने मतदान मशीन के प्रदर्शन के संबंध में पूर्वगामी अध्यायों में निहित निर्देशों का विधिवत पालन किया है। मतदाता सूची की चिह्नित प्रति और मतदाता रजिस्टर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों / मतदान एजेंटों को दिखाया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय जैसे ब्लू पेपर सील एवं स्पेशल टैग पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों / मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करना और उन्हें अपने सीरियल नंबर को नोट करने की अनुमति देना आदि। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 22 के प्रावधानों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। आपको मतदान केंद्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों की सुनवाई के लिए घोषणा को जोर से पढ़कर सुनाना चाहिए और घोषणा पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उस पर चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए जो मतदान केंद्र में मौजूद हैं। यदि कोई मतदान अभिकर्ता घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसका नाम उसमें दर्ज किया जाना चाहिए।

2. नई वोटिंग मशीन के प्रयोग के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

मतदान के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं, जिसके तहत नई वोटिंग मशीन का उपयोग करना आवश्यक हो। ऐसी परिस्थितियों में, आपको अनुबंध VI के भाग II में निर्धारित एक और घोषणा को फिर से पढ़ना होगा। मतदान के अंत में, आपको अनुलग्नक VI के भाग III में उसी तरह से एक और घोषणा दर्ज करनी चाहिए। घोषणा को एक अलग पैकेट में रखा जाएगा और मतदान के समापन के बाद दर्ज किए गए वोटों के खाते और फॉर्म 43 ए में पेपर सील खाते के साथ रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाएगा।

अध्याय - XIV

मतदान केंद्र और उसके आसपास चुनाव कानून को लागू करना

1. आवश्यक निष्पक्षता और मर्यादा एवं गरिमा का रखरखाव:

1.1 सभी पार्टियों और उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करें और हर विवादित बिंदु पर निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय लें। आपकी चतुराई, दृढ़ता और निष्पक्षता शांति भंग के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि न तो आप और न ही आपके मतदान केंद्र पर किसी अन्य अधिकारी को ऐसा कोई कार्य करना चाहिए, जिसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के रूप में समझा जाए।

1.2 इसके अलावा, आपको और आपके मतदान केंद्र के अन्य अधिकारियों को अपेक्षित शिष्टता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आप या आपके मतदान केन्द्र पर कोई अधिकारी किसी अशोभनीय गतिविधि में शामिल न हो।

2. मतदान केंद्रों में या उसके आसपास प्रचार करने पर प्रतिबंध:

मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में प्रचार करना चुनाव कानून के तहत अपराध है। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 24 के तहत दंडित किया जा सकता है (अनुबंध I देखें)।

3. मतदान केंद्र में या उसके आस-पास अव्यवस्थित आचरण:

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 25 में निहित प्रावधानों को लागू करें, यदि कोई व्यक्ति अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करता है, तो आप उसे उसी समय एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं। पुलिस के पास ऐसे कदम उठाने और इस तरह के व्यवहार को रोकने के लिए उचित रूप से आवश्यक बल का प्रयोग करने की शक्ति है। हालाँकि, इन शक्तियों का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब अनुनय और चेतावनी अप्रभावी साबित हो।

4. बाधाओं को हटाना:

कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान अव्यवहार करता है या आपके वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो आपके आदेश पर उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या आपके

द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र से हटाया जा सकता है (हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 26 देखें-)।

5. चुनाव में अवैध रूप से वाहन का प्रयोग

यदि आपको शिकायत प्राप्त होती है कि मतदाताओं को उनके घरों से मतदान केंद्र और वापस ले जाने के लिए अवैध रूप से वाहन का प्रयोग किया जा रहा है तो उन्हें बताएं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 30-ई के तहत आरोपी पर अपराधिक मुकदमा चलाने की कार्रवाई की जा सकती है।

6. मतदान केंद्र से वोटिंग मशीन को हटाना अपराध

कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी चुनाव में धोखे से या अनधिकृत रूप से मतदान केंद्र से वोटिंग मशीन उठा लेता है या उठाने का प्रयास करता है या जानबूझकर ऐसे किसी कार्य को करने में सहायता करता है या उकसाता है, तो यह हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 28 के अन्तर्गत दंडनीय होगा जिसके तहत पांच सौ रुपये जुर्माना या एक वर्ष तक कारावास या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं और इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

7. चुनाव अधिकारियों द्वारा आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन

आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 27 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो यह प्रावधान करता है कि यदि कोई निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन या मतदान अधिकारी और, चुनाव से संबंधित किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के अपने आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन में किसी भी कार्य, या यहां तक कि किसी भी चूक के दोषी पाए जाते हैं, तो यह एक संज्ञेय अपराध है।

8. किसी मतदान केन्द्र पर या उसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबन्ध

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 30-जी के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कोई अन्य व्यक्ति, सिवाए उसके जिसे को मतदान केंद्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया है, के अतिरिक्त मतदान के दिन किसी मतदान केंद्र के आस-पास किसी भी प्रकार के शस्त्र अधिनियम, 1959 में परिभाषित हथियारों से लैस होकर नहीं जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय है।

अध्याय -XV

चुनौती के मामले में मतदाता की पहचान और प्रक्रिया का सत्यापन

मतदान केंद्र पर आप निर्वाचकों की पहचान के लिए आपकी सहायता के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC), नगरपालिका चुनाव के मतदान के दौरान पहचान का वैध प्रमाण होगा। मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में मामूली लिपिकीय और मुद्रण त्रुटियों को नजरअंदाज कर दे यदि आप संतुष्ट हैं कि यह व्यक्ति वही है जिससे प्रविष्टि संबंधित है।

1. मृत, अनुपस्थित और कथित रूप से फर्जी मतदाताओं की सूची।

यह अपेक्षा की जाती है कि कोई मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित और फर्जी मतदाताओं के नामों की सूची की एक प्रति ला सकता है। उम्मीदवार या उसका एजेंट आपको इसी तरह की सूची प्रदान कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करता है जिसका नाम उस सूची में उल्लिखित है, तो आप उस व्यक्ति की पहचान उसके चुनावी फोटो पहचान पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करें।

2. मतदाता की पहचान को चुनौती देना

प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और अपनी पहचान का प्रमाण देने में सक्षम है वह चुनाव में मतदान करने का हकदार है जब तक कि किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव या मतदान एजेंटों द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जाती है, या जब तक आप स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते कि वह एक फर्जी मतदाता है। आमतौर पर यह माना जाना चाहिए कि मतदाता होने का दावा करने वाला व्यक्ति सही है। यदि कोई चुनौती है या यदि आप आसपास की परिस्थितियों से व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई संदेह अनुभव करते हैं, तो आपको एक संक्षिप्त पूछताछ करनी चाहिए और इस मामले में निर्णय लेना चाहिए। (हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 का नियम 71 देखें)

3. चुनौती शुल्क

आपको किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव/मतदान एजेंट द्वारा मतदाता की पहचान के लिए किसी भी चुनौती पर तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि चुनौती देने वाला बीस रुपये नकद का भुगतान न कर दे। राशि का भुगतान करने के बाद, चुनौती देने वाले को एक रसीद प्रस्तुत करें। प्रतिरूपण के लिए दंड के बारे में चुनौती देने वाले व्यक्ति को चेतावनी दें, मतदाता सूची में प्रासंगिक प्रविष्टि को पूरा पढ़ें और उससे पूछें कि क्या वह उस प्रविष्टि में

निर्दिष्ट व्यक्ति है, चुनौती वाले वोटों की सूची में उसका नाम और पता दर्ज करें (फॉर्म 42) और उसे हस्ताक्षर करने या अपने अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहें। अगर वह ऐसा करने से मना करता है तो उसे वोट न देने दें।

4. संक्षिप्त पूछताछ

पहले चुनौती देने वाले से यह दिखाने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहें कि चुनौती देने वाला व्यक्ति वह मतदाता नहीं है जिसका वह दावा करता है। यदि चुनौती देने वाला अपनी चुनौती के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनौती को अस्वीकार करें और चुनौती दिए गए व्यक्ति को मतदान करने दें। यदि चुनौती देने वाला प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सफल हो जाता है तो आपको मतदाता को चुनौती का खंडन करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहना चाहिए यानी यह साबित करने के लिए कि वह वही मतदाता है जिसका वह दावा करता है। अगर वह इस तरह के सबूतों से अपना दावा साबित करता है, तो उसे वोट देने की अनुमति दें। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो मान लें कि चुनौती स्थापित हो गई है। पूछताछ के दौरान, आप ग्राम अधिकारी, मतदाता के पड़ोसियों और मतदान केंद्र पर मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से सही तथ्य का पता लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। साक्ष्य लेते समय, आप चुनौती देने वाले व्यक्ति या साक्ष्य देने की पेशकश करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकते हैं। यदि चुनौती सिद्ध हो जाती है, तो आपको उस व्यक्ति को इयूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को अपनी शिकायत के साथ जिस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में मतदान केंद्र आता है सौंप देना चाहिए, जैसा कि अनुबंध VII में दर्शाया गया है।

5. नामावली में लिपिकीय और मुद्रण त्रुटियों पर ध्यान न दिया जाना

मतदाता सूची में दर्ज मतदाता के संबंध में विवरण कभी-कभी गलत तरीके से मुद्रित होते हैं या पुराने हो जाते हैं जैसे मतदाता की सही उम्र के बारे में। मतदान में किसी मतदाता से संबंधित किसी भी प्रविष्टि में केवल लिपिकीय और मुद्रण त्रुटियों को नजरअंदाज करना चाहिए, बशर्ते कि आप मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के अनुसार मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में संतुष्ट हों।

6. मतदाता के पंजीकरण के तथ्य पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए

जब तक आपकी संतुष्टि के लिए मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है, उसे वोट देने का अधिकार है। ऐसे व्यक्ति के मतदाता होने की पात्रता के बारे में मतदान केन्द्र पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप इस प्रश्न की कोई जांच करने के हकदार नहीं हैं कि क्या वह 18 वर्ष से अधिक आयु का है या सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र में रहता है।

7. मतदाता की उसकी उम्र के बारे में घोषणा

7.1 लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे आप अहर्ता आयु से काफी कम मानते हैं, आपको उसके मतदाता होने के दावे से संबंधित मतदाता सूची में प्रविष्टि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से संतुष्ट होना चाहिए।

7.2 यदि आप प्रथम दृष्टया उसकी पहचान और उसके नाम को मतदाता सूची में शामिल करने के तथ्य से संतुष्ट हैं, लेकिन उसे न्यूनतम मतदान आयु से कम मानते हैं, तो आपको उस मतदाता से उसकी उम्र के बारे में अनुबंध VIII में एक घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। आयोग द्वारा निर्धारित अहर्ता दिनांक को निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली तैयार/संशोधित की गई है।

7.3 आपको उन मतदाताओं की सूची भी तैयार करनी चाहिए जिनसे आपने अनुबंध IX के भाग I में ऐसी घोषणाएं प्राप्त की हैं। आपको उन मतदाताओं की उक्त अनुलग्नक IX के भाग II में एक सूची भी रखनी चाहिए जो उपरोक्त घोषणा देने से इनकार करते हैं और अपना वोट डाले बिना चले जाते हैं। मतदान समाप्त होने के बाद, उपरोक्त सूची और घोषणाओं को एक साथ एक अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए।

अध्याय - XVI

वोट दर्ज करने की प्रक्रिया

1. मतदाता की बायीं तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का प्रयोग:

प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाने के बाद दूसरा मतदान अधिकारी निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी को अमिट स्याही से इस तरह से चिह्नित करेगा कि एक स्पष्ट निशान रह जाए। यदि कोई मतदाता निर्देश के अनुसार अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण या निशान लगाने से इनकार करता है या उसकी बाईं तर्जनी पर पहले से ही ऐसा निशान है या स्याही हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, तो उसे वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1.1 यदि यह देखा जाता है कि किसी मतदाता ने अपनी उंगली पर लगाए जाने वाले अमिट स्याही के निशान को बेअसर करने के लिए अपनी उंगली पर कोई तैलीय या चिकना पदार्थ लगाया है, तो ऐसे तैलीय या चिकने पदार्थ को मतदान अधिकारी द्वारा कपड़े मदद से हटा दिया जाना चाहिए तत्पश्चात उस मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाना चाहिए ।

1.2 फॉर्म 26ए में मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करने से पहले अमिट स्याही का निशान लगाना आवश्यक है, ताकि जब तक मतदाता अपना वोट डालने के बाद मतदान केंद्र को छोड़ दे, तब तक पर्याप्त समय हो कि अमिट स्याही सूख जाए और अमिट स्याही का निशान पक्का हो जाए ।

2. नया मतदान (पुनः मतदान)/काउंटरमांड मतदान पर अमिट स्याही का प्रयोग

यह स्पष्ट किया जाता है कि नए मतदान (पुनः मतदान)/प्रतिमांडित मतदान के समय, मूल मतदान के दौरान अमिट स्याही से किए गए अंकन को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और अमिट स्याही के साथ ताजा अंकन मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर इस तरह लगाया जाना चाहिए जिस तरह से एक स्पष्ट निशान बन जाए ।

3. अमिट स्याही का प्रयोग जब निर्वाचक की कोई बायीं तर्जनी न हो

यदि किसी मतदाता की बायीं तर्जनी गायब है, तो बायीं तर्जनी के लिए किए गए किसी भी संदर्भ को मध्यमा उंगली के संदर्भ के रूप में माना जाए, जिसमें विफल होने पर, अनामिका द्वारा, जिसमें विफल होने पर, तर्जनी द्वारा, असफल होने पर भी, अंगूठे से और उस मामले में जहां उसके बाएं हाथ की सभी उंगलियां गायब हैं, उसी क्रम में उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी अन्य अंगुलियों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, जैसा कि यहां बताया गया है और उस मामले में, जहां दोनों हाथों की सभी उंगली गायब हैं, इसे उसके बाएं या दाएं हाथ के ऐसे शेष भाग के संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए जो उसके पास उपलब्ध है।

4. मतदाता के मतदाता सूची के क्रमांक को वोटर रजिस्टर में दर्ज करना

4.1 दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से चिह्नित किए जाने के बाद तीसरा मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता का इन्द्राज 'मतदाताओं के रजिस्टर' (फॉर्म 26 ए) में कटेगा और रजिस्टर पर मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेना होगा।

4.2 मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता रजिस्टर में निम्नलिखित तरीके से रखा जाएगा: -

(i) मतदाताओं के रजिस्टर के कॉलम (1) में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से शुरू करते हुए लगातार क्रम में निर्वाचकों के क्रमांक लिखेंगे। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में 10 क्रमांक होते हैं। यदि क्रमांक पहले से कॉलम (1) में मुद्रित नहीं हैं, तो वह मतदान प्रारंभ होने पर कुछ पृष्ठों पर पहले से ही ऐसे क्रमांकों को लिख सकता है।

(ii) उक्त रजिस्टर के कॉलम (2) में मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति में अंकित मतदाता की मतदाता सूची संख्या (अर्थात् क्रमांक) अंकित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि मतदान शुरू होने पर मतदान केंद्र पर मतदान करने वाले पहले मतदाता का नाम मतदाता सूची की अंकित प्रति में क्रमांक 756 पर दर्ज किया जाता है, तो मतदान अधिकारी पहले कॉलम में क्रमांक 1 के सामने क्रमांक 756 लिख देगा। इसी प्रकार, यदि मतदाता सूची में क्रमांक 138 पर दूसरे मतदाता का नाम दर्ज है, तो दूसरा मतदान अधिकारी रजिस्टर के कॉलम 1 में क्रमांक 2 के सामने कॉलम 2 में क्रमांक 138 लिखेगा, इत्यादि।

4.3 किसी मतदाता के संबंध में रजिस्टर के कॉलम (1) और (2) को ऊपर वर्णित तरीके से भरने के बाद, उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान उस रजिस्टर के कॉलम (3) में मतदान अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

5. निर्वाचक के हस्ताक्षर की परिभाषा

एक हस्ताक्षर को उस दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के इरादे से किसी दस्तावेज़ पर किसी व्यक्ति के नाम के लेखन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक साक्षर व्यक्ति को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम, अर्थात् अपना नाम या नाम और अपना उपनाम दोनों पूर्ण रूप से या किसी भी मामले में अपना उपनाम पूर्ण रूप से या नाम पूर्ण रूप से या नाम के आद्याक्षर के माध्यम से लिखना होगा। एक साक्षर मतदाता के मामले में बेहतर तरीका यह होगा कि वह अपने नाम, यानी अपना नाम या उपनाम दोनों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करे। यदि कोई साक्षर व्यक्ति केवल एक चिह्न लगाता है और जोर देता है कि, उस चिह्न को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए हस्ताक्षर के रूप में लिया जाना चाहिए, तो उस चिह्न को उसके हस्ताक्षर के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, हस्ताक्षर का अर्थ है, एक साक्षर व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति के नाम को स्वयं उस दस्तावेज़ के प्रमाणीकरण में लिखना जिस पर वह अपना नाम लिखता है। ऐसे मामले में, यदि वह ऊपर बताए अनुसार अपने नाम पर पूर्ण हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो उसके अंगूठे का निशान लिया जाना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान भी देने से इंकार करता है तो उसे पूर्वोक्त पैराग्राफ 4 के तहत मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6. मतदाता के अंगूठे का निशान

6.1 यदि कोई मतदाता अपने नाम पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर प्राप्त किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपके या किसी मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर इस तरह के अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।

6.2 यह आवश्यक है कि मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे का निशान स्पष्ट अंगूठे का निशान होना चाहिए। मतदाता के अंगूठे को स्टैम्पिंग पैड से इतनी हल्की स्याही से नहीं

लगाया जाना चाहिए कि वह केवल एक फीकी या अस्पष्ट छाप दे। न ही अंगूठे पर इतनी भारी स्याही लगाई जानी चाहिए कि यह रजिस्टर पर स्पष्ट अंगूठे के निशान के बजाय एक धब्बा छाप दे।

7. नेत्रहीन या दुर्बल या कुष्ठ मतदाताओं द्वारा 'मतदाताओं के रजिस्टर' पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:

किसी नेत्रहीन या सूचित मतदाता या कुष्ठ रोग से पीड़ित मतदाता, जो निरक्षर हैं, लेकिन अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, के अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई मतदाता साक्षर है, तो उसे अंगूठे के निशान के स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जा सकती है। विकलांग मतदाता के मामले में, जो अपने किसी भी हाथ का उपयोग नहीं कर सकता है, उसका साथी रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएगा। रजिस्टर में इस तरह की प्रविष्टि के लिए एक नोट किया जा सकता है कि हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान साथी का है।

8. निर्वाचक को मतदाता पर्ची जारी करना

8.1 किसी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही से अंकित होने के बाद, मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त होने के बाद, दूसरा मतदान अधिकारी उस मतदाता के लिए एक मतदाता पर्ची जारी करेगा।

8.2 ये मतदाता पर्ची आपको मतदान सामग्री के एक मद के रूप में, आपके मतदान केंद्र को सौंपे गए मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए, पचास-पचास पर्चियों के बंडलों में आपूर्ति की जाएगी।

8.3 उपरोक्त पैराग्राफ 8.1 के तहत प्रत्येक मतदाता के संबंध में दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्ची उसके द्वारा उस मतदाता को दी जाएगी और मतदाता को तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा जो EVM के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी हैं।

अध्याय - XVII

वोटों की रिकॉर्डिंग और मतदान प्रक्रिया

1. एक बार जब मतदाता को दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता पर्ची जारी कर दी जाती है और उसे मतदान करने की अनुमति दी जाती है तो उसे तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। तीसरा मतदान अधिकारी निर्वाचक को जारी की गई मतदाता पर्ची मांगेगा और पर्ची पर अपने हस्ताक्षर करके मतदाता को वापस कर देगा।

मतदान केंद्र छोड़ने से पहले वह तीसरे मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची पीठासीन अधिकारी को सौंपेगा, जो यह जांच करेंगे कि मतदाता ने वोट डाला है। पीठासीन अधिकारी निर्वाचकों द्वारा उन्हें सौंपी गई पर्चियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और उन्हें अन्य लिफाफों के साथ एक लिफाफे में सील कर देगा।

2. समय-समय पर डाले गए मतों की संख्या का मिलान

2.1 किसी भी समय, यदि उस समय तक डाले गए मतों की कुल संख्या का पता लगाना है, तो कंट्रोल यूनिट पर 'टोटल' बटन दबाया जाना चाहिए। फिर कंट्रोल यूनिट पर डिस्प्ले पैनल उस समय तक डाले गए वोटों की कुल संख्या दिखाएगा। यह समय-समय पर किया जाना चाहिए और उस समय तक मतदान करने के लिए अनुमत निर्वाचकों की संख्या के साथ मिलान किया जाना चाहिए जैसा कि मतदाताओं के रजिस्टर में दर्शाया गया है।

2.2 किसी भी घटना में, आपको प्रत्येक दो घंटे के अंतराल के दौरान डाले गए मतों की संख्या का पता लगाना और मिलान करना चाहिए और पीठासीन अधिकारी की डायरी में संबंधित कॉलम में डाले गए मतों की संख्या दर्ज करनी चाहिए। 'टोटल' बटन तभी दबाया जाना चाहिए जब व्यस्त लैम्प चालू न हो, यानी मतदाता द्वारा अपना वोट दर्ज करने के बाद ही, और अगले मतदाता को बैलेट बटन दबाकर मतदान करने की अनुमति दी जाए। अन्यथा उस समय तक डाले गए मतों की कुल संख्या को दर्शाने वाला आंकड़ा डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित नहीं होगा।

2.3 कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको संदेह या संदेह करने का कारण हो सकता है कि मतदान कक्ष में रखी गई बैलेट यूनिट ठीक से काम नहीं कर रही है या मतदान कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई मतदाता बैलेट यूनिट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या अन्यथा हस्तक्षेप कर रहा है या प्रतीक/नाम/मतपत्र बटन पर कोई कागज, टेप आदि चिपका कर कोई शरारत की है या अनुचित रूप से लंबी अवधि के लिए मतदान कक्ष के अंदर रहा है। आपको ऐसे मामलों

में बैलट यूनिट (बीयू) का निरीक्षण करने के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार है और यह सुनिश्चित करने के लिए की बैलट यूनिट से किसी भी तरह से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप नहीं किया गया है के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है ताकि मतदान सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े। लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि जब भी आप मतदान कक्ष में प्रवेश करें, तो आप अपने साथ मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करें ।

अध्याय - XVIII

निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

1. मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए

प्रत्येक मतदाता जिसे मतदान करने की अनुमति दी गई है मतदान केंद्र के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

2. मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार

2.1 यदि कोई मतदाता आपके द्वारा दी गई चेतावनी के बाद भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है, तो ऐसे मतदाता को आपके निर्देश के तहत मतदान अधिकारी द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि निर्वाचक को पहले ही मतदाता पर्ची जारी कर दी गई थी, तो ऐसी पर्ची उससे वापस ले ली जानी चाहिए और रद्द कर दी जानी चाहिए।

2.2 जहां किसी मतदाता को मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिए मतदान करने की अनुमति नहीं है, इस आशय की एक टिप्पणी कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है - "मतदान की अनुमति नहीं - मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया" - आपके द्वारा उस रजिस्टर में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के सामने मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26ए) में टिप्पणी कॉलम में की जाएगी । आपको उस प्रविष्टि के नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर भी करना होगा । मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में उस निर्वाचक या उससे अगले निर्वाचक के क्रमांक में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय XIX

नेत्रहीन और शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान

1.1 यदि आप संतुष्ट हैं कि कोई निर्वाचक अंधेपन या किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण बैलेट यूनिट पर चिपकाए गए बैलेट पेपर पर चिन्ह को पहचानने में असमर्थ है एवं सहायता के बिना उस पर उपयुक्त बटन दबाकर अपना वोट रिकॉर्ड करने में असमर्थ है, तो आप हिमाचल प्रदेश नगर चुनाव निगम नियम, 2012 के नियम 68 के तहत अपनी ओर से और उसकी इच्छा के अनुसार वोट दर्ज करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु के एक साथी को वोटिंग कंपार्टमेंट में ले जाने की उस निर्वाचक को अनुमति देंगे।

1.2 किसी भी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

1.3 किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पहले, उसे फॉर्म (अनुलग्नक-X के रूप में) पर घोषित करना होगा कि वह मतदाता की ओर से दर्ज करवाए गए वोट को गुप्त रखेगा और उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। घोषणा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संलग्नक X के तहत प्राप्त की जाएगी।

1.4 आप ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड फॉर्म 40 में भी रखेंगे। फॉर्म 40 में नेत्रहीन और शिथिलांग मतदाताओं के इस रिकॉर्ड को "गैर-सांविधिक कवर" के रूप में लिखे गए एक पैकेट में रखा जाएगा और समाप्ति के बाद संग्रह केंद्र में जमा किया जाएगा।

1.5 आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपका कोई भी मतदान कर्मचारी नेत्रहीन और शिथिलांग मतदाता के लिए उसकी ओर से वोट रिकॉर्ड करने के लिए एक साथी के रूप में कार्य न करे।

अध्याय - XX

मतदान न करने का निर्णय लेने वाले मतदाता

1.1 यदि कोई मतदाता, (फॉर्म 26ए) मतदाता रजिस्टर में अपनी मतदाता सूची संख्या को विधिवत दर्ज करने के बाद रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाने के पश्चात् , अपना वोट रिकॉर्ड नहीं करने का फैसला करता है, उसे वोट रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

1.2 इस आशय की एक टिप्पणी कि उन्होंने अपना वोट रिकॉर्ड नहीं करने का फैसला किया है - आपके द्वारा मतदाता रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने टिप्पणी कॉलम में निम्न टिप्पणी की जाएगी ।

" वोट देने से इनकार कर दिया "

आप उस टिप्पणी के नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे

1.3 मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में निर्वाचक या किसी अगले निर्वाचक के क्रमांक में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

1.4 कंट्रोल यूनिट पर "बैलट" बटन दबाने के पश्चात् बैलट यूनिट मतदान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है, यदि ऐसी स्थिति में मतदाता वोट देने से इंकार कर देता है, तो आप या तीसरे मतदान अधिकारी, जो भी बैलट यूनिट का प्रभारी है, अगले मतदाता को अपना मत दर्ज करने के लिए सीधे मतदान कक्ष में जाने का निर्देश देगा । यदि अंतिम निर्वाचक के लिए बैलट यूनिट पर मतदान जारी करने के लिए नियंत्रण इकाई पर "बैलट" बटन दबाया गया है, लेकिन वह मतदान करने से इनकार करता है, तो उस स्थिति में पहले चरण के रूप में, आप मतदान अधिकारी, जो भी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी है कंट्रोल यूनिट के पिछले डिब्बे में 'पावर' स्विच को 'ऑफ' करेगा और बैलेट यूनिट (ओं) को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट कर देगा । बैलेट यूनिट (इकाइयों) को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट करने के बाद 'पावर' स्विच को फिर से 'चालू' किया जाना चाहिए। अब 'व्यस्त' लैंप बुझ जाएगा और मतदान बंद करने के लिए 'बंद' बटन काम करना शुरू कर देगा। यदि ऐसे मामले में इस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो स्विच ऑफ बटन काम नहीं करेगा और कंट्रोल यूनिट को बंद किए बिना, यह परिणाम नहीं देगा ।

अध्याय - XXI

पोल इयूटी पर निर्वाचक द्वारा मतदान

नगर निगम के भीतर मतदान इयूटी पर रहने वाले मतदाता नगर निगम के चुनाव में डाक द्वारा मतदान करने के हकदार होंगे।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के सम्मिलित प्रासंगिक नियम निम्नानुसार हैं: -

63- Mkd }kjk er nsus ds gdnkj O;fDr-&,rn~lk"pkr~ fofufnZ'V vis{kkvksa dh iwfrZ djus ds v/;/khu O;fDr] tks fuokZpu drZO;k:<+ ernkrk gSa] uxj fuxe ds okMZ esa] fuokZpu esa Mkd }kjk er nsus ds gdnkj gksaxsA

64 fuokZpu drZO;k:<+ ernkrkvksa }kjk izKkiuk ¼lwpuk½-&¼1½ tks fuokZpu drZO;k:<+ ernkrk] fuokZpu esa Mkd }kjk er nsuk pkgrk gS] og fjVfu±x vf/kdkjh dks iz:lk 36 esa vkosnu ,sls Hkstsxk rkfd og ernku dh rkjh[k ls de ls de lkr fnu] ;k ,slh vYirj dkykof/k] tSlh fjVfu±x vf/kdkjh vuqKkr djs ls igys igqap tk, vkSj ;fn fjVfu±x vf/kdkjh dk lek/kku gks tkrk gS fd vkosnd] drZO;k:<+ ernkrk gS] rks og mls ik'kZn ds fuokZpu ds fy, ,d Mkd er i= rFkk egkikSj@mi&egkikSj ds fuokZpu ds fy, fuokZpu drZO; izek.k i= ¼bZOMh0lh0½ iz:lk 38 esa tkjh dj nsxkA

¼2½ tgka ,slk ernkrk ml okMZ esa ftldk og fuokZpd gS] fuokZpu drZO;k:<+ ernku vf/kdkjh] ihBklhu vf/kdkjh ;k vU; yksd lsod gksrs gq, uxj fuxe@okMZ ds fuokZpu esa Lo;a u fd Mkd }kjk er nsuk pkgrk gS] ogak og fjVfu±x vf/kdkjh dks iz:i&37 esa vkosnu ,sls Hkstsxk fd og ernku dh rkjh[k ls de ls de pkj fnu ;k ,slh vYirj dkykof/k] tSlh fjVfu±x vf/kdkjh vuqKkr djs] ls igys mlds ikl igaqap tk,a vkSj ;fn fjVfu±x vf/kdkjh dk lek/kku gks tkrk gS fd vkosnd ml okMZ esa fuokZpu drZO;k:<+ ,slk yksd lsod vkSj ernkrk gS] rks og vkosnd dks iz:i&38 esa fuokZpu drZO; izek.k i= tkjh djsxkA

¼d½ tgka mi/kkjk ¼1½ vkSj ¼2½ ds v/khu fuokZpd dks fuokZpu dÜkZO; izek.k i= tkjh gqvk gks] ogka fjVfu±x vf/kdkjh fuokZpd ukekoyh dks] fpfàur izfr esa mlds uke ds lkeus ^^fu0 d0 iz0** ;g minf''kZr djus ds fy, vafdr djsxk fd mls fuokZpu dRrZO; izek.k i= tkjh dj fn;k gS(vkSj

¼[k½ ;g lqfuf''pr djsxk fd mls ml ernku dsUnz ij ftl ij og er nsus ds fy, vU;Fkk gdnkj gksrk gS] er nsus ds fy, vuqKkr u fd;k tk,A

65 fuokZpu dÜkZO;k:<+ O;fDr;ksa ds fy, lqfo/kk,a-&¼1½ fu,e 62 ds micU/k fdlh ,sls O;fDr dks ykxw u gksaxs tks ernku dsUnz esa iz:i&38 esa fuokZpu drZO;

izek.k i= is''k dj nsrk gS vkSj vius dks er i= fn, tkus dh ekax djrk gS] Hkys gh ernku dsUnz ml dsUnz ls fHkUu gks] tgka er nsus dk og gdnkj gSA

$\frac{1}{4}2\frac{1}{2}$,slk izek.k i= is''k fd, tkus ij ihBklhu vf/kdkjh % &

$\frac{1}{4}d\frac{1}{2}$ ml ij mls is''k djus okys O;fDr ds gLrk{kj vfHkizklr djsxk(

$\frac{1}{4}[k\frac{1}{2}$ ml O;fDr dk uke vkSj fuokpZ ds ukekoyh la[;kad] tks izek.k i= esa of.kZr gS] fuokZpe ukekoyh dh fpfUgr izfr ds vUr esa izfo'V djxk(vkSj

$\frac{1}{4}x\frac{1}{2}$ mls er i= vkSj er nsus dh vuqKk mlh jhfr esa nsxk] tSlS ml ernku dsUnz esa er nsus ds gdnkj fdlh fuokZpd dks nsrk gSA

iz:lk&36

[fu;e 64 ¼1½ ns[kas]

fuokZpu drZO; ¼bySDशॉन M~;wfV½ izek.k i= ds fy, vkosnu

izsf'kr

fjVfuZx vf/kdkjh]

okMZ la[;k -----

uxj fuxe -----

egksn;]

eS-----uxj fuxe dh okMZ la[;k-----ls ik'kZn ds fy,
gksus okys fuokZpu esa viuk er O;fDrxr :i ls nsuk pkgrk gWwA

eq>s uxj fuxe ds okMZ ----- ¼ernku dsUnz dk uke
vksSj la[;k½ esa fuokZpu dRrZO; ¼bySD"ku M~;wfV½ ij fu;qDr fd;k x;k gS fdUrq
esjk uke uxj fuxe ds okMZ -----ds ernku dsUnz-----dh fuokZpd
dh ukekoyh dh dze la[;k-----ij izfo'V gSA

eSa izkFkZuk djrk gaw fd eq>s ¼iz:lk&38½ esa ,d fuokZpu drZO;
izek.k i=] ml ernku dsUnz ls tgka ernku ds fnu dRrZO; :<+ jgwaxk] er nsus ds fy,
fn;k tk,A

;g izek.k i= eq>s fuEu irs ij Hkstk tk, %&

uke -----

irk-----

LFkku-----

Hkonh;]

Rkkjh[k-----

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2}$

iz:lk&37

[fu;e 64 $\frac{1}{4}2\frac{1}{2}$ ns[kas]

izsf'kr]

fjVfuZax vf/kdkjh]

uxj fuxe -----

okMZ la[;k ----- $\frac{1}{4}$ uke lfgr $\frac{1}{2}$

egksn;]

esSa uxj fuxe-----ds $\frac{1}{4}$ okMZ $\frac{1}{2}$ -----ls egkikSj@
miegkikSj@ ik'kZn ds fy, gksus okys fuokZpu esa viuk er nsuk pkgrk gawA

esjk uke uxj fuxe -----ds okMZ la[;k----- dh fuokZpd
ukekoyh ds ernku dsUnz ----- $\frac{1}{4}$ la[;k vkSj uke $\frac{1}{2}$ -----
-- esa dze la[;k-----ij izfo'V gSA

eq>s ik'kZn ds fuokZpu gsrq Mkd er&i= vkSj egkikSj@miegkikSj ds
fuokZpu gsrq fuokZpu dRrZO; izek.k i= $\frac{1}{4}$ **bZOMh0lh0** $\frac{1}{2}$ fuEufyf[kr irs ij Hksts tk,a
%&

uke -----

irk-----

LFkku-----

Hkonh;]

Rkkjh[k-----

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2}$

iz:lk&38

[fu;e 64 ¼2½ vksj 65 ¼1½ ns[kas]

fuokZpu drZO; izek.k i=

izekf.kr fd;k tkrk gS fd uxj fuxe ds -----okMZ la[;k-----
esa fuokZpd gS]-----ernku dsUnz ¼la[;k vksSj
uke½ ds fy, mldk fuokZpd ukekoyh la[;k-----gS] mlds fuokZpu dRrZO; :<+
gksus dss dkj.k og ml ernku dsUnz esa tgak og er nsus dk gdnkj gS] ernsus esa
vleFkZ gS vksSj blfy, og okMZ ds ----- ernku dsUnz-----
----- ¼la[;k vksSj uke½ esa tgkW ernku ds fnu og drZO;
:<+ gks] er nsus ds fy, izkf/kd`r fd;k tkrk gS A

LFkku-----
gLrk{kj

fjVfuZx vf/kdkjh ds

Rkkjh[k-----

Ekskgj

&&&&&

अध्याय - XXII

निविदा वोट

1. ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदान केंद्र पर आता है और अपने आप को एक विशेष निर्वाचक बताते हुए मतदान करना चाहता है और आप पाते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति ने पहले ही ऐसे निर्वाचक के रूप में मतदान किया है। ऐसे मामले में आप संबंधित निर्वाचक होने के लिए उस व्यक्ति की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे। यदि आप उसकी पहचान से संबंधित ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने पर उसकी पहचान के बारे में संतुष्ट हैं, जैसा कि आप पूछ सकते हैं और उसकी पहचान साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, तो आप संबंधित निर्वाचक को एक निविदा मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति देंगे। यह मत वोटिंग मशीन के माध्यम से नहीं डाला जाएगा। ऐसे मत को 'निविदा मत' कहा जाता है।

2. मतपत्र

2.1 राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम के पार्षद के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को निविदा मतों और मतदान ड्यूटी मतपत्र के लिए उपयोग किए जाने वाले मतपत्रों की आपूर्ति की है।

2.2 निविदा मतपत्र को निर्वाचक को सौंपने से पहले, जिसने आपके मतदान केंद्र पर खुद को वास्तविक मतदाता के रूप में प्रस्तुत किया है, आप इन मतपत्रों के पीछे "निविदा मतपत्र" शब्द अपने हाथ में लिखेंगे, यदि ये शब्द वहां पहले से ही मुहर नहीं लगी है, और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें निविदा मतपत्रों के रूप में जारी करें।

3. निविदा मतपत्रों का लेखा-जोखा

आप सभी मतपत्रों का सही लेखा फॉर्म 43ए के भाग I के आइटम 8 रखेंगे

- (i) निविदा मतपत्रों के रूप में उपयोग के लिए प्राप्त किए गए
- (ii) निर्वाचकों को जारी किए गए,
- (iii) उपयोग नहीं किए गए और लौटाए गए स।

4. जिन मतदाताओं को मतपत्र जारी किए गए, उनका रिकॉर्ड आपको फॉर्म 29ए में उन मतदाताओं का पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा जिन्हें निविदा मतपत्र जारी किए गए हैं, आप

निर्वाचक को निविदा मतपत्र देने से पहले उस प्रपत्र के कॉलम (5) में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी प्राप्त करेंगे।

5. निविदा मतपत्र पर मतों की रिकॉर्डिंग

5.1 निर्वाचक को निविदा मतपत्र देते समय, आप उसे एक स्याही एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैम्प भी प्रदान करेंगे। यह स्टैम्प वही है जिसका उपयोग मतपत्रों और मतपेटियों का उपयोग करके मतदान की पारंपरिक प्रणाली में मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था। यह स्टैम्प मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए मतदान सामग्री की एक मद के रूप में आपूर्ति की जाएगी।

5.2 निविदा मतपत्र प्राप्त होने पर, संबंधित मतदाता मतदान कक्ष में जाएगा और अपनी पसंद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के चिन्ह पर या रबड़ की मोहर से एरो क्रॉस मार्क लगाकर अपना वोट चिह्नित करेगा। ।

5.2 निर्वाचक तब निविदा किए गए मतपत्र को मोड़ेंगे और मतदान कक्ष से बाहर आने के बाद उसे आपको सौंप देंगे।

5.3 आप सभी निविदा मतपत्रों और प्रपत्र 41 में तैयार ऐसे निविदा मतपत्रों की सूची को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्रदान किए गए लिफाफे में रखेंगे और मतदान के अंत में कवर को सील कर देंगे।

5.4 यदि अंधापन या शारीरिक दुर्बलता के कारण, ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना वोट दर्ज करने में असमर्थ है, तो आप उसे अध्याय XIX में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने साथ एक साथी ले जाने की अनुमति देंगे।

अध्याय - XXIII

दंगा, खुली हिंसा, आदि में मतदान का स्थगन ।

1. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन:-

हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 में सम्मिलित किए गए प्रासंगिक नियम निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

51- vkikrdky esas ernku dk LFkxu -&¼ 1½ ;fn fdlh fuokZpu esa fdlh ernku dsUnz dh dk;Zokfg;ksa esa cyos ;k [kqyh fgalk }kjk] O;o/kku ;k cka/kk igqapkbZ tk, ;k ml ernku dsUnz esa fdlh izkd`frd foifÜk ds dkj.k ;k fdlh vU; Ik;kZlr dkj.k ls ernku djokuk IEHko u gks] rks ihBklhu vf/kdkjh] ,sls ernku dsUnz ds ernku LFkxu dh] ,slh rkjh[k ds fy,] tks ckn esa vf/klwfpr dh tk,xh] ?kks'k.kk djsxk vkSj fjVfu±x vf/kdkjh dks rqjUr lwfpr djsxkA

¼2½ tgka mi fu;e ¼ 1½ ds v/khu ernku dk LFkxu gqvk gS] ogka fjVfuZax vf/kdkjh ifjfLFkfr;ksa dh fjiksVZ vk;ksx vkSj ljdkj dks rqjUr nsxk vkSj ;Fkk"kd; "kh?kz] og fnu fu;r djsxk] ftldks iqueZrnku gksxk vkSj ernku dsUnz] tgak ernku gksxk vkSj le; ftl nkSjku ernku djok;k tk,xh] fu;r djsxk ,sls fuokZpu esa Mkys x, erksa dh rc rd x.kuk ugha dh tk,xh tc rd ,slk

LFkfpr ernku iw.kZ ugha gks tkrk vkSj ,sls ernku dsUnz esa iz;ksx dh xbZ erisVh dh lhy cUn djds lqjf{kr vfHkj{kk esas] x.kuk vkjEHk gksus rd j[kk tk,xkA

¼3½ bl fu;e ds v/khu leLr ekeyksa esa fjVfu±x vf/kdkjh mi&fu;e ¼2½ ds v/khu] fu;r rkjh[k] LFkku vkSj le; dks fofufnZ'V djrs gq, lwpu ¼uksfVI½ dks vius dk;kZy; vkSj fuxe ds rFkk IEcfU/kr rglhy ds dk;kZy; esa yxk,xkA

टिप्पणी। मतपेटियों के किसी भी संदर्भ को ईवीएम माना जाए।

अध्याय - XXIV

क्लोज ऑफ़ पोल

1. समापन समय पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान

1.1 मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय पर बंद होना चाहिए, भले ही कुछ अपरिहार्य कारणों से मतदान शुरू होने के लिए नियत घंटे से कुछ देर बाद शुरू हुआ हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मतदान बंद करने के लिए निर्धारित घंटे के बाद किसी भी मतदाता को अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको यह ध्यान रखना होगा कि सभी निर्वाचक, जो मतदान समाप्ति के लिए नियत समय पर मतदान केंद्र पर उपस्थित हों, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही मतदान नियत समापन समय के बाद कुछ समय के लिए जारी रखना पड़े।

1.2 मतदान बंद करने के लिए नियत समय से कुछ मिनट पहले, मतदान केंद्र की सीमा के भीतर उन सभी लोगों को घोषणा करें जो मतदान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें बारी-बारी से वोट दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी निर्वाचकों को आपके द्वारा पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित पर्चियों का वितरण करें, जो अनुबंध XIV के अनुसार उस समय कतार में खड़े निर्वाचकों की संख्या के अनुसार क्रमांक 1 से आगे क्रमानुसार क्रमांकित की जानी चाहिए। मतदान समाप्ति समय के बाद भी जारी रखें जब तक कि इन सभी मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाल दिया। पुलिस या अन्य कर्मचारियों को तैनात करें ताकि यह देखा जा सके कि नियत समय के बाद किसी को कतार में शामिल होने की अनुमति नहीं है। यह प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है यदि ऐसे सभी मतदाताओं को पर्चियों का वितरण कतार में खड़े अंतिम मतदाता से शुरू किया जाता है।

2. मतदान का समापन

सभी मतदाता जो मतदान को बंद करने के लिए नियत समय पर मतदान केंद्र पर उपस्थित हो ने पूर्ववर्ती पैरा में दिए गए प्रावधान के अनुसार मतदान किया है, आपको औपचारिक रूप से मतदान को बंद घोषित करना चाहिए और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

3. वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को बंद करना

3.1 अंतिम मतदाता द्वारा अपना वोट दर्ज करने के बाद मतदान बंद करने के लिए, वोटिंग मशीन को बंद करना होगा ताकि मशीन में वोटों की और रिकॉर्डिंग संभव न हो। उस प्रयोजन के लिए, आपको नियंत्रण इकाई पर क्लोज बटन दबाना चाहिए। जब 'क्लोज' बटन दबाया जाता है तो कंट्रोल यूनिट पर डिस्प्ले पैनल मतदान के अंत तक वोटिंग मशीन में दर्ज कुल वोटों को दिखाएगा (लेकिन उम्मीदवार-वार टैली नहीं)। मशीन में दर्ज वोटों की कुल संख्या को फॉर्म 43ए के भाग I के आइटम 5 में तुरंत नोट किया जाना चाहिए। इसके बाद आपको बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए और पावर स्विच को कंट्रोल यूनिट के पिछले डिब्बे में 'ऑफ' स्थिति में डाल देना चाहिए।

3.2 'क्लोज' बटन इसके बाहरी आवरण के बाईं ओर नीले रंग की रबर कैप के नीचे परिणाम अनुभाग में एक डिब्बे में दिया गया है और इसे केवल रबर कैप को खींचकर पहुँचा जा सकता है। रबर कैप को 'क्लोज' बटन दबाने और पोल बंद होने के बाद बदला जाना चाहिए।

3.3. एक बार 'बंद' बटन दबाने के बाद, वोटिंग मशीन कोई और वोट स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए, 'बंद करें' बटन दबाने से पहले, आपको बेहद सतर्क और पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए कि कोई भी मतदाता, जो मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर मौजूद था, मतदान करने के लिए नहीं रहता है।

3.4 आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 'क्लोज' बटन तभी काम करेगा जब कंट्रोल यूनिट पर 'व्यस्त' लैंप चालू न हो, यानी, वोट देने की अनुमति देने वाले अंतिम मतदाता द्वारा अपना वोट दर्ज करने के बाद ही (नीले बटन को दबाकर) मतपत्र इकाई)। यदि अंतिम मतदाता द्वारा अपना वोट दर्ज करने के बाद गलती से 'बैलेट' बटन दबाए जाने के कारण 'व्यस्त' लैंप चालू है या ऐसा अंतिम मतदाता उसके लिए 'बैलेट' बटन दबाए जाने के बाद अपना वोट रिकॉर्ड करने से इनकार कर रहा है, कंट्रोल यूनिट के पिछले कंपार्टमेंट में 'पावर' स्विच को बंद करके और बैलेट यूनिट (ओं) को कंट्रोल यूनिट से डिस्कनेक्ट करके 'व्यस्त' लैंप को बंद किया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को डिस्कनेक्ट करने के बाद 'पावर' को फिर से 'ऑन' कर देना चाहिए। अब 'व्यस्त' लैंप बंद हो जाएगा और 'बंद' बटन काम करना शुरू कर देगा।

अध्याय - XXV

रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा-जोखा

1. दर्ज मतों का लेखा-जोखा तैयार करना

1.1 मतदान की समाप्ति के बाद, आपको वोटिंग मशीन में दर्ज मतों का लेखा-जोखा तैयार करना होगा। ऐसा खाता आपके द्वारा फॉर्म 43ए के भाग I में तैयार किया जाएगा। इसे दो प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए।

1.2 जैसा कि पिछले अध्याय में पहले ही बताया जा चुका है, मतदान की समाप्ति पर वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की कुल संख्या 'CLOSE' बटन दबाकर पता की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को फिर से दबाया जा सकता है।

1.3 आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों की कुल संख्या मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26A) कॉलम (I) में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसमें भिन्नता तभी हो सकती है यदि कोई मतदाता मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26A) कॉलम (I) में पंजीकृत होने के बाद वोट न देने का फैसला करता है एवम ऐसे मतदाता जिन्हें आपने मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए वोट करने की अनुमति नहीं दी है।

1.4 आपके मार्गदर्शन के लिए प्रपत्र 43क के भाग I में मतों का नमूना लेखा अनुलग्नक XI में दिया गया है।

1.5 प्रपत्र 43क में दर्ज मतों का लेखा-जोखा आपके द्वारा एक अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिस पर 'मतदानों का लेखा' लिखा होगा।

2. मतदान अभिकर्ताओं को अभिलिखित मतों के लेखा की सत्यापित प्रतियों की आपूर्ति

2.1 आपको उन मतदान एजेंटों से रसीद प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक मतदान एजेंट को, जो मतदान के अंत में मौजूद है, फॉर्म 43 ए में आपके द्वारा तैयार किए गए वोटों के खाते की एक सच्ची सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। खातों की प्रतियाँ उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को उसके द्वारा मांगे बिना भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। मूल फॉर्म 43ए को वोटिंग मशीन के साथ संग्रह केंद्र (स्ट्रांग रूम) में जमा करना होगा। फॉर्म 43ए की डुप्लीकेट कॉपी भी कलेक्शन सेंटर में जमा की जाएगी।

2.2 फॉर्म 43ए आपको पर्याप्त मात्र में उपलब्ध करवाए गये हैं। यदि संभव हो तो आप मूल खाते में ही प्रविष्टियाँ भरते समय कार्बन पेपर की सहायता से आवश्यक संख्या में प्रतियाँ

तैयार कर लें, ताकि मतदान अभिकर्ताओं को आपूर्ति की गई ऐसी सभी प्रतियाँ और मूल खाते हर दृष्टि से एक समान हों।

3. मतदान की समाप्ति पर की जाने वाली घोषणा

3.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान एजेंटों को दर्ज किए गए वोटों के खाते की प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में उपर्युक्त आवश्यकताएं आपके द्वारा पूरी की गयी हैं, आपके द्वारा मतदान की समाप्ति के पश्चात् अनुबंध VI के भाग III के अनुसार घोषणा करनी होगी।

अध्याय - XXVI

मतदान बंद होने के बाद वोटिंग मशीन को सील करना

1.1 मतदान बंद हो जाने के बाद और वोटिंग मशीन में दर्ज मतों का लेखा-जोखा फॉर्म 43ए (अनुलग्नक XI) में तैयार करने के पश्चात्, उसकी प्रतियां उपस्थित मतदान एजेंटों को देने के बाद, वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाना चाहिए और परिवहन के लिए मतगणना / संग्रह केंद्र सुरक्षित किया जाना चाहिए।

1.2 वोटिंग मशीन को सील करने और सुरक्षित करने के लिए, कंट्रोल यूनिट में पावर स्विच को पहले 'ऑफ' किया जाना चाहिए और फिर बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को डिस्कनेक्ट करने के बाद बैलेट यूनिट्स और कंट्रोल यूनिट को अब अपने-अपने केरिंग केस में वापस रख दिया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्येक केरिंग केस को फिर दोनों छोरों पर इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए दो छेदों के माध्यम से एक धागा पास करके और चुनाव, मतदान केंद्र और चुनाव के विवरण दिखाते हुए एक एड्रेस टैग के साथ थ्रेड सील लगाकर पीठासीन अधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर सहित सील कर जाना चाहिए।

1.4 कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट पर एड्रेस टैग पर वही विवरण होगा जो अध्याय III के पैरा 2(1) में उल्लिखित है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंटों, जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और एड्रेस टैग पर अपनी मुहर लगाने के इच्छुक हैं, को भी ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

1.5 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों के नाम, जिन्होंने मतपत्र इकाई (इकाइयों) और नियंत्रण इकाई के ले जाने के मामलों पर पता टैग पर अपनी मुहर लगाई है, आपको उस घोषणा में भी नोट किया जाना चाहिए जिसमें अनुबंध VI के भाग IV के तहत आप द्वारा किया गया है।

चुनाव कागजों (Election Paper) की सीलिंग करना

1. चुनावी कागजों को पैकेटों में सील करना

1.1 मतदान की समाप्ति के बाद, मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन सम्बंधित कागजों को अलग-अलग पैकेटों में सील कर दिया जाएगा।

1.2 इस प्रकार सील किए गए सभी पैकेट निम्नलिखित को छोड़कर:-

(1) रिकॉर्ड किए गए वोटों के खाते और पेपर सील (फॉर्म 43ए में), (ii) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान शुरू होने से पहले, मतदान के दौरान और समाप्ति के बाद की घोषणाएं मतदान (अनुलग्नक VI), (iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी को चार बड़े पैकेटों में रखा जाना चाहिए जैसा कि नीचे पैरा 3 में बताया गया है और रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

1.3 कवर जिसमें (i) रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा-जोखा और पेपर सील खाता, (ii) पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं, और (iii) पीठासीन अधिकारी की डायरी, वोटिंग मशीन के साथ अलग से प्राप्तकर्ता केंद्र को भेजी जानी चाहिए।

2. आप प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या उसके मतदान एजेंट, जो मतदान केंद्र पर उपस्थित हैं, को निम्नलिखित दस्तावेजों वाले लिफाफे और पैकेट पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति देनी चाहिए: -

(i) मतदाता सूची की चिह्नित प्रति;

(ii) मतदाताओं का रजिस्टर;

(iii) मतदाता पर्ची;

(iv) इस्तेमाल किए गए निविदा मतपत्रों और निविदा मतों की सूची प्रपत्र 41 . में

(v) अप्रयुक्त मतपत्र;

(vi) चुनौती दिए गए वोटों की सूची;

(vii) अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील, यदि कोई हो;

(viii) मतदान एजेंटों के नियुक्ति पत्र; और

(ix) कोई अन्य कागजात जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने सीलबंद पैकेट में रखने का निर्देश दिया है।

3. ' वैधानिक कवर' और 'गैर- वैधानिक कवर' की पैकिंग

सीलबंद वोटिंग मशीन, चुनाव पत्र और अन्य सभी सामग्री जमा करने के लिए जगह पर प्रतीक्षा करने में देरी और असुविधा से बचने के लिए, आपको चार अलग-अलग बड़े पैकेट में कवर और अन्य सामग्री पैक करने की सलाह दी जाती है,

ए. पहले पैकेट में नीचे उल्लिखित सीलबंद लिफाफे होने चाहिए और उन पर " वैधानिक कवर लिखा होना चाहिए:

- (i) मुहरबंद लिफाफा जिसमें मतदाता सूची की चिह्नित प्रति है;
- (ii) सीलबंद लिफाफा जिसमें मतदाताओं का रजिस्टर है;
- (iii) मुहरबंद लिफाफा जिसमें मतदाता पर्ची है;
- (iv) अप्रयुक्त मतपत्रों वाला सीलबंद लिफाफा;
- (v) इस्तेमाल किए गए निविदा मतपत्रों और प्रपत्र 41 में सूची वाले सीलबंद लिफाफे।

अगर ऊपर वर्णित किसी भी कवर का रिकॉर्ड शून्य है, तो भी एक पर्ची को कवर में रखा जा सकता है कि रिकॉर्ड "शून्य" है और कुल पांच कवर तैयार किए जा सकते हैं ताकि चुनाव सामग्री प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किसी भी सीलबंद लिफाफे के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता न हो ।

बी. दूसरे पैकेट में निम्नलिखित कवर होने चाहिए और इसे "गैर-सांविधिक कवर" के रूप में सब्सक्राइब किया जाना चाहिए:

- (i) निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियों वाला कवर (चिह्नित प्रति के अलावा);
- (ii) लिफाफे में मतदान एजेंटों के नियुक्ति पत्र होते हैं फॉर्म 27;
- (iii) फॉर्म 42 में चुनौती दिए गए वोटों की सूची वाला सीलबंद लिफाफा;
- (iv) प्रपत्र में नेत्रहीन और दुर्बल मतदाताओं की सूची वाला कवर 40 और साथियों की घोषणा फॉर्म 39 में;
- (v) वह लिफाफा जिसमें निर्वाचकों से उनकी आयु और ऐसे निर्वाचकों की सूची के बारे में प्राप्त घोषणाएं हों - (अनुबंध-VIII);
- (vi) चुनौती वाले वोटों के संबंध में रसीद बुक और नकद, यदि कोई हो, युक्त कवर;
- (ix) अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील युक्त कवर;

- (x) अप्रयुक्त मतदाता पर्ची वाला कवर;
- (xi) अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त विशेष टैग युक्त कवर; और

सी. तीसरे पैकेट में निम्नलिखित मढ़े होनी चाहिए:

- (i) पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका;
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैनुअल;
- (iii) अमिट स्याही सेट (रिसाव या वाष्पीकरण को रोकने के लिए प्रत्येक शीशी पर प्रभावी ढंग से पिघला हुआ मोमबत्ती या मोम के साथ स्टॉपर सुरक्षित किया गया है);
- (iv) सेल्फ-इन्किंग पैड;
- (v) पीठासीन अधिकारी की धातु मुहर;
- (vi) निविदा मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए तीर क्रॉस-मार्क रबर स्टैम्प;
- (vii) अमिट स्याही लगाने के लिए कप।
- (viii) वोटिंग कम्पार्टमेंट

डी. अन्य सभी आइटम, यदि कोई हों, चौथे पैकेट में पैक किए जाने चाहिए।

"वैधानिक कवर" चिह्नित पहले पैकेट में शामिल किए जाने वाले पांच छोटे कवरों/पैकेटों में से प्रत्येक को सीलबंद किया जाना चाहिए। दूसरे, तीसरे और चौथे पैकेट में "गैर-सांविधिक कवर" के रूप में शामिल किए जाने वाले विभिन्न गैर-वैधानिक कागजात और चुनाव सामग्री की वस्तुओं वाले अन्य छोटे कवर/पैकेट अलग से तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें सील करने की आवश्यकता नहीं है (चुनौती भरे वोटों की सूची फॉर्म 42 को छोड़कर) ताकि समय की बचत हो सके। इन सभी सीलबंद लिफाफों और सीलबंद लिफाफे, जिसमें फॉर्म 42 में चुनौती दिए गए वोटों की सूची है, को आपके द्वारा हस्ताक्षरित चेक मेमो के साथ संबंधित बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए। इन तीन बड़े पैकेटों को सील करने की जरूरत नहीं है; लेकिन पिन या धागे के माध्यम से ठीक से सुरक्षित किया जा सकता है ताकि संग्रह केंद्रों पर सामग्री की जांच की जा सके। हालाँकि, "वैधानिक कवर" के रूप में चिह्नित पहला पैकेट संग्रह केंद्र पर सामग्री की जाँच के बाद आपके द्वारा सील किया जाना चाहिए ।

संग्रह केन्द्रों पर डायरी तैयार करना और मतदान मशीनों और निर्वाचन पत्रों की सुपुर्दगी

1. डायरी की तैयारी

1.1 आपको मतदान केंद्र में मतदान से संबंधित कार्यवाही को इस उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली डायरी में दर्ज करना चाहिए। डायरी का प्रोफार्मा अनुलग्नक XII में दिया गया है। हालाँकि, आपको डायरी का एक विधिवत क्रमांकित प्रोफार्मा दिया जाएगा और केवल उस प्रोफार्मा का उपयोग आपके द्वारा किया जाना चाहिए।

1.2 आपको प्रासंगिक घटनाओं के घटित होने पर उन्हें रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। आपको उसमें सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। घटनाओं को डायरी में दर्ज करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। यदि मतदान केन्द्र पर कोई ऐसी घटना घटती है, जिसकी सूचना आपने नहीं दी है, बल्कि किसी अन्य स्रोत से सूचना दी है, तो निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा। यह आपके लिए बेहद शर्मनाक और गंभीर स्थिति होगी। आयोग आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर भी विचार कर सकता है।

1.3 डायरी के प्रासंगिक कॉलमों में नियमित अंतराल पर या समय-समय पर यथापरिकल्पित आवश्यक प्रविष्टियां करते रहें। कई मामलों में यह देखा गया है कि पीठासीन अधिकारी नियमित अंतराल पर या समय-समय पर डायरी के प्रासंगिक कॉलम में प्रविष्टियां नहीं करते हैं, और सभी प्रविष्टियां मतदान के अंत में डायरी में पूरा करते हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान हर समय डायरी के उचित रखरखाव में आपकी ओर से किसी भी चूक को आयोग द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।

2. रिटर्निंग ऑफिसर को वोटिंग मशीन और चुनाव कागजों का सौंपना

2.1 अध्याय XXVI और XXVII में बताए गए तरीके से मतदान बंद होने के बाद वोटिंग मशीन और सभी चुनाव पत्रों को आपके द्वारा सील और सुरक्षित कर लेने के बाद, आपको रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश से उन्हें ऐसे स्थान (संग्रह केंद्र) पर पहुंचाना होगा जैसा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्देश किया गया है।

2.2 वोटिंग मशीन और चुनाव पत्र बिना विलंब के साथ संग्रह केंद्र पर वितरित किए जाने चाहिए या वितरित किए जाने चाहिए।

3. आप निर्वाचन अभिलेख एवं सामग्री की निम्नलिखित ग्यारह मदें संग्रहण केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त करेंगे:-

(i) वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट (इकाइयों) को उनके संबंधित मामलों में विधिवत सील कर दिया गया है;

(ii) दर्ज किए गए वोटों के खाते और पेपर सील खाते (फॉर्म 43ए) वाला कवर;

(iii) पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं वाला कवर;

(iv) पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला कवर;

(v) पहले पैकेट पर "वैधानिक कवर" लिखा हुआ है (जिसमें 5 कवर हैं);

(vi) दूसरे पैकेट पर "गैर-वैधानिक कवर" लिखा हुआ है (जिसमें 11 कवर हैं);

(vii) तीसरा पैकेट जिसमें 7 चुनाव सामग्री है;

(viii) मतदान कक्ष;

(ix) बेकार कागज की टोकरी यदि आपूर्ति की जाती है;

(x) मतदान सामग्री ले जाने के लिए पॉलीथिन बैग / बारदान; और

(xi) चौथा पैकेट जिसमें अन्य सभी मदें हों, यदि कोई हों।

उपरोक्त सभी मदों को प्राप्त करने वाले अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा संग्रह केंद्र में सभी सामग्री प्राप्त करने के बाद भारमुक्त किया जाएगा ।

अध्याय - XXIX

पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी के लिए संक्षिप्त दिशानिर्देश

(i) जब तक टीम वर्क न हो, आपका काम और मुश्किल हो जाता है इसलिए अपने मतदान दल के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखें। ।

2.1 सुनिश्चित करें कि -

(ए) आपको कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की अपेक्षित संख्या में की आपूर्ति की गई है और ये आपको आवंटित मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए हैं पर्याप्त है;

(बी) उपयुक्त मतपत्र को प्रत्येक मतपत्र इकाई पर विधिवत चिपकाया गया है और ठीक से संरेखित किया गया है;

(सी) प्रत्येक बैलेट यूनिट पर स्लाइड स्विच को उपयुक्त स्थिति में सेट किया गया है;

(डी) कंट्रोल यूनिट के उम्मीदवार सेट सेक्शन और प्रत्येक बैलेट यूनिट को विधिवत सील किया हुआ है और उनमें से प्रत्येक के साथ एड्रेस टैग मजबूती से जुड़ा हुआ है।

2.2 सुनिश्चित करें कि सभी मतदान सामग्री आपको दे दी गई है।

2.3 विशेष रूप से मतदाताओं के रजिस्टर, मतदाता पर्ची, निविदा मतों के लिए उपयोग किए जाने वाले मतपत्र, निविदा वोटों को चिह्नित करने के लिए एरो क्रॉस मार्क रबर स्टैंप, ब्लू पेपर सील, सीलिंग मोम, अमिट स्याही इत्यादि की जांच करें।

2.4 निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रतियों की अन्य प्रतियों से तुलना करें और देखें कि सभी प्रतियां समान हैं और मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में 'ईडीसी' के अलावा कोई निशान नहीं है।

2.5 देखें कि

(i) नाम का विलोपन और पूरक नामावलियों के अनुसार सुधारों को मतदाता सूची की सभी प्रतियों में शामिल किया गया है;

(ii) नामावली की कार्यशील प्रति के सभी पृष्ठ क्रमानुसार अंकित हैं;

(iii) मतदाताओं के मुद्रित क्रमांक स्याही से ठीक नहीं किए गए हैं और कोई नया नंबर हाथ से नहीं बदला गया है।

3.1 मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचें।

3.2 मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए अलग प्रवेश और निकास सुनिश्चित करें।

4. मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र के बाहर मतदान क्षेत्र को निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की प्रति प्रदर्शन करें

5. यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित हो तो स्थानीय स्तर पर मतदान अधिकारी की नियुक्ति करें।

6. मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम एक घंटे पहले मॉक पोल के संचालन सहित वोटिंग मशीन की तैयारी शुरू करें।

7.1 बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को इंटरलॉक करें ।

7.2 नियंत्रण इकाई के पिछले डिब्बे में पावर स्विच को 'चालू' स्थिति में रखें।

7.3 एक पतले तार से बांधकर और इसे कुछ मोड़ देकर या सुतली के धागे की मदद से और एक गाँठ बांधकर कंट्रोल यूनिट के पिछले डिब्बे को सुरक्षित करें।

7.4 मतदान केंद्र पर मौजूद सभी मतदान एजेंटों को दिखाएं कि वोटिंग मशीन सही है और उसमें पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है।

7.5 प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुछ वोट रिकॉर्ड करने के लिए मतदान अधिकारियों/प्रतियोगी उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों की सहायता से एक मॉक पोल आयोजित करें।

7.6 मॉक पोल करने और ऐसे मॉक पोल का परिणाम उपस्थित सभी को दिखाने के बाद मशीन में डेटा साफ़ करें।

8.1 कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के आंतरिक डिब्बे के दरवाजे पर ब्लू पेपर सील (सील) सही रूप से लगाएं।

8.2 परिणाम खंड के आंतरिक डिब्बे के दरवाजे को इस तरह से बंद करें कि पेपर सील के दो खुले सिरे भीतरी डिब्बे के किनारों से बाहर की ओर हों।

8.3 मुद्रित क्रमांक के नीचे ब्लू पेपर की सील की सफेद सतह पर अपना पूरा हस्ताक्षर करें।

8.4 जो मतदान एजेंट मतदान केंद्र पर मौजूद हैं उनके हस्ताक्षर ब्लू पेपर सील पर प्राप्त करें, । उन्हें पेपर सील का सीरियल नंबर नोट करने दें।

8.5 नियंत्रण इकाई के परिणाम खंड के भीतरी डिब्बे के दरवाजे को विशेष टैग से सील करें।

9.1 कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद करके सील कर दें। इसके बाद एक एड्रेस टैग को मजबूती से संलग्न करें।

9.2 मतदान अभिकर्ताओं को कंट्रोल के परिणाम खंड के बाहरी आवरण पर भी अपनी मुहर लगाने की अनुमति दें।

10.1 बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें। कंट्रोल यूनिट को अपनी मेज पर या तीसरे मतदान अधिकारी की मेज पर रखें,

10.2 इंटरकनेक्टिंग केबल को इस तरह से रूट किया जाना चाहिए कि यह मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं के लिए आवाजाही में बाधा न बने और उन्हें उस पर चलना या यात्रा न करना पड़े, लेकिन केबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इसे कपड़ा या टेबल के नीचे छुपाया नहीं जाना चाहिए। ।

11.1 उपस्थित मतदान एजेंटों को यह प्रदर्शित करें कि मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में ईडीसी के अलावा कोई प्रविष्टि नहीं है।

11.2 यह भी प्रदर्शित करें कि मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26ए) में पहले से कोई प्रविष्टि नहीं है।

12. मतदान शुरू होने से पहले घोषणा को पढ़ें और उस पर हस्ताक्षर करें।

13.1 मतदान निश्चित समय पर सकारात्मक रूप से प्रारंभ करें।

13.2 मतदान केन्द्र पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 22 को जोर से पढ़कर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की चेतावनी दी।

14. किसी भी समय मतदान केंद्र के अंदर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के केवल एक मतदान एजेंट को अनुमति दें।

15. स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें।

16. आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के प्रति उचित शिष्टाचार और सम्मान दिखाएं और उसके द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करें।

17. मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में प्रचार करना अपराध है।

18. मतदान केंद्र के अंदर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। सावधान रहें कि न तो आप और न ही आपके मतदान अधिकारी और न ही मतदान केंद्र में मतदान एजेंटों सहित कोई अन्य व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर धूम्रपान करता है।

19. वोट डालने के लिए आने वाले किसी भी वीआईपी या सेलेब्रिटी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करें।

20.1 मतदान अधिकारियों के कर्तव्य, जब मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारी होते हैं, निम्नानुसार हैं: -

20.2 प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचकों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होगा और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के प्रभारी होंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही, मतदाता पंजी एवं मतदाता पर्ची तैयार करने का प्रभारी होगा। तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे

20.3 निर्वाचकों को अपने मतों को ठीक उसी क्रम में दर्ज करने की अनुमति दें जिस क्रम में उन्हें मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। जब तक उन्होंने मतदाता रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं लगाया है, तब तक उन्हें मतदान करने की अनुमति न दें।

21.1 किसी मतदाता की पहचान के लिए किसी भी चुनौती पर विचार न करें जब तक कि चुनौती देने वाला बीस रुपये नकद में चुनौती शुल्क का भुगतान न करे। ऐसे चुनौती भरे वोटों का रिकॉर्ड फॉर्म 42 में रखें।

21.2 यदि चुनौती स्थापित हो जाती है, तो लिखित में शिकायत के साथ व्यक्ति को पुलिस को सौंप दें।

22. नेत्रहीन और दुर्बल निर्वाचकों के मामले में ऐसे नेत्रहीन और दुर्बल निर्वाचकों के साथी से अपेक्षित घोषणा प्राप्त करें। ऐसे मतदाताओं का रिकॉर्ड फॉर्म 40 में भी रखें।

23. यदि आप मानते हैं कि कोई मतदाता मतदान की उम्र से काफी कम है, यानी 18 वर्ष, लेकिन अपनी पहचान के बारे में अन्यथा संतुष्ट हैं, तो उससे उसकी उम्र के बारे में एक घोषणा प्राप्त करें। उसकी योग्यता पर सवाल न उठाएं।

24.1 मतदाता रजिस्टर में अपना विवरण दर्ज करने के बाद यदि मतदाता मतदान न करने का निर्णय करता है तो उसे मत देने के लिए दबाव या दबाव न डालें। आप उन्हें नोटा के विकल्प के बारे में अवगत करा सकते हैं। फिर भी वह वोट देने से इंकार कर देता है और

रजिस्टर में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के सामने 'टिप्पणी' कॉलम में इस आशय की प्रविष्टि करे ।

24.2 किसी भी मतदाता के वोट न देने का फैसला करने के कारण रजिस्टर के कॉलम 1 में किसी भी क्रमांक को न बदलें।

25.1 किसी निर्वाचक को केवल निविदा मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दें यदि वह मतदान केंद्र पर किसी और के नाम से पहले ही मतदान करने के बाद आता है और आप उसकी पहचान से संतुष्ट हैं। उसे वोटिंग मशीन में अपना वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति न दें।

25.2 ऐसे निर्वाचकों का रिकॉर्ड बनाए रखें, जिन्हें मतपत्र जारी किए गए हैं, ऐसा रिकॉर्ड फॉर्म 41 में रखा जाएगा। टेंडर किए गए मतपत्रों और सूची को फॉर्म 41 में एक अलग कवर में रखें।

26.1 यदि कोई मतदाता आपके द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति न दें।

26.2 मतदाता रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने 'टिप्पणी' कॉलम में इस आशय की प्रविष्टि करें। ऐसे मतदाता के कारण उस रजिस्टर के कॉलम 1 में किसी भी क्रमांक में परिवर्तन न करें।

27.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान बंद करने के लिए नियत समय पर कतार में खड़े सभी मतदाता अपना वोट डालने में सक्षम हैं, बंद होने से कुछ मिनट पहले कतार में खड़े सभी मतदाताओं को आपके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रमांकित पर्ची वितरित करें।

27.2 उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसी पर्ची जारी की गई है, मतदान करने की अनुमति दें, भले ही मतदान नियत समापन समय के बाद कुछ समय के लिए जारी रखना पड़े।

28.1 ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा मतदान किए जाने के बाद औपचारिक रूप से मतदान की समाप्ति की घोषणा करें।

28.2 'क्लोज़' बटन को ढकने वाली नीली रबर कैप को हटाकर और कंट्रोल यूनिट पर 'क्लोज़' बटन दबाकर वोटिंग मशीन को बंद कर दें। नीले रंग की रबर की टोपी को 'बंद' बटन के ऊपर इतना दबाए जाने के बाद बदल दें।

29.1 प्रपत्र 43क में दर्ज मतों का लेखा-जोखा तैयार कीजिए।

29.2 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों में से प्रत्येक को दर्ज किए गए मतों के खाते की सत्यापित प्रतियां दें। इस आशय की घोषणा निर्धारित घोषणा पत्र में करें।

30.1 मतदान की समाप्ति के बाद, बैलेट यूनिट (इकाइयों) और कंट्रोल यूनिट को डिस्कनेक्ट कर दें।

30.2 नियंत्रण इकाई के पिछले डिब्बे में पावर स्विच 'ऑफ' करें।

31.1 कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट (इकाइयों) को उनके संबंधित मामलों में रखें।

31.2 प्रत्येक कैरी करने के मामले में एड्रेस टैग को मजबूती से जोड़कर, दोनों सिरों पर ले जाने के मामलों को सील करें।

31.3 सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों, जो मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और ऐसा करने के इच्छुक हैं, को इन ले जाने वाले मामलों पर अपनी मुहर लगाने की अनुमति दें।

32.1 सभी चुनावी कागजात और सामग्री को अलग-अलग पैकेट में सील करें।

32.2 लिफाफे पर अपनी मुहर लगाएं जिसमें (1) मतदाता सूची की चिह्नित प्रति, (2) मतदाताओं का रजिस्टर, (3) मतदाता पर्ची, (4) इस्तेमाल किए गए निविदा मतपत्र और सूची शामिल हैं। फॉर्म 29ए, और (5) अप्रयुक्त निविदा मतपत्र।

32.3 चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों/मतदान एजेंटों को यदि वे चाहें तो इन लिफाफों पर भी अपनी मुहर लगाने की अनुमति दें।

33.1 चुनाव के कागजात और सामग्री के सभी पैकेट चार बड़े पैकेट में रखें।

33.2 पहले सीलबंद पैकेट में "वैधानिक कवर" लिखा होना चाहिए जिसमें पांच सीलबंद कवर होने चाहिए।

33.3 "गैर-वैधानिक कवर" के दूसरे पैकेट में ग्यारह कवर होने चाहिए।

33.4 तीसरे पैकेट में सात आइटम होने चाहिए।

33.5 अन्य सभी वस्तुओं को चौथे पैकेट में पैक किया जाना चाहिए।

34. (1) मतों का लेखा-जोखा (फॉर्म 26ए), (2) मतदान शुरू होने और मतदान समाप्त होने से पहले आपके द्वारा की गई घोषणाओं को दर्ज रखें, और (3) अध्यक्षता करना तीन अलग-अलग पैकेटों में अधिकारी की डायरी।
35. मतदान के तुरंत बाद, बिना किसी देरी के, संग्रह केंद्र पर वोटिंग मशीन वितरित करें।
36. मतदान केन्द्र पर होने वाली घटनाओं का पूर्ण एवं सटीक लेखा-जोखा रखने के लिए पीठासीन अधिकारी की डायरी को सभी प्रकार से उचित रूप से संधारित करें। जब कोई घटना हो तो उसी समय उसमें प्रविष्टियां करें न कि मतदान के अंत में।
37. यदि मतदान केन्द्र पर हिंसा या दंगा होता है तो पूर्ण तथ्यों की सूचना तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को दें।
38. यदि बूथ कैप्चरिंग होती है या कोई वोटिंग मशीन या चुनाव सामग्री जैसे मतदाता रजिस्टर, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति, आदि अनधिकृत रूप से आपकी हिरासत से ले ली जाती है या क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ की जाती है, तो मतदान बंद कर दें। पूर्ण तथ्यों की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल दें।

FORM - 26A

REGISTER OF VOTERS

Election to Municipal Corporation, 20-----

Name of Municipal Corporation-----

No and Name of Ward -----

No and Name of Polling Station-----

Sl. No.	Sl. No. of elector in the Electoral roll	Signature/Thumb Impression of elector	Remarks
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. etc			

iz:lk&41

[fu;e 70 ¼2½ vkSj 75 ns[kas]

fufonÙk erksa dh lwph

uxj fuxe ----- okMZ la[;k-----ls ik'kZn dk fuokZpu

ernku dsUnz dk uke o la[;k-----

Øe la[;k	Ekrnkrk dk uke	Ekrnkrk dk irk	fufonÙk eri= dh Øe la[;k	ml O;fDr dks tkjh fd, x, eri=dh Øe la[;k ftlus igys gh ernku dj fn;k gks	Ekr nsus okys O;fDr ds gLrk{kj o fu"kkku v a xwBk
1	2	3	4	5	6

LFkku-----

Rkkjh[k-----

ds gLrk{kj

ihBklhu vf/kdkjh

FORM- 43A
PART I-ACCOUNT OF VOTES RECORDED
Election to the Municipal Corporation.....District.....

From Ward No.....
 No. and Name of Polling Station
 Identification No. of Voting Machine Control unit No
 used at the Polling Station Ballot unit No

1. Total No. of electors assigned to the polling station.
2. Total No. of voters as entered in the Register for Voters (Form 26A)
3. No. of voters deciding not to record votes .
4. No. of voters not allowed to vote .
5. Total No. of votes recorded as per voting machine.
6. Whether the total No. of votes as shown against item 5 tallies with the total No. of voters as shown against item 2 minus Nos. of voters deciding not to record votes as against item 3 minus No. of Voters as against item 4 (2-3-4) or any discrepancy noticed.
7. No. of voters to whom tendered ballot papers were issued.

8. No. of tendered ballot papers.	Serial No.	
	Sr.No	To
(a) received for use
(b) issued to electors
(c) not used and returned

- 9.Account of paper seals. From..... To.....
- (i) Sr. Number of paper seals supplied No.....
- (ii) Total Number supplied No.....
- (iii) Number of paper seal used No.....
- (iv) No. of unused paper seals returned to RO/ARO(Deduct item (iii) from item (ii))

No.....

(v) Serial number of damaged Paper seals if any No..... Sr. No.....

Signature of Polling Agents.

1.

2.

3.

4.

Date_____

Signature of Presiding Officer

Place_____

No..and Name of Polling Station.....

PART-II
RESULT OF COUNTING

Sr. No.	Name of candidate	No. of votes recorded through Poll Duty Ballot	No. of votes recorded through EVMs	Total
------------	-------------------	--	---------------------------------------	-------

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.11,12 & so on.....

No. of Votes polled to NOTA-----

No. of votes rejected received through Poll Duty Ballot-----

Total

Whether the total Nos. of votes recorded through EVMs shown above tallies with the total no. of votes shown against item 5 of Part 1 or any discrepancy noticed between the two totals.

Place-----

Date-----

Signature of Counting Supervisor

Name of Candidate/Election agent/Counting Agent

Full Signature

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Place _____

Date _____

Signature of Returning Officer

Annexure VI
(Chapter XIV, Para 1 & 2)
DECLARATION BY THE PRESIDING OFFICER
PART-I

Declaration by the Presiding Officer before the commencement of the poll.

Election to the Councillor from Ward No.& Name.....of Municipal Corporation.....

Sr. No. and Name of polling station.....Date of poll.....

I hereby declare:

- (1) that I have demonstrated to the polling agents and other persons present –
 - (a) by holding a mock poll that the voting machine is in perfect working order and that no vote is already recorded therein;
 - b) that the marked copy of the electoral roll to be used during the poll does not contain any marks other than those used for issuing postal ballot papers and election duty certificates;
 - (c) that the Register of Voters (Form 26-A) to be used during the poll does not contain any entry in respect of any elector;
- (2) that I have affixed my own signature on the paper seal(s) used for securing the result section of control unit of the voting machine and obtained thereon the signatures of such of the polling agents as are present and desirous of affixing the same.
- (3) that I have written the serial number of the control unit on the special tag, and I have affixed my signature on the back side of the special tag and also obtained thereon the signatures of such of the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature.
- (4) that I have affixed my signature on the strip seal and also obtained thereon the signatures of such of the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature.
- (5) that I have read out the pre-printed serial number of the special tag and asked the candidates/polling agents present, to note down the serial number.

Signature

Presiding Officer

Signature of polling agents:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. (of candidate.....) | 2..... (of candidate.....) |
| 3. (of candidate.....) | 4. (of candidate.....) |
| 5. (of candidate.....) | 6. (of candidate.....) |

The following polling agent(s) declined to affix his/her/their signature(s), on this declaration

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. (of candidate | 2.....(of candidate.....) |
| 3. (of candidate.....) | 4.....(of candidate.....) |

Date.....

PART II

**DECLARATION BY THE PRESIDING OFFICER AT THE TIME OF USE OF
SUBSEQUENT VOTING MACHINE, IF ANY,**

Election to the Councillor from Ward No. and Name of Municipal Corporation.....
Sr. No. and Name of polling station.....

Date of poll.....

I hereby declare :

- (1) that I have demonstrated to the polling agents and other persons present –
 - (a) by holding a mock poll that the voting machine is in perfect working order and that no vote is already recorded therein;
 - b) that the marked copy of the electoral roll to be used during the poll does not contain any marks other than those used for issuing postal ballot papers and election duty certificates;
 - (c) that the Register of Voters (Form 26-A) to be used during the poll does not contain any entry in respect of any elector;
- (2) that I have affixed my own signature on the paper seal(s) used for securing the result section of control unit of the voting machine and obtained thereon the signatures of such of the polling agents as are present and desirous of affixing the same.
- (3) that I have written the serial number of the control unit on the special tag, and I have affixed my signature on the back side of the special tag and also obtained thereon the signatures of such of the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature.
- (4) that I have affixed my signature on the strip seal and also obtained thereon the signatures of such of the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature.
- (5) that I have read out the pre-printed serial number of the special tag and asked the candidates/polling agents present, to note down the serial number.

Signature

Signature of polling agents:

Presiding Officer

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. (of candidate.....) | 2. (of candidate.....) |
| 3. (of candidate.....) | 4. (of candidate.....) |
| 5. (of candidate.....) | 6. (of candidate.....) |
| 7. (of candidate) | 8. (of candidate.....) |
| 9. (of candidate.....) | |

The following polling agent(s) declined to affix his/her/their signature(s), on this declaration:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. (of candidate ..) | 2.....(of candidate.....) |
| 3. (of candidate.....) | 4.....(of candidate.....) |

Signature

Date.....

Presiding Officer

PART III

DECLARATION AT THE END OF POLL

I have furnished to the polling agents, who were present at the polling station at the close of the poll and whose signatures are affixed below, an attested copy of each of the entries in 'Part-I-Account of Votes Recorded' of Form 26-A

Date.....

Signature.....

Presiding Officer

Time.....

*Received an attested copy of the entries in the accounts of votes recorded (Part I of Form 26-A) in respect of the election of Councillor of Municipal Corporation.....

Signature of polling agents :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. (of candidate.....) | 2..... (of candidate.....) |
| 3.(of candidate.....) | 4..... (of candidate.....) |
| 5.(of candidate.....) | 6..... (of candidate) |
| 7. (of candidate.....) | 8..... (of candidate.....) |
| 9. (of candidate.....) | |

The following polling agents who were present at the close of the poll declined to receive an attested copy of Part I of Form 43-A and to give a receipt therefore and so an attested copy of that Form was not supplied to them.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. (of candidate.....) | 2..... (of candidate) |
| 3. (of candidate) | 4..... (of candidate) |
| 5. (of candidate) | 6..... (of candidate.....) |
| 7. (of candidate) | 8..... (of candidate) |
| 9. (of candidate.....) | |

Signature of.....

Date

Presiding Officer

Time.....

*Strike out whichever not applicable.

PART IV

DECLARATION AFTER THE SEALING OF THE VOTING MACHINE

I have affixed my seals, and I have allowed the polling agents who were present at the polling station at the close of poll to affix their seals, on the carrying cases of the control unit and balloting units of the voting machine.

Date.....

Signature----- T

Time.....

Presiding Officer

(1) The following polling agents have affixed their seals.

Signature of polling agents for Member Election :-

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. (of candidate-----) | 4.....(of candidate.....) |
| 2. (of candidate.....) | 5.....(of candidate.....) |
| 3. (of candidate.....) | 6.....(of candidate.....) |

The following polling agents refused or did not want to affix their seals.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1.(of candidate----- ..) | 3----- (of candidate-----) |
| 2. (of candidate) | 4..... (of candidate) |

Signature

Date

Presiding Officer

अनुलग्नक I

[अध्याय-I पैरा 2]

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 से महत्वपूर्ण धारा के उद्धरण।

9. (1) निगम के लिए चुनाव:- (1) निगम के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, वार्डों के परिसीमन, आरक्षण तथा चक्रानुक्रम में स्थानों के आबंटन और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) सरकार और निगम, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर, आयोग को ऐसे कर्मचारी, सामग्री और मौद्रिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे जो राज्य चुनाव आयोग को उपधारा (1) में सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(3) आयोग अपने स्वयं के नियम बनाएगा और अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

9-ए. चुनाव उद्देश्यों के लिए परिसरों, वाहनों आदि की मांग - (1)। यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि नगर निगम के संबंध में-

(ए) किसी मतदान केंद्र के रूप में उपयोग किए जाने के लिए या मतदान के बाद मतपेटियों के भंडारण के लिए किसी भी परिसर की आवश्यकता है या होने की संभावना है, या

(बी) ऐसे चुनाव के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी वाहन, जहाज या जानवर की जरूरत है या किसी मतदान केंद्र से या किसी मतदान केंद्र से मतपेटियों के परिवहन के लिए या पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के लिए आवश्यक होने की संभावना है, या ऐसे चुनाव के संबंध में किसी भी कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे परिसर, या ऐसे वाहन, जहाज या जानवर, जैसा भी मामला हो, की मांग कर सकती है, और कर सकती है इस तरह के आगे के आदेश जो इसे मांग के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो सकते हैं:

बशर्ते कि कोई भी वाहन, जहाज या जानवर जो किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा ऐसे उम्मीदवार के चुनाव से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस उप-धारा के तहत ऐसे चुनाव में मतदान पूरा होने तक की मांग नहीं की जाएगी।

(2) मांग राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के मालिक या व्यक्ति के रूप में समझे जाने वाले व्यक्ति को संबोधित एक लिखित आदेश द्वारा प्रभावी होगी और इस तरह के आदेश को उस व्यक्ति पर निर्धारित तरीके से तामील किया जाएगा जिसे यह है संबोधित किया।

(3) जब भी उप-धारा (1) के तहत किसी संपत्ति की मांग की जाती है, तो ऐसी मांग की अवधि उस अवधि से आगे नहीं बढ़ेगी, जिसके लिए उस उप-धारा में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसी संपत्ति की आवश्यकता होती है।

(4) इस खंड में, -

(ए) "परिसर" का अर्थ किसी भी भूमि भवन या भवन का हिस्सा है और इसमें एक झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई हिस्सा शामिल है; और

(बी) "वाहन" का अर्थ सड़क परिवहन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम कोई भी वाहन है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित हो या अन्यथा।

9-बी. मुआवजे का भुगतान-(1) जब भी धारा 9-ए के अनुसरण में, राज्य सरकार किसी परिसर की मांग करती है, तो इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, जिसकी राशि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी, अर्थात्: -

(i) परिसर के संबंध में देय किराया या यदि कोई किराया इतना देय नहीं है, तो इलाके में समान परिसर के लिए देय किराया;

(ii) यदि परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप इच्छुक व्यक्ति को अपना निवास या व्यवसाय का स्थान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन के लिए उचित (यदि कोई हो) प्रासंगिक है;

बशर्ते कि जहां इस प्रकार निर्धारित मुआवजे की राशि से व्यथित कोई इच्छुक व्यक्ति राज्य सरकार को मामले को मध्यस्थ के पास भेजने के लिए निर्धारित समय के भीतर आवेदन करता है, भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि इस तरह के मध्यस्थ के रूप में नियुक्त की जाएगी राज्य सरकार द्वारा इस ओर से निर्धारित कर सकते हैं:

परन्तु यह और कि जहां मुआवजा प्राप्त करने के हक के संबंध में या मुआवजे की राशि के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो, वहां इसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, और ऐसे मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा में, अभिव्यक्ति "हितबद्ध व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति है, जिसके पास मांग से ठीक पहले धारा 9-ए के तहत मांगे गए परिसर का वास्तविक कब्जा था या जहां कोई भी व्यक्ति इस तरह के वास्तविक कब्जे में नहीं था, ऐसे का मालिक परिसर।

(2) जब भी धारा 9-ए के अनुसरण में, राज्य सरकार किसी वाहन, जहाज या जानवर की मांग करती है, तो उसके मालिक को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा जिसकी राशि राज्य सरकार

द्वारा किराए के आधार पर निर्धारित की जाएगी या ऐसे वाहन, जहाज या जानवर के किराए के लिए इलाके में प्रचलित दरें:

परन्तु जहां ऐसे वाहन, जलयान या पशु का स्वामी इस प्रकार निर्धारित मुआवजे की राशि से व्यथित होकर राज्य सरकार को मामले को मध्यस्थ के पास भेजने के लिए निर्धारित समय के भीतर आवेदन करता है, भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि ऐसी होगी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ के रूप में निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते आगे कि जहां वाहन या जहाज की मांग के ठीक पहले मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में किराया-खरीद समझौते के आधार पर था, इस उप-धारा के तहत निर्धारित राशि मांग के संबंध में देय कुल मुआवजे के रूप में होगी उस व्यक्ति और मालिक के बीच इस तरह से विभाजित किया जा सकता है जिस तरह से वे सहमत हो सकते हैं, और समझौते के डिफॉल्ट में, इस तरह से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के रूप में निर्णय ले सकता है।

9-सी। अधिग्रहण से परिसर की रिहाई- (1) जब धारा 9-ए के तहत मांगे गए किसी भी परिसर को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना है, तो उसका कब्जा उस व्यक्ति को दिया जाएगा, जिस समय परिसर की मांग की गई थी, या यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिसर का स्वामी समझा जाने वाला व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, और इस तरह के कब्जे का वितरण इस तरह के वितरण के संबंध में सभी देनदारियों से राज्य सरकार का पूर्ण निर्वहन होगा, लेकिन पूर्वाग्रह नहीं होगा परिसर के संबंध में कोई भी अधिकार जिसे कोई अन्य व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ लागू करने का हकदार हो सकता है जिसे परिसर का कब्जा दिया गया है।

(2) जहां वह व्यक्ति जिसे 9-ए के तहत मांगे गए किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के तहत दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता है या आसानी से पता लगाने योग्य नहीं है या उसके पास कोई एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो डिलीवरी स्वीकार करने के लिए सशक्त है उसकी ओर से, राज्य सरकार यह घोषणा करते हुए एक नोटिस का कारण बनेगी कि ऐसे परिसर जारी किए गए हैं, ऐसे परिसर के कुछ विशिष्ट भाग पर चिपकाए जाने की आवश्यकता है और नोटिस को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) जब उप-धारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होता है, तो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट परिसर ऐसे प्रकाशन की तारीख से मांग के अधीन नहीं रहेगा और वितरित किया गया माना जाएगा। उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को; और राज्य सरकार उक्त तिथि के

बाद किसी भी अवधि के लिए ऐसे परिसर के संबंध में किसी भी मुआवजे या अन्य दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

9-डी। मांग के संबंध में राज्य सरकार के कार्यों का प्रत्यायोजन।-राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि धारा 9-ए से 9-सी के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रदत्त कोई भी शक्ति या उस पर लगाया गया कोई कर्तव्य। ऐसी शर्तों के तहत, यदि कोई हो, जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसे अधिकारियों या अधिकारियों के वर्ग द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

9-ई. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और शासकीय कर्तव्य के उल्लंघन पर दंड-(1) राज्य सरकार, नगर निगम के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए राज्य सरकार के सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों से कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करेगी और इसके संबंध में नियोजित अधिकारियों या कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करेगी। सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का पुनरीक्षण और सुधार, और उनके संचालन को राज्य निर्वाचन आयोग के साथ उस अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा, जिस अवधि के दौरान वे इस प्रकार नियोजित हैं और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, उस अवधि के दौरान, राज्य चुनाव आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

(2) यदि उप-धारा (1) के तहत चुनाव इयूटी पर प्रतिनियुक्त कोई व्यक्ति चुनाव इयूटी के प्रदर्शन के संबंध में इस अधिनियम के तहत चुनाव कराने के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश की अवज्ञा करता है या जानबूझकर खुद को इयूटी से दूर रखता है या किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

21. भ्रष्ट आचरण—निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा, अर्थात्:

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उप-धारा (1) में परिभाषित रिश्वत; (1951 का 43);

(2) उक्त धारा की उप-धारा (2) में परिभाषित अनुचित प्रभाव;

(3) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से जाति, नस्ल, समुदाय या धर्म के आधार पर वोट देने या मतदान से परहेज करने की अपील या उपयोग या अपील करने के लिए, उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक प्रतीकों या, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग या अपील करना;

(4) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी ऐसे तथ्य का प्रकाशन जो झूठा है, और जिसे वह या तो झूठा मानता है या सच नहीं मानता है, किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में, या उम्मीदवारी के संबंध में, या किसी भी उम्मीदवार के चुनाव से हटने के संबंध में, उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को पूर्वाग्रहित करने के लिए यथोचित गणना की गई एक बयान;

(4-ए) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धर्म, जाति, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना। उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति; और

(5) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी निर्वाचक (उम्मीदवार के अलावा) के परिवहन के लिए उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी वाहन या जहाज को किराए पर लेना या खरीदना, चाहे वह भुगतान पर हो या अन्यथा, स्वयं, और उसके परिवार के सदस्य या उसका एजेंट) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान किए गए किसी भी मतदान केंद्र से या से;

(5-ए) धारा 13-ए के उल्लंघन में व्यय करना या अधिकृत करना।

परन्तु यह कि किसी निर्वाचक या अनेक निर्वाचकों द्वारा उन्हें या उन्हें ऐसे किसी मतदान केन्द्र तक पहुँचाने के प्रयोजन के लिए अपनी संयुक्त लागत पर वाहन या जलयान किराए पर लेना इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा, यदि इस प्रकार किराए पर लिया गया वाहन या पोत एक वाहन या पोत है जो यांत्रिक शक्तियों द्वारा संचालित नहीं है:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी मतदान केन्द्र पर जाने या आने के प्रयोजन के लिए किसी मतदाता द्वारा स्वयं किसी सार्वजनिक परिवहन वाहन या जलयान या किसी रेल गाड़ी का उपयोग इस उपधारा के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा;

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में "वाहन" पद का अर्थ किसी ऐसे वाहन से है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने में सक्षम है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित हो या अन्यथा और चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग किया जाता हो।

(6) किसी बैठक का आयोजन जिसमें नशीला शराब परोसा जाता है।

(7) चुनाव के संदर्भ में कोई भी सर्कुलर, प्लेकार्ड या पोस्टर जारी करना जिसमें उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो।

(7-ए) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके एजेंट की सहमति से प्राप्त करने या प्राप्त करने या प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास या प्राप्त करने का प्रयास, किसी भी सहायता (वोट देने के अलावा) के लिए भारत सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में किसी भी व्यक्ति से उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाना।

(8) कोई अन्य प्रथा जिसे सरकार नियमों द्वारा भ्रष्ट आचरण के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है।

22. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना-(1) प्रत्येक अधिकारी या अधिकारी, एजेंट या अन्य व्यक्ति जो चुनाव में मतों की रिकॉर्डिंग या गणना के संबंध में कोई कर्तव्य करता है, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और बनाए रखने में सहायता करेगा और (किसी कानून द्वारा या उसके तहत अधिकृत किसी उद्देश्य को छोड़कर) किसी भी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए गणना की गई किसी भी जानकारी को संप्रेषित नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

23. चुनाव में अधिकारी आदि उम्मीदवारों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे- (1) कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या नियुक्त अधिकारी या अधिकारी नहीं है। निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव के संबंध में किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए या पुलिस बल के सदस्य, चुनाव के संचालन या प्रबंधन में किसी भी कार्य (वोट देने के अलावा) को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाएं।

(2) पूर्वोक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा-

(a) किसी भी व्यक्ति को चुनाव में अपना वोट देने के लिए राजी करना; या

(b) किसी भी व्यक्ति को चुनाव में अपना वोट देने के लिए मना करना; या

(c) चुनाव में किसी भी व्यक्ति के मतदान को किसी भी तरह से प्रभावित करने के लिए।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(4) उपधारा (3) के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

24. चुनाव के दिन मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास और जनसभा में बैठने का प्रतिषेध-

(1) कोई भी व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र पर मतदान की तिथि या तारीख को निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा। मतदान केंद्र, या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर मतदान केंद्र से सौ मीटर की दूरी के भीतर, अर्थात्:-

(ए) वोट के लिए राजी करना; या

(बी) किसी भी निर्वाचक के वोटों की याचना करना; या

(सी) किसी मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए राजी करना; या

(डी) किसी भी मतदाता को चुनाव में मतदान न करने के लिए राजी करना; या

(ई) चुनाव से संबंधित हस्ताक्षर (आधिकारिक नोटिस के अलावा) के लिए कोई नोटिस प्रदर्शित करना।

(2) कोई भी व्यक्ति,-

(ए) चुनाव के संबंध में किसी भी सार्वजनिक बैठक या जुलूस को बुलाना, पकड़ना, उपस्थित होना, शामिल होना या संबोधित करना; या

(बी) छायांकन, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य उपकरणों के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के सामने प्रदर्शित करना; या

(सी) जनता के सदस्यों को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी भी संगीत समारोह या किसी नाट्य प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मनोरंजन को आयोजित करके या आयोजित करके जनता के लिए किसी भी चुनावी मामले का प्रचार करना;

किसी भी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक के कारावास या दस हजार रुपये से अधिक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। .

स्पष्टीकरण।—इस खंड में अभिव्यक्ति "चुनावी मामला" का अर्थ किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के लिए इरादा या गणना की गई कोई भी बात है।

(4) उप-धारा (1) या उपधारा (2) के तहत किया गया अपराध संज्ञेय होगा।

25. मतदान केन्द्र में या उसके निकट अव्यवस्थित आचरण के लिए शास्ति-(1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान केन्द्र पर मतदान की तारीख या तारीख को,-

(ए) मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर मानव आवाज को बढ़ाने या पुनः पेश करने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग या संचालन, जैसे मेगाफोन, या लाउड स्पीकर; या

(बी) मतदान केंद्र के भीतर या उसके प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर अव्यवस्थित तरीके से चिल्लाना या अन्यथा कार्य करना;

ताकि मतदान के लिए मतदान केंद्र पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को झुंझलाहट हो या मतदान केंद्र पर इयूटी पर तैनात अधिकारी और अन्य व्यक्ति के काम में बाधा उत्पन्न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या जानबूझकर सहायता करता है या उल्लंघन करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(3) यदि किसी मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दंडनीय अपराध कर रहा है या किया है, तो वह किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे कदम उठा सकता है और ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो उप-धारा (1) के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो, और ऐसे उल्लंघन के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण को जब्त कर सकता है।

26. मतदान केन्द्र पर कदाचार के लिए शास्ति-(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए नियत समय के दौरान स्वयं कदाचार करता है या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, उसे मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा या इयूटी पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे मतदाता को रोकने के लिए नहीं किया जाएगा जो किसी मतदान केंद्र पर मतदान करने का अन्यथा हकदार है, उस स्टेशन पर मतदान का अवसर प्राप्त करने से।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र से इस प्रकार हटाया गया है, पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा। ।

(4) उपधारा (3) के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

27. चुनाव के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन- यदि कोई व्यक्ति, जिस पर यह धारा लागू होती है, बिना उचित कारण के अपने आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन में किसी भी कार्य या चूक का दोषी है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच तक हो सकता है सौ रुपये। इस धारा के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) पूर्वोक्त किसी भी ऐसे कार्य या चूक के संबंध में नुकसान के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

(3) जिस व्यक्ति पर यह धारा लागू होती है, वह रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और नामांकन प्राप्त करने या उम्मीदवारी वापस लेने या वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती के संबंध में किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति है। चुनाव; और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधिकारिक कर्तव्य" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

28. मतदान केंद्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा - कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में धोखाधड़ी से मतदान केंद्र से मतपत्र लेता है या लेने का प्रयास करता है, या जानबूझकर ऐसे किसी भी कार्य को करने में सहायता करता है या उकसाता है, वह दंडनीय होगा। कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से।

(2) यदि किसी मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत दंडनीय अपराध कर रहा है या किया है, तो ऐसा अधिकारी, मतदान केंद्र छोड़ने से पहले और व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है या निर्देश दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है:

बशर्ते कि जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, तो किसी अन्य महिला द्वारा शालीनता का कड़ाई से ध्यान रखते हुए तलाशी ली जाएगी।

(3) तलाशी में गिरफ्तार व्यक्ति के पास पाया गया कोई मतपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंप दिया जाएगा या जब पुलिस अधिकारी

द्वारा तलाशी ली जाएगी या जब पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाएगी, ऐसे अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

(4) उप-धारा (1) के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

29. बूथ कैप्चरिंग का अपराध।- जो कोई बूथ कैप्चरिंग का अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो दो साल तक की हो सकती है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा और जहां ऐसा अपराध एक द्वारा किया जाता है सरकार की सेवा में व्यक्ति, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बूथ कैप्चरिंग" में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सभी या कोई भी क्रियाकलाप शामिल हैं, अर्थात्:-

(क) किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान अधिकारियों को मतपत्र या वोटिंग मशीन को आत्मसमर्पण करना और अन्य कार्य करना जो चुनाव के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर कब्जा करना और केवल अपने या अपने समर्थकों को वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने और दूसरे को मतदान से रोकने की अनुमति देना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकाना और उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर मतदान करने से रोकना;

(घ) मतगणना प्राधिकारियों द्वारा मतपत्रों या वोटिंग मशीन को अभ्यर्पित करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना के लिए स्थान की जब्ती और मतगणना के क्रम को प्रभावित करने वाला कोई कार्य करना;

(ई) सरकार की सेवा में किसी भी व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त सभी या किसी भी गतिविधि में या उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में ऐसी किसी भी गतिविधियों में सहायता या मिलीभगत करना।

30. अन्य अपराध और दंड—एक व्यक्ति चुनावी अपराध का दोषी होगा, यदि वह किसी चुनाव में:-

(ए) किसी भी नामांकन पत्र को धोखे से विरूपित, नष्ट कर देता है; या

(बी) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके अधिकार के तहत चिपकाई गई किसी सूची, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित, नष्ट या हटा देता है; और

(सी) डाक मतपत्र द्वारा मतदान के संबंध में इस्तेमाल किए गए किसी भी मतपत्र या किसी मतपत्र पर आधिकारिक चिह्न या पहचान की किसी घोषणा या आधिकारिक लिफाफे को कपटपूर्वक विरूपित करना; और

(डी) बिना उचित प्राधिकार के किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र की आपूर्ति करता है या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करता है या किसी मतपत्र के कब्जे में है; या

(ई) धोखाधड़ी से किसी मतपेटी में मतपत्र के अलावा कुछ भी डाल देता है जिसे वह रखने के लिए कानून द्वारा अधिकृत है;

(ऍफ) उचित अधिकार के बिना चुनाव के प्रयोजन के लिए उपयोग में आने वाले किसी मतपेटी मतपत्र को नष्ट, लेता, खोलता या अन्यथा हस्तक्षेप करता है: या

(जी) कपटपूर्वक या उचित अधिकार के बिना, जैसा भी मामला हो, पूर्वगामी कृत्यों में से कोई भी करने का प्रयास करता है या ऐसे किसी भी कार्य को करने में जानबूझकर सहायता या उकसाता है।

(एच) चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

(2) इस धारा के तहत अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति; -

(ए) यदि वह एक रिटर्निंग अधिकारी या एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी या एक मतदान अधिकारी या चुनाव के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या अधिकारी है, तो उसे दो साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है या जुर्माना या दोनों एक साथ ।

(बी) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है, तो कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पर माना जाएगा यदि उसका कर्तव्य किसी चुनाव के संचालन में या वोटों की गिनती सहित चुनाव के हिस्से में भाग लेना है या चुनाव के बाद जिम्मेदार होना है ऐसे चुनाव के संबंध में इस्तेमाल किए गए मतपत्र और अन्य दस्तावेज।

(4) उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(5) कोई भी अदालत धारा 24 के तहत, या धारा 28 के तहत, या इस धारा की उपधारा (2) के खंड (ए) के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी, जब तक कि राज्य चुनाव आयुक्त आदेश के तहत शिकायत नहीं की जाती है,

30-ए चुनाव के संबंध में नागरिकों के वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना - कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत चुनाव के संबंध में भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, जाति, समुदाय या भाषा, शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है तो उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

30-बी. fuokZpu IHkkvksa esa mino-& ¼1½ tks dksbZ O;fDr ,slh lkoZtfud IHkk es a] ftlds lEcU/k esa ;g /kkjk ykxw gS] ml dkjksckj ds laO;ogkj dk fuokfjr djus ds iz;kstu ds fy, ftl ds fy, ;g IHkk cqykbZ xbZ gS] foPNa`[kyrk ls dk;Z djsxk ;k दूसरो dks dk;Z djus ds fy, mnnhlr djsxk] og dkjkokl ls] ftldh vof/k Ng ekl rd dh gks ldsxh ;k tqekZus ls tks] nks gtkj :lk;s rd dk gks ldsxk] ;k nksuksa ls] n.Muh; gksxkA

¼2½ mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu n.Muh; vij/k laKs; gksxkA

¼3½ ;g /kkjk jktuSfrd izd`fr dh fdlh ,slh lkoZtfud IHkk dks ykxw gS tks lnL; ;k lnL;ksa dks fuokZfpr djus ds fy, fuokZpu {ks= ls vis{kk djus okyh] bl vf/kfu;e ds v/khu tkjh dh xbZ] vf/klwpuk dh rkjh[k ds vkSj ml rkjh[k ds chp] ftl rkjh[k dks ,slk fuokZpu gksrk gS] ml fuokZpu {ks= esa dh xbZ gSA

¼4½ ;fn dksbZ iqfyl vkfQlj fdlh O;fDr dh ckcr ;qfDr;qDr :lk ls lan sg djrk gS mlu s mi&/kkjk ¼1½ ds v/khu vij/k fd;k gS rks ;fn IHkk ds IHkkifr jkjk mlls ,slk djus dh izkFkZuk dh tk, rks og ml O;fDr ls vi s{kk dj ldsxk fd og rqjUr viuk uke vkSj irk crk, vkSj ;fn og O;fDr viuk uke vk Sj irk crkus ls badkj djrk gS ;k crkus esa vlQy jgrk gS ;k ;fn iqfyl vkfQlj mldh ckcr ;qfDr;qDr :lk ls lansg djrk gS fd mlus feF;k uke ;k irk fn;k gS rks iqfyl vkfQlj mls okj.V ds fcuk fxjQrkj dj ldsxkA

30सी iqfLrdkvksa] iksLVjksa vkfn ds eqnz.k ij fucU/ku-& ¼1½ dksbZ Hkh O;fDr dksbZ ,slh fuokZpu iqfLrdk ;k iksLVj ftlds eq[; i`B ij mlds eqnzd vkSj izdk'kd ds uke vkSj irs u gksa] eqfnzr ;k izdkf'kr u djsxk vkSj u eqfnzr ;k izdkf'kr djok,xkA

¼2½ dksbZ Hkh O;fDr fdlh fuokZpu iqfLrdk ;k iksLVj dks&

¼d½ ml n'kk esa ds flok; u rks eqfnzr djsxk] vkSj u eqfnzr dj,xx] ftlesa og mlds izdk'kd dh vU;;rk ds ckjs ea vius }kjk gLrk{kfjr vkSj ,sls nks O;fDr;ksa }kjk tks mls Loa; tkurs gS vuqizekf.kr f}izfrd ?kks"k.kk eqnzd dks ifjnu dj n srk gS (vkSj

¼[k½ ml n'kk esa ds flok; u rks eqfnzr djsxk ;k u eqfnzr dj,xx ftlesa fd eqnzd ?kks"k.kk dh ,d izfr nLrkost dh ,d izfr ds lfgr]&

(i) ml n'kk esa ftlesa fd og jkT; dh jkt/kkuh ea eqfnzr dh tkrh gS jkT; fuokZpu vk;qDr dks(vkSj

(ii) fdlh vU; n'kk esa ml ftys ds ftlesa fd og eqfnzr dh tkrh gS mik;qDr dks nLrkost ds eqnz.k ds i'pkr ~ ;qfDr;qDr le; ds Hkhrj Hkst nsrk gSA

¼3½ bl /kkjk ds iz;kstuksa ds fy,]&

¼d½ nLrkost dh vusdkusd izfr;ka cukus dh fdlh ,slh izfØ;k dh ckcr tks gkFk ls udy djds ,slh izfr;ka cukus ls fHkUu gS] ;g le>k tk,xx fd og eqnz.k gS] vkSj Þeqnzdp in dk vFkZ rnkuqlkj yxk;k tk,xx(vkSj

¼[k½ ÞfuokZpu i qfLrdk ;k ik sLVjÞ ls] fdlh vH;FkhZ ;k vH;fFkZ;ksa ds lewg ds fuokZpu dks IEizofrZr ;k izfrdwyr% izHkkfor djus ds iz;kstu ds fy, forfjr dksbZ eqfnzr iqfLrdk] ipkZ ;k vU; nLrkost ;k fuokZpu ds izfr funsZ'k djus okyk dksbZ lysdkMZ ;k iksLVj vfHkizsr gS] fdUr q fdlh fuokZpu lHkk dh rkjh[k] le;] LFkku vkSj vU; fof'kf"V;ksa dks vk[kfir djus okyk ;k fuokZpu vfHkdrkZvksa ;k dk;ZdrkZvksa a dks p;kZ lEcU/kh vuqns'k nsus okyk dksbZ ipkZ] lysdkMZ ;k iksLVj bls vUrxZr ugha vkrkA

¼4½ tks dksbZ O;fDr mi&/kkjk ¼1½ ;k mi&/kkjk ¼2½ ds micU/kksa esa ls fdlh dk mYya?ku djsxk og dkjkokl ls] ftldh vof/k Ng ekl rd dh gks ldsxh ;k tqekZus ls] tks nks gtkj :lk, rd dk gks ldsxk] ;k nksuksa ls] n.Muh; gksxkA

30 ऐ ernku djus ds fy, izfdz;k dk vuqikyu djus esa vlQyrk ds fy, 'kkfLr-& ;fn dksbZ fuokZpd ftls dksbZ eri= tkjh fd;k x;k gS] ernku djus ds fy, fofgr izfdz;k dk vuqikyu djus ls bUdkj djrk gS rks] mldks tkjh fd;k x;k eri= jn ~n fd;k tk ldsxkA

30३ fuokZpuksa esa izog.kksa ds voS/k :i ls HkkM+s ij ysus ;k mikl djus ds fy, 'kkfLr-& ;fn dksbZ O;fDr fuokZpu esa ;k fuokZpu ds laoxZ esa fdlh ,sls Hkz"V

vkpj.k dk nks"kh gksxk tSlk /kkjk 21 ds [k.M ¼5½ esa fofufnZ"V gS] rks og dkjkokl
ls] tks rhu ekl rd dk gks ldsxk] ;k tqekZus ls] n.Muh; gksxk i

30 ऐक fuokZpu vfHkdrkZ] ernku vfHkdrkZ ;k x.kuk vfHkdrkZ ds :i esa dk;Z djs
okys ljdkjh lsodksa ds fy, 'kkfLr-& ;fn ljdkj dh lsok esa dk dksbZ O;fDr fdlh
fuokZpu esa vH;FkhZ ds fuokZpu vfHkdrkZ ;k ernku vfHkdrkZ ;k x.ku vfHkdrkZ ds
:i esa dk;Z djsxk] rks og dkjkokl ls] ftldh vof/k rhu ekl rd dh gks ldsxh ;k tqekZus ls
;k nksuksa ls] n.Muh; gksxkA

30 जी ernku dsUnz dks ;k mlds lehi l'kL= gksdj tkus dk izfr"ks/k-& ¼1½ dksbZ
Hkh O;fDr]fjVfuZax vkfQlj] ihBklhu vkfQlj] dksbZ iqfyl vkfQlj vkSj ernku dsUnz ij
ifj'kkfUr vkSj O;oLFkk cuk, j[kus ds fy, fu;qDr dksbZ vU; O;fDr tks ernku dsUnz esa
fM;wVh ij gS ls fHkUu] ernku ds fnu] ernku dsUnz ds iM+ksl ds Hkhrj fdlh izdkj ds
vk;q) lfgR] tSlk vk;q) vf/kfu;e] 1959 ¼1959 dk 54½ esa ;FkkifjHkkf"kr gS] l'kL= gksdj
ugha tk,xkA

¼2½ ;fn dksbZ O;fDr mi&/kkjk ¼1½ ds micU/kksa dk mYya?ku djrk gS] rks og
dkjkokl ls] ftl dh vof/k nks o"kZ rd dh gks ldsxh] ;k tqekZus ls] ;k nksuksa ls]
n.Muh; gksxkA

¼3½ vk;q) vf/kfu;e] 1959 esa fdlh ckr ds gksrs gq, Hkh] tgka dksbZ O;fDr bl /kkjk
ds v/khu ds vijk/k ds fy, fl}nks"k Bgjk;k tkrk gS] mDr vf/kfu;e esa ;Fkkof.kZr vk;q)
mlds dCts esa ik;k tkrk gS vf/kgj.k dk nk;h gksxk vkSj ogka ,sls vk;q) ds lECU/k esa
nh xbZ vuqKfir ml vf/kfu;e dh /kkjk 17 ds v/khu izfrlag`r dh xbZ le>h tk,xhA

¼4½ mi /kkjk ¼2½ ds v/khu n.Muh; vijk/k laKs; gksxk A

30 एच ernku ds fnu deZpkfj;ksa dks lank; lfgR vodk'k fnu iznku fd;k tk,xk-& ¼1½
fdlh dkjckj] O;kikj] vkS|ksfxd miØe ;k fdlh vU; LFkkiu esa fu;ksftr vkSj i apk;rh
fudk;ksa ds fuokZpu esa er nsus ds gdnkj izR;sd O;fDr dks] fuokZpu ds fnu] vodk'k
iznku fd;k tk,xkA

¼2½ mi&/kkjk ¼1½ ds vuqlkj fn, x, vodk'k ds dkj.k ,sls fdlh O;fDr dh etnwjh esa ls dksbZ dVksrh ;k deh ugha dh tk,xh vkSj ;fn ,slk O;fDr ,sls vk/kkj ij fu;ksftr gS fd lk/kkj.kr;k ,sls fnu ds fy, og etnwjh izklr ugha djsxk] rks Hkh mls ,sls fnu ds fy, og etnwjh lanRr dh tk,xh ftldks og izklr djrk] ;fn ml fnu ds fy, mls vodk'k u fn;k gksrkA ¼3½ ;fn dksbZ fu;kstd mi&/kkjk ¼1½ ;k mi&/kkjk ¼2½ ds micU/kksa dk mYya?ku djrk gS] rks ,slk fu;kstd tqekZus ls] tks ikap lkS :lk, rd dk gks ldsxk] n.Muh; gksxkA ¼4½ ;g /kkjk ml fuokZpd dks ykxw ugha gksxh ftldh vu qifLFkfr ml fu;kstu ds ckjs esa] [krjk ;k lkjoku gkfudkfjr gks] ftlesa fd og yxk gqv k gSA

30 आई ernku ds fnu 'kjk cspuk] nsuk ;k forfjr u djuk-& ¼1½ dksbZ Hkh fLifjV;qDr] fdf.or ;k eknd 'kjk ;k bl izd`fr ds vU; inkFkZ fdlh Hkh ernku {ks= ds Hkhrj ml ernku {ks= esa fdlh pquko esa ernku dh lekflr ds fy, fu;r ?k.Vs ds lkFk lekflr gksus okyh 48 ?k.Vs dh vof/k ds nkSjku fdlh gksVy] [kkuiku ?kj] ikd'kkyk] nqdku ;k fdlh vU; lkoZtfud ;k izkbosV LFkku esa cspk] fn;k ;k forfjr ugha fd;k tk,xkA

¼2½ dksbZ Hkh O;fDr tks mi&/kkjk ¼1½ ds micU/kksa dk mYya?ku djrk gS] og dkjokl ls] ftldh vof/k Ng ekl rd dh gks ldsxh ;k tqekZus ls] tks nks gtkj :lk, rd dk gks ldsxk] ;k nksuksa ls] n.Muh; gksxkA

¼3½ tgka fdlh O;fDr dks bl /kkjk ds v/khu fdlh vijk/k ds fy, fl)nks" k Bgjk;k tkrk gS] ogka mlds dCts esa ik;s x, fLifjV;qDr] fdf.or ;k eknd 'kjk ;k bl izd`fr ds vU; inkFkZ vf/kgj.k d s nk;h gksaxs vkSj mudk fuiVkj ,slh jhfr esa fd;k tk,xk tSlh fofgr dh tk,

अनुलग्नक - II

(अध्याय I पैरा 2)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम से उद्धारण चुनाव नियम, 2012

31 **ernku dfeZ;ksa dh fu;qfDr** - & $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$ fjVfuZx vf/kdkjh izR;sd ernku dsUnz ds fy, ihBklhu vf/kdkjh vkSj bruh la[;k esa ernku vf/kdkjh fu;qDr djsxk] ftrus og bls fy, vko";d le>s

ijUrq ;fn dksbZ ernku vf/kdkjh ernku dsUnz ls vuqifLFkr gks] rks ihBklhu vf/kdkjh fdlh Hkh ljdkjh ;k v/kZljdkjh ;k fuxe deZpkjh dks iwoZorhZ vf/kdkjh dh vuqifLFkr dh vof/k ds nksjku] ernku vf/kdkjh fu;qDr dj ldsxk vkSj rc rnkuqlkj fjVfuZx vf/kdkjh dks lwfpr djsxkA

$\frac{1}{4}\frac{2}{2}$;fn ihBklhu vf/kdkjh] vLoLFkrk ;k vU; vifjgk;Z dkj.kksa ls ernku dsUnz ls vuqifLFkr gks] rks mldk dk;Z ml ernku vf/kdkjh }kjk fu'ikfnr fd;k tk,xk] ftls fjVfuZx vf/kdkjh us ,slh vuqifLFkr esa dk;Z djus ds fy, igys gh izkf/kd`r dj j[kk gksA

46 **ernku vfHkdrkZ dh fu;qfDr** - & (1) ernku vfHkdrkZvksa dh la[;k] tks vH;FkhZ }kjk fu;qDr fd, tk,axs] izR;sd ernku dsUnz ds fy, ,d gksxhA

(2) izR;sd ,slh fu;qfDr iz:i&27 esa dh tk,xh vkSj bls ernku vfHkdrkZ dks ernku dsUnz esa izLrqr djuk vfuok;Z gksxkA

(3) fdlh Hkh ernku vfHkdrkZ dks] fdlhs ernku dsUnz esa rc rd izos" k ugha djus fn;k tk,xk] tc rd fd og mi&fu;e (2) ds v/khu] ihBklhu vf/kdkjh ds le{k mlesa vUrfoZ'V ?kks'k.kk dks IE;d~ :i ls iw.kZ djus vkSj gLrk{kj djus ds Ik"pkr~] viuh fu;qfDr ds nLrkostksa dks] ihBklhu vf/kdkjh dks ifjnRr ugha dj nsrk gSA

47- **ernku vfHkdrkZ dh vuqifLFkr** - & tgak dksbZ dk;Z ;k ckr] bu fu;eksa }kjk visf{kr ;k izkf/kd`r] vfHkdrkZvksa dh mifLFkr esa dh tkuh gS] rks iz;kstu ds fy, fu;r LFkku vkSj le; ij fdlh ,sls vfHkdrkZ ;k vfHkdrkZvksa dh vuqifLFkr esa fd, x, dk;Z ;k ckr dks vfof/kekU; ugha cuk,xhA

51 **vkikrdky esa ernku dk LFkxu** - & (1) ;fn fdlh fuokZpu esa fdlh ernku dsUnz dh dk;Zokfg;ksa esa cyos ;k [kqyh fgalk }kjk] O;o/kku ;k +ck/kk igqapkbZ tk, ;k ml ernku dsUnz esa fdlh izkd`frd foifUk ds dkj.k ;k fdlh vU; Ik;kZlr dkj.k ls ernku djokuk IEHko u gk]s rks ihBklhu vf/kdkjh] ,sls ernku dsUnz ds ernku LFkxu dh] ,slh rkjh[k ds fy,] tks ckn esa vf/klwfpr dh tk,xh] ?kks'k.kk djsxk vkSj fjVfuZx vf/kdkjh dks rqjUr lwfpr djsxkA

(2) tgak mi fu;e (1) ds v/khu ernku dk LFkxu gqvk gS] ogak fjVfuZax vf/kdkjh ifjLFkfr;ksa dh fjiksVZ vk;ksx vkSj ljdkj dks rqjUr nsxk vkSj ;Fkk”kD; “kh?kz] og fnu fu;r djsxk] ftldks iqueZrnku gksxk vkSj ernku dsUnz] tgak ernku gksxk vkSj le; ftl nkSjku ernku djok;k tk,xk] fu;r djsxkA ,sls fuokZpu esa Mkys x, erksa dh rc rd x.kuk ugha dh tk,xh tc rd ,slk LFkfxr ernku iw.kZ ugha gks tkrk vkSj ,sls ernku dsUnz esa iz;ksx dh xbZ erisVh dh lhy cUn djds lqjf{kr vfHkj{kk esas] x.kuk vkjEHk gksus rd j[kk tk,xkA

(3) bl fu;e ds v/khu leLr ekeyksa esa fjVfuZax vf/kdkjh mi&fu;e (2) ds v/khu] fu;r rkjh[k] LFkku vkSj le; dks fofufnZ’V djrs gq, lwpuk (uksfVI) dks vius dk;kZy; vkSj fuxe ds rFkk IEcfU/kr rglhy ds dk;kZy; esa yxk,xkA

52 erisVh vkfn u’V gksus dh n’kk esa u, fljs ls ernku - & (1) ;fn fdlh fuokZpu esa] dksbZ erisVh] ihBklhu vf/kdkjh dh vfHkj{kk esa ls fof/k fo:) yh tkrh gS ;k mlls fdlh izdkj dh xM+cM+ dh tkrh gS ;k nq?kZVuko”k vFkok tkucw> dj u’V] xqe ;k [kjc dj nh xbZ gS] rks ml ernku dsUnz ij] ftlls ,slh erisVh IEcfU/kr gS] ernku “kwU; ?kksf’kr fd, tkus ds fy, nk;h gksxkA

Li’Vhdj.k %& eri= dh {kfr gksus ds vUrxZr erksa dh x.kuk ds le; fdUrq x.kuk vkSj ifj.kke dh ?kks’k.kk iw.kZ gksus ls iwoZ eri=ksa dks igqapkbZ xbZ {kfr ;k u’V djuk Hkh gSA

(2) tc fdlh ernku dsUnz esa ernku] mi&fu;e (1) ds v/khu “kwU; ?kksf’kr djus ds nkf;Ro ds v/khu gks tkrk gS] rks ihBklhu vf/kdkjh ;Fkk”kD; “kh?kzrk ls] ,sls uqdlku ;k fouk”k ds dk;Z ;k ?kVuk dh fjiksVZ fjVfuZax vf/kdkjh dks nsxk] tks viuk lek/kku djus ij fd mlds ifj.kke Lo:lk ml ernku dsUnz ds ernku ds ifj.kke dks vfHkfuf”pr ugha fd;k tk ldrk] ernku dks “kwU; ?kksf’kr djsxk vkSj ,sls ernku dsUnz esa u, fljs ls er djokus ds fy, fnu vkSj le;] ftlds nkSjku ernku gksxk] fu;r djsxk rFkk ,sls fuokZpu esa] okMZ ds vU; ernku dsUnzksa esa Mkys x, erksa dh x.kuk rc rd ugha djsxk] tc rd u, fljs ls ernku ugha gks tkrkA

55 ernku ds LFkxu ij izfrfdz;k %& (1) ;fn fdlh ernku dsUnz esa fu;e 51 ds v/khu ernku LFkfxr fd;k tkrk gS] rks bu fu;eksa ds micU/k ,sls u, fljs ls djok, tkus okys izR;sd ernku ds IEcfU/k esa] ,sls gh ykxw gksaxsa] tSlS vkjFEHkd ernku esa ykxw gksrs gSaA

(2) tc fu;e 51 ds mi fu;e (2) ds v/khu LFkfxr ernku dks iqu% izkjEHk fd;k tkrk gS] rks ernkrk] tks igys bl izdkj LFkfxr ernku esa er ns pqdk gks] mls nqckjk er ugha nsus fn;k tk,xkA

(3) fjVfuZx vf/kdkjh] ,sls ernku dsUnz ds ihBklhu vf/kdkjh dks] tgka LFkfxr ernku fd;k tkuk gS] fuokZpu lwph dh Li'V izfr visf{kr la[;k ds eri= vkSj ubZ erisVh lhy cUn iSDVksa esa miyO/k djx,xkA

(4) ihBklhu vf/kdkjh lhy cUn iSDV dks ,sls vH;fFkZ;ksa ;k muds vfHkdrkZvksa] tks mifLFkr gksa] dh mifLFkfr esa [kksysxk vkSj mls LFkfxr ernku ds lapkyu ds fy, iz;ksx djsxkA

60 ernku dk izkjEHk - & ihBklhu vf/kdkjh fuokZpu dh lwpuk¼uksfVI½ esa of.kZr le; ij gh ernku dk vkjEHk djsxk vkSj ernku ds izkjEHk ls iwoZ og mu lHkh] tks mifLFkr gksa] ds /;ku esa /kkjk 22 ds micU/kkas dks yk,xkA bl /kkjk ds micU/k fuEufyf[kr gSa %&

“22 ernku dh xksiuh;rk dks cuk, j[kuk %& ¼1½ ,slk izR;sd vf/kdkjh] in/kkj] vfHkdrkZ ;k vU; O;fDr tks fuokZpu ds erksa dks vfHkfuf[kr djus ;k mudh x.kuk djus ls lEcU/kr fdlh dÙkZO; dk ikyu djrk gS] ernku dh xksiuh;rk dks cuk, j[ksxk vkSj cuk, j[kus esa lgk;rk djsxk vkSj ,slh xksiuh;rk dk vfrdze.k djus ds fy, izdfYir dksbZ tkudkj fdlh O;fDr dks ¼fdlh fof/k ;k mlds v/khu izkf/kd`r fdlh iz;kstu ds fy, lalwfpr djus ds flok,½ llwafpr ugha djsxkA

¼[k½ tks dksbZ O;fDr mi /kkjk ¼1½ ds micU/kksa dk mYya?ku djsxk] og dkjokl ls] ftldh vof/k rhu ekl rd dh gh gks ldsxh ;k tqekZus ls ;k nksukas l]s n.Muh; gksxkA”

अनुबंध III


(अध्याय I, पैरा 5)

पीठासीन अधिकारियों के लिए मेमो की जांच करें

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	रिटर्निंग अधिकारी से प्रासंगिक निर्देश प्राप्त करना और अपने कब्जे में रखना	क्या प्राप्त किया या नहीं
2	मतदान दल के अन्य सदस्यों के साथ परिचय तथा उनके साथ संबंध।	क्या किया गया?
3	चुनाव सामग्री का संग्रह क्या सुनिश्चित किया गया है एवं सभी चुनाव सामग्री और वह भी पर्याप्त मात्रा में और संख्या में एकत्र की गई है?	क्या किया गया?
4	बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट की जांच मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियां के, एरो क्रॉस मार्क सील, स्टैम्प पैड, ब्लू पेपर सील, रजिस्टर मतदाता रजिस्टर, मतदाता पर्ची आदि	
5	मतदान केन्द्र में मतदाताओं के लिए अलग प्रवेश और निकास सुनिश्चित किया गया है?	क्या किया गया?
6	मतदान क्षेत्र निर्दिष्ट करने वाली सूचना का प्रदर्शन क्या प्रदर्शित किया गया है और सौंपे गए निर्वाचकों की संख्या और साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति को प्रदर्शित करना	क्या किया गया?

7	कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को आपस में जोड़ना और बैटरी चालू करना।	क्या किया गया?
8	मॉक पोल आयोजित किया गया या नहीं?	क्या किया गया?
9	कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट कंपार्टमेंट पर ब्लू पेपर सील लगाना	क्या किया गया?
10	कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड को सील करना।	
11	मतदान के प्रारंभ में की जाने वाली घोषणा क्या की गई	
12	. धारा के प्रावधानों को 22 किया है? हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के धारा 22 के प्रावधानों को मतदान की गोपनीयता के संबंध में पढ़ना।	
13	मतदान अभिकर्ताओं को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं ब्लू पेपर सील क्रमांक नोट कर देने की अनुमति दी गई है या नहीं?	
14	बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान और मतदाता रजिस्टर (फॉर्म 26ए) पर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करना	क्या सही तरीके से किया जा रहा है
15	कम उम्र के मतदाताओं से घोषणा क्या प्राप्त की गई?	
16	पीठासीन अधिकारी की डायरी को समय-समय पर संधारित करते रहना	
17	. विज़िट शीट का रखरखाव	
18	नियत समय पर मतदान समाप्त हुआ क्या हो गया?	
19	प्रपत्र 43क में दर्ज मतों के लेखा की आपूर्ति अनुप्रमाणित कर सभी मतदान एजेंटों प्रतियां देना	

20	मतदान के अंत में की जाने वाली घोषणा	
21	वोटिंग मशीन और चुनाव पत्रों को सील करना	



अनुबंध IV

(अध्याय III, पैरा I)

मतदान केंद्र के लिए मतदान सामग्री की सूची
जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा
1	कंट्रोल यूनिट 1	1
2	बैलट यूनिट	1 (निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार पर निर्भर)
3	मतदाता का रजिस्टर (फॉर्म 26A)	मतदान केन्द्र पर कुल मतदाता की संख्या पर निर्भर
4	वोटर स्लिप	1000 (मतदान केन्द्र पर कुल मतदाता की संख्या पर निर्भर)
5	मतदाता सूचियाँ	3
6	मतपत्र (निविदित मत के लिए)	20
7	अमिट स्याही	2 शीशी 5cc
8	एड्रेस टैग कंट्रोल यूनिट	3
9	एड्रेस टैग बैलट यूनिट	3
10	विशेष टैग, परिणाम टैग के भीतरी खंड को सील करने के लिए	2
11	ब्लू पेपर सील	2
12	एरो क्रॉस मार्क सील	1
13	स्टाम्प पैड	1
14	मेटल रूल	1
15	माचिस	1
16	पीठासीन अधिकारी की डायरी	2

17	सुभेदक मोहर चिन्ह	1
18	फॉर्म	
i	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (फॉर्म 25)	3
ii	चुनौती किए गये मतों की सूची (फॉर्म 42)	3
iii	अंधे एवम शिथिलांग मतदाताओं की सूची (फॉर्म 40)	3
iv	निविदित मतों की सूची (फॉर्म 41)	3
v	मतपत्रों का लेखा (फॉर्म 43 A)	6
vi	रसीद बुक	1
vii	लैटर टू एस एच ओ	3
viii	मतदान की शुरुआत और मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा (भाग I से IV तक)	3
ix	निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के बारे में घोषणा	3
x	ऐसे मतदाताओं की सूची जिन्होंने घोषणा करने के बाद मतदान किया /घोषणा देने से इंकार	3
xi	अंधे एवम शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा	3
xii	पोलिंग एजेंट पास	15
19	लिफाफे	
i	छोटे वैधानिक लिफाफों के लिए कवर (SE-8) For smaller envelopes (Statutory Covers)(SE-8)	1
ii	चिह्नित मतदाता सूची के लिए कवर (SE-8) For marked copy of electoral rolls (SE-8)	1

iii	मतदाता सूचियों की अन्य प्रतिया रखने के लिए कवर (SE-8) For other copies of electoral rolls (SE-8)	1
iv	निविदित मत पत्रों एवेम मतदाताओं की सूची (SE-7) For tendered ballot paper and tendered ballot paper (SE7)	1
v	मतदान की शुरुआत और मतदान के अंत में पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा (SE7) For declaration by the Presiding Officer before commencement of poll and at the end of Poll (SE7)	1
vi	मतपत्रों का लेखा (फॉर्म 43 A) (SE-5) For Account of votes (Form 43) (SE)	1
vii	चुनौती किए गये मत (SE-5) For list of challenged votes (SE-5)	1
viii	अप्रयुक्त एवं खराब पप्पेर सील के लिए (SE-5) For unused and spoiled paper seal (SE- 5)	1
ix	पोलिंग एजेंटों के नियुक्ति पत्र (SE-6) For appointment letters of Polling Agents (SE-6)	1
x	अंधे एवम शिथिलांग मतदाताओं (SE-5) For blind and infirm voters (SE-5)	1
xi	पीठासीन अधिकारी की डायरी (SE-6) For Presiding Officer Diary (SE-6)	1
xii	For poll Duty (SE-5)	1
xiii	रसीद बुक व जब्त नगदी के लिए (SE-6) For Receipt Book and cash forfeited	1

	(SE-6)	
xiv	अंधे एवम शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा (SE-5) Declaration by the companion of blind and infirm voters (SE-5)	1
xv	मतदाता का रजिस्टर हस्ताक्षरित (फॉर्म 26A) (SE-8) Register of voters signed (Form26A) (SE-8)	1
xvi	छोटे लिफाफों को रखने के लिए (SE-7) (SE-8) For Smaller envelopes (SE-7) (SE-8)	2
xvii	अन्य सम्बंधित कागजात (SE-5) For other relevant papers (SE-5)	1
xviii	अध्याय 14 में पीठासीन अधिकारी के लिए संक्षिप्त रिकॉर्ड के लिए कवर Cover for Presiding Officer brief record under chapter 14	1
xix	लिफाफे (SE-7)-2 (SE-8)-3 Envelopes (SE-7)-2 (SE-8)-3	5
xx	अप्रयुक्त मतपत्रों के लिए (SE-7) For unused ballot papers (SE-7)	1
xxi	अन्य कागजात क लिए लिफाफा जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील करने का निर्णय लिया है (SE-7) For any other papers that the RO has decided to keep in the sealed cover (SE-7)	1
xxii	अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए (SE-7) For unused and damaged special tag	1

	(SE-7)	
20	साइन बोर्ड	
a	Presiding Officer पीठासीन अधिकारी	1
b	Polling Officer मतदान अधिकारी	3
c	Entry प्रवेश	1
d	Exit बाहर	1
e	Polling Agent मतदान एजेंट	5
f	Miscellaneous Notice	
21	Stationery	
i	Ordinary & copying pencil	1 each
ii	Ball Pen	2
iii	Pins	25 pieces
iv	Sealing Wax	2 Sticks
v	Voting Compartment	1
vi	Gum Paste	1 bottle
vii	Blade	1
viii	Candles	1 stick
ix	Thin twin thread	20 Meters
x	Metal Rule	1
xi	Carbon Paper	3
xii	Cloth or rag for removing oil etc.	3
xiii	Cup/Empty tin/ Plastic Box for holding indelible ink	1
xiv	Cello Tap (small)	1

3 पीठासीन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को वापस की जाने वाली सामग्री की सूची:-

1. एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प
2. पीठासीन अधिकारी की धातु मुहर
3. स्टेशनरी बैग युक्त
 - (i) सेल्फ इंकिंग पैड
 - (ii) वोटिंग कंपार्टमेंट
 - (iii) मेटल रूल
 - (iv) अमिट स्याही रखने के लिए प्लास्टिक बॉक्स
 - (v) अन्य सभी अप्रयुक्त वस्तुएं।
- (VI) हैंड बुक

LETTER OF COMPLAINT TO THE S.H.O POLICE

To

The Station House Officer

.....

.....

Subject: Election to the Councillor from Ward No. and Name.....of
Municipal Corporation

Sir,

I am to report that Sh.....S/o Sh.....and resident
of.....has challenged the identity of the person who is being handed over
to.....This person claimed to be.....whose name appears at Serial
No.....in the electoral rolls of Municipal Corporation of ward No. and
Name.....He could not prove himself to be this elector. In my opinion he is
an imposter. I am to request you to take necessary action as required under section 171-F of
the Indian Penal Code.

Yours faithfully,

Signature
Presiding Officer

Place.....

Dated.....

Copy forwarded to the RO/ARO for

MC/NP.....

Signature
Presiding Officer

RECEIPT

The above letter and the person referred to therein were handed over to me
at.....(hours) on.....(date) by the Presiding Officer.

ANNEXURE- VIII
(Chapter XV, Para7.2)

FORM OF DECLARATION BY ELECTOR ABOUT AGE

I hereby solemnly declare and affirm that my age was more than 18 years on the -----
-----, i.e. the qualifying date with reference to which the existing electoral roll of the
constituency was prepared/revised.

I am aware of the penal provisions for making any false declaration in connection with
the inclusion of any name in the electoral roll or the preparation, revision or correction of the
electoral roll

Signature/Thumb impression of the Elector

.....

Father/Mother/Husband's

Name.....

.....

Name of ward & Number

Name of MC/NP.

Dated.....

Serial number of elector.....

Certified that the above declaration was made and subscribed by the elector
above named before me.

Signature of the Presiding Officer

.....

Number and name of polling station

Dated.....

.....

Annexure- IX
(Chapter XV, Para 7.3)

Election to the **Councillor** from Ward No. and Name.....Municipal Corporation.....

Part I
LIST OF VOTERS FROM WHOM DECLARATION AS TO THEIR AGE HAVE BEEN OBTAINED

Sl. No.	Name of elector	Serial No. in electoral roll	Age as entered in electoral roll	Age as assessed by the Presiding Officer
1	2	3	4	5
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
etc.				

Part II
LIST OF ELECTORS WHO HAVE REFUSED TO MAKE DECLARATIONS AS TO THEIR AGE

Sl. No.	Name of elector	Serial No. in electoral roll	Age as entered in electoral roll	Age as assessed by the Presiding Officer
1	2	3	4	5
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
etc.				

Dated

Signature of Presiding Officer

Annexure - X

(Chapter XIX, Para 1.3)

**DECLARATION BY THE COMPANAION OF
BLIND OR INFIRM ELECTOR**

*Election to the Councilor for Ward No. & Name _____ of Municipal Corporation

No. and name of Polling Station _____

I son of..... Aged.....

resident of (Full address).....

hereby declare that:

(a) I have not acted as companion of any other voter at this or any other polling station
Today, the and;

(b) I will not disclose the secrecy of the vote recorded by me on behalf of
.....

Date.....

Place.....

Signature of Companion

*Strike off the inappropriate.

Annexure-XI
(Chapter XXVIII, Para 1.1)
PRESIDING OFFICER'S DIARY

Sr. No......

1. Name of the Municipal Corporation. (in block letters):
2. Date of poll :
3. Name & Number of the polling station :
Whether located in-
 - (i) Government or Semi-government building;
 - (ii) Private building;
 - (iii) Temporary structure;
4. Number of polling officers recruited locally, if any :
5. Appointment of polling officer made in the absence
of duly appointed polling officer, if any, and the
reasons for such appointment :
6. Voting Machine-
 - (i) Number of Control Units used :
 - (ii) Sr. No. (s) of Control Units used :
 - (iii) Number of balloting units used :
 - (iv) Sr. No. of balloting units used :
7.
 - (i) Number of paper seals used :
 - (ii) Sr. Nos. of paper seals used :
- 7A.
 - (i) Number of special tags supplied:
 - (ii) Sr. No.(s) of special tags supplied:
 - (iii) Number of special tags used:
 - (iv) Sr. No.(s) of special tags used:
 - (v) Sr. No.(s) of special tags returned as unused
- 7B.
 - (i) Number of Strip Seals supplied:
 - (ii) Sr. No.(s) of Strip Seals supplied: -----
 - (iii) Number of Strip Seals used: -----
 - (iv) Sr. No.(s) of Strip Seals used: -----
 - (v) Sr. No.(s) of Strip Seals returned as unused: -----

8. Number of polling agents and the number who arrived late : -----
9. Number of candidates who had appointed polling agents at the polling stations: -----
10. (i) Total no. of voters assigned to the polling station: -----
- (ii) Number of electors allowed to vote according to -----
marked copy of the electoral rolls
- (iii) Number of electors who actually voted as per the Register of Voters (Form 26-A). -----
- (iv) Number of votes recorded as per the voting machine: -----

Signature of first Polling Officer Signature of Polling Officer in-charge of Register of Voters

11. Number of electors who voted-
- Men.....
- Women
- Total
12. Challenged vote-
- Number allowed
- Number rejected
- Amount forfeited Rs.
13. Number of persons who have voted on production of Poll Duty Certificate (PDC) : -----

14. Number of electors who voted with the help of companions :-----
15. Number of tendered votes : -----
16. No. of electors- -----
- (a) From whom declarations as to their age obtained
- (b) Who refused to give such declaration
17. Whether it was necessary to adjourn the poll and if so, the reasons for such adjournment : -----
- Number of votes cast-from 7 a.m. to 9 a.m.
18. from 9 a.m. to 11 a.m. -----
- from 11 a.m. to 1 p.m.-----
- from 1 p.m. to 3 p.m. -----
19. Number of slips issued at the closing hour of the poll : -----

20. Electoral offences with details :
Number of cases of-
- (a) canvassing within one hundred metres of the polling station : -----
 - (b) impersonation of voters : -----
 - (c) fraudulent defacing, destroying or removal of the list of notice or other document at the polling station. -----
 - (d) bribing of voters : -----
 - (e) intimidation of voters and other persons : -----
 - (f) booth capturing -----
22. Was the poll interrupted or obstructed by-
- (a) riot :
 - (b) open violence :
 - (c) natural calamity :
 - (d) booth capturing:
 - (e) failure of voting machine
 - (f) any other cause : Please give details of the above.
23. Was the poll vitiated by any voting machine used at the polling station having been-
- (a) unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer:–
 - (b) accidentally or intentionally lost or destroyed :
 - (c) damaged or tampered with :
- Please give details
24. Serious complaints, if any, made by the candidate/agents :
25. Number of cases of breach of law and order :
26. Report of mistakes and irregularities committed, if any, at the polling station:
27. Whether the declarations have been made before the commencement of the poll and if necessary during the course of poll when a new voting machine is used and at the end of poll as necessary :

Place :

Date :

Presiding Officer

This diary should be forwarded to the Returning Officer alongwith the voting machine.

Annexure-XII
(Chapter VI, Para 7(VII))
Mock Poll Certificate

This is certified that I Presiding Officer at the Polling Station No & Name.....of Municipal Corporationfor ward No. and Name..... conducted the mock poll atAM today, the poll day i.e.following the instructions issued by the State Election Commission H.P.

A total ofvotes were polled in the mock poll and after the mock poll. I have carefully cleared the memory and the total votes polled showed '0' after clearing the memory.

A. At the time of mock poll the following of polling agents representing the candidates whose names mentioned against the names of such agents were present and I have obtained their signatures.

B. At the time of mock poll the agent of only one contesting candidate was present. After waiting for ten more minutes I conducted the mock poll along with other polling staff at I have mentioned the name of the agent present at the time of mock poll including the name of the candidate whom he represented.

(In case, no agent was present it shall be mentioned " No Polling agent was present at the time of mock poll)

Name of the agent	Name of the Candidate	Signature of the agent
1. _____		
2. _____		
3. _____		
4. _____		
5. _____		
6. _____		
7. _____		
8. _____		
9,10 etc.		

Date:

Time:

Name &Signature of the P.O

Annexure-XIII
Chapter XXV, Para 1.2)

Slip

(For voters in Q at closing Hr. of Poll

Sr.No-1

[Signature (in full)of P.O]

Ward No._____ of MC/NP _____

No. Name of Polling Station-----
.....

SLIP

(For voters in Q at closing Hr.of poll

Sr.No.6

[Signature (in full)of P.O]

Ward No.____ of MC/NP _____

No. Name of Polling Station-----
.....

SLIP

(For voters in Q at closing Hr. of Poll

Sr.No.2

[Signature (in full)of P.O]

Ward No._____ of MC/NP _____

No. Name of Polling Station-----
.....

SLIP

(For voters in Q at closing Hr.of poll

Sr.7

[Signature (in full)of P.O]

Ward No.____ of MC/NP _____

No. Name of Polling Station-----
.....

SLIP

(For voters in Q at closing Hr. of Poll

Sr.No.3

Signature (in full)of P.O]

Ward No._____ of MC/NP _____

No. Name of Polling Station -----
.....

SLIP

(For voters in Q at closing Hr.of poll

Sr.No.8

[Signature (in full)of P.O]

Ward No.____ of MC/NP _____

No. Name of Polling Station-----
.....

ANNEXURE-XV

Various types of display which appear on the panel are annexed as Annexure-XV

- | | | |
|-----|------------------|--|
| (a) | LINK ERROR--: | Indicates 'LINK ERROR' of first BU, i.e., interconnecting cable is missing, snapped or when only one Ballot Unit is used. 'Slide Switch' in that unit has not been set to position '1' or when more than one Ballot Units are used, those units have not been linked in the proper order |
| (b) | PRESSED ERROR--: | Indicates any of the candidates' button in the first Ballot Unit is kept pressed or jammed. |
| (c) | ERROR | Indicates the Control Unit is not fit for use |
| (d) | INVALID | Indicates a button on the Control Unit has been pressed out of sequence. |
| (e) | CU ERROR | Indicates the Control Unit is to be changed. |
| (f) | BU - 1 ERROR | Indicates the Ballot Unit-1 is to be changed |
| (g) | CLOCK ERROR | Indicates the malfunction of Real Time Clock (RTC) |
| (h) | END | Indicates the end of display sequence after pressing of 'Clear' or 'Result' button |
| (i) | FULL | Indicates that the maximum number of votes (2000) for which the machine is designed, have been polled. The machine is designed to store 2000 votes in its memory. |

(j)	CANDIDATES 6	Indicates that the machine is set for 6 candidates
(k)	TOTAL POLLED VOTES 1487	Indicates that total number of votes polled is 1487
(l)	CANDIDATE 06 235	Indicates that the Candidate No.6 has polled 235 votes
(m)	-----	Indicates that the Power pack is weak
(n)	CHANGE BATTERY	Indication for change of power pack as battery status reached for BATTERY Replacement
(o)	BATTERY HIGH	Indicates that the capacity of the battery is High
(p)	BATTERY MEDIUM	Indicates that the capacity of the battery is medium
(q)	BATTERY LOW	Indicates that the capacity of the battery is low
(r)	DTE 16-01-07 TME 09-43-34	Indicates the Date and Time
	SL NO-H00003	Indicates the serial number of the Control Unit mentioned on back side of CU
(t)	COMPUTING RESULT	Indicates that the RESULT is getting computed
(u)	PST 09-50-20 PET 15-32-10	Indicates the Poll Starting Time and Poll end Time
(v)	RESULT POT 16-01-07	Indicates the Result and Date of the Poll
(w)	PRINTING	Indicates the printing is under progress.
(x)	DELETING POLLED VOTES	Indicates the deleting of polled votes from CU

When the power switch of the Control Unit is pushed upwards to 'ON' position. It will give a 'beep' sound and the 'ON' lamp on the Display section of the Control Unit will glow **GREEN** and the following display will appear turn by turn on the Display Panel:-

EVM IS ON
ECI

DTE 16-01-07
TME 09-43-34

Indicates date is in DD-MM-YY and time is in HH-MM-SS Format

SL NO-H00003

Indicates the serial number of the Control Unit

CANDIDATES
10

Indicates the contesting candidates are ten

BATTERY
HIGH

Indicates the status of the battery is 'HIGH'

SET
CANDIDATE --

Indicates that the button 'Cand. Set' has been pressed after the 'ON' lamp glowed **GREEN**. The machine has to be set according to the number of contesting candidates.

Other Displays on the Display Panel are as follows:-

When all counts are set to '0' by pressing the 'Clear' button

DELETING
POLLED VOTES

CANDIDATES
9

(If the machine is set for 9 candidates)

TOTAL POLLED
VOTES 0

CANDIDATE - 01
VOTES 0

CANDIDATE - 02
VOTES 0

CANDIDATE - 03
VOTES 0

CANDIDATE - 04
VOTES 0

CANDIDATE - 05
VOTES 0

CANDIDATE - 06
VOTES 0

CANDIDATE - 07
VOTES 0

CANDIDATE - 08
VOTES 0

CANDIDATE - 09
VOTES 0

END

At the end of the mock poll, when the 'Close' button is pressed the following displays will appear on the Display Panel:-

CLOSING

DTE 12-01-07
TME 10-34-56

SL NO-H00003

CANDIDATES
16

(When the total number of contesting candidates is 16)

TOTAL POLLED
VOTES - 200

(If the number of polled votes is 200)

POLL CLOSED

When the button marked '**Result**' in the Result section is pressed to find out the result of the election, the following displays appear on the Display Panel:-

COMPUTING RESULT	
POLL RESULT PDT 16-01-07	(PDT – Poll date)
PST 09-50-20 PET 15-32-10	(PST – Poll start time) (PET – Poll end time)
SL NO-H00003	(Serial number of Control Unit PCB)
CANDIDATES 9	(The number of candidates – 9)
TOTAL POLLED VOTES -54	(The number of polled votes – 54)
CANDIDATE - 01 VOTES - 6	
CANDIDATE - 02 VOTES - 6	
CANDIDATE - 03 VOTES - 6	

(If, only fifty four votes have been polled, six for each candidate)

When poll is taken on more than one day, the '**RESULT**' display is as follows:-

COMPUTING RESULT
POLL RESULT DAYS OF POLL
PDY 01-02-07 TOTAL 50
----- ----- -----
PDY 03-02-07 TOTAL 50

Indicates the number of votes polled on the date displayed.

SL NO-H00003

(If serial number of the Control Unit is H00003)

CANDIDATES
16

(If the machine is set for 16 candidates)

TOTAL POLLED
VOTES - 200

(If the total number of votes polled is 200)

POLL CLOSED